jk'ku O;oLFkk dh dgkfu;k¡

lkoZtfud forj.k iz.kkyh ij

tu lquokbZ

fnukad & 28 fnlEcj] 2004

%% vk;kstd %%

lkiku] lEidZ ,oa Hkkstu dk vf/kdkj vfHk;ku& e-iz-

%% fo"k; lwph %%

ftyk	i"B
Vhdex<+	3
Nrjiqj	4
/kkj	7
f'koiqjh	9
flouh	17
>kcqvk	20
[k.Mok	28
Hkksiky	30
fM.Mksjh	32
ckyk?kkV	34
lhgksj	38
e.Myk	40

ftyk & Vhdex< ¼e-i-½

1- fnYy: <hej ¼jk;dokj½

दिल्ले ढीमर, बुन्देलखण्ड क्षेत्र म.प्र. टीकमगढ़ जिले के आदिवासी ग्राम लारिन के हैं। इनके परिवार में 3 लड़कियाँ तथा 5 लड़के हैं, जिनकी शादी हो चुकी है और वे काम की तलाश में दिल्ली पलायन कर गये हैं और वहीं पर मजदूरी करते हैं। परिवार का नाम गरीबी रेखा में है तथा उनके पास गरीबी रेखा का कार्ड है। इनकी मासिक आय 200 रूपये मात्र है तथा पट्टे में प्राप्त 5 बीघा का खेत भी है जिसमें सिंचाई के अभाव में कुछ भी पैदा नहीं हो पाता। यह गांव में अपनी पत्नि गनेशीबाई के साथ अकेले रहते हैं तथा उनकी उम्र 60 वर्ष के लगभग तथा पत्नी की उम्र 56 वर्ष है। यह दोनों वृद्ध पति–पत्नी गांव में मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते हैं। दिल्ले ढीमर ने सम्पर्क करने पर अपने विषय में बताया कि गांव में कोई काम–धन्धा नहीं है घर पर भी खेती बाड़ी नहीं है इसीलिये दोनों लड़के काम करने के लिये दिल्ली चले गये हैं वहीं पर वह लोग मजदूरी करते हैं वह अपने बच्चों का ही भरण पोषण मुश्किल से कर पाते हैं इसीलिए हमें पैसे नहीं भेज पाते। जब कभी घर पर आते हैं तो कुछ पैसे आदि दे जाते हैं। गांव में हम दोनों अकेले ही रहते हैं मजदूरी करके अपना काम चलाते हैं लेकिन खेत जरूर पट्टे का है जो दो बीघा का है लेकिन वहां पर कभी कुछ मिला ही नहीं है इस कार्ड को बने हुये भी बहुत दिन हो गये है। कभी–कभी ही 10–20 किलो गेहूं मिला है, मिट्टी का तेल भी मिल जाता है राशन की दुकान गांव में बड़े आदमी के पास है अगर अनाज, चावल लेने के लिये जाओं तो कह दिया जाता है कि अभी आया नहीं है कार्ड पर जब मिट्टी का तेल लेने जाओं तो राशन, गेहूं, चावल चढ़ाया गया है जो कार्ड पर चढ़ा दिया और दे दिया सो ठीक है बड़े आदमी हैं इसीलिये कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बच्चे परदेश में हैं गांव में कोई ढंग का काम नहीं है कार्ड पर भी राशन नहीं दिया जाता है जिससे गेहूं बाजार से खरीदना पड़ता है जो मंहगा भी होता है पर क्या करें मजबूरी है अगर इसी कार्ड पर पूरा राशन हर महीने मिल जाये तो खाने–पीने की ज्यादा परेशानी नहीं होगी।

–0–

2- jkekuUn vkfnoklh

टीकमगढ़ जिले के ब्लॉक– निवाड़ी, ग्राम पंचायत घूघसीखास, आदिवासी मुहल्ले में रामानंद आदिवासी तथा श्री रन्जोरे आदिवासी रहते है। वह मजदूरी करके 500 रूपये प्रतिमाह कमाता है जिससे वह अपने परिवार का पालन–पोषण करता है। मकान कच्चा है और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला बी.पी.एल. कार्ड बना है। जिसका क्रमांक 84, तथा खाता क्र– 41 है। गांव में मजदूरी न मिलने के कारण रोजगार के लिए उन्हें गांव से बाहर भी जाना पड़ता है।

गरीबी रेखा के नाम तथा बी.पी.एल कार्ड जारी करने की तिथि 17 नवम्बर 2000

- 18 मई 2001, सिर्फ 10 किलो चावल
- 28 जून 2001, सिर्फ 5 किलो चावल
- 17 जुलाई 2001, 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर
- 1 सितम्बर 2001, 10 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर
- 2 मार्च 2002 मात्र 2 किलो शक्कर
- 3 बीघा गैर सिंचित भूमि है।

रामानन्द आदिवासी को बी.पी.एल. कार्ड 17. 11. 2000 में जारी किया गया, जिस पर निम्न प्रकार से उसे पीडीएस द्वारा वितरण किया गया

- 18 मई 2001 सिर्फ 10 किलो चावल
- 28 जून 2001 सिर्फ 5 किलो चावल
- 17 जुलाई 2001 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर,
- 1 सितम्बर 2001 10 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 2 किलो शक्कर,
- 3 मार्च 2002 मात्र 2 किलो शक्कर।

इस गांव के लिए पी.डी.एस. की दुकान ग्राम घुघसीखास में स्थित है। उसे बीपीएल कार्ड पर ना ही मिट्टी का तेल दिया गया, तथा बार–बार दुकान पर जाने से कोटेदार गुस्सा होकर भगा देता है। यही स्थिति ग्राम के अन्य लोगों की साथ है। इस स्थिति को देखते हुये राशन बाजार से खरीदना पड़ता है जिसके लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। यदि किसी भी प्रकार की शिकायत की जाती है तो गलियाँ देकर भगा दिया जाता है। यदि राशन हमें हर माह मिल जाया करे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी।

– 0 –

ftyk& Nrjiqj ¼ih-Mh-,l- & vfu;ferrk½

1- Xkjsyky jtd

गेरेलाल रजक जिनकी उम्र लगभग 73 वर्ष के करीब है। वह छतरपुर जिले के ब्लाक– राजनगर तथा ग्राम अचनार में रहते हैं। उनका अन्त्योदय कार्ड (क्र.–07, वार्ड–13) बना हुआ है जिसका खाता क्र. खता क्र– 11/07 है। वह मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उन्होंने बताया कि मैं गांव में अपनी पत्नी रामबाई के साथ रहता हूँ मेरी पत्नी वृद्ध हैं। राशन की दुकान गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। बूढ़ा आदमी हूँ दुकान दूर होने के कारण आने–जाने में परेशानी होती है पर मजबूरी है जाना ही पड़ता है। बुढ़ापे के कारण मजदूरी भी ठीक से नहीं कर पाता हूँ। यही अन्त्योदय कार्ड है जिस पर कभी राशन–पानी मिल जाता है पर ज्यादातर हर समय दुकानदार द्वारा भगा दिया जाने से बेहद परेशानी होती है। अगर कभी राशन मिल भी जाता है तो उसी दिन कार्ड पर दुकानदार पूरे महीनों का चढ़ा देता है जबकि देता वह कभी कभार ही है। इस स्थिति के कारण हम बूढ़े पति–पत्नी को खाने–पीने के लिये गेहूं, चावल की परेशानी हाती है। कई बार जाओं तब जाकर एक बार गेहू चावल मिल जाता है। अगर यही दुकान पास में हो और हर महीने नियमित राशन मिलने लगे तो हम जैसे बूढ़े गरीब लोगों को सुविधा हो जायेगी।

–0–

2- lqUnjyky vfgjokj

सुन्दरलाल अहिरवार (40) पुत्र मोतिया अहिरवार जो छतरपुर जिले के राजनगर (खजुराहों) ब्लाक के रहने वाले हैं। इनका ग्राम– अचनार है। उनका अन्त्योदय राशनकार्ड (क्र–1974, 13, खाता– 6/13) है। उन्होंने पी.डी.एस. की जानकारी मिलने वाले राशन के विषय में बताया कि उसका 6 लोगों का परिवार है जिसमें तीन बच्चे, पत्नी वह स्वयं तथा 65 वर्षीय उनके पिता रहते हैं। परिवार बेहद गरीबी में जीवनयापन करता है जमीन कोई है नहीं परिवार को पालने के लिये वह एवं पत्नी दोनों मजदूरी करते हैं जो किसी दिन मिलती है और किसी दिन नहीं मिलती है। सरकारी दुकान के राशन के विषय में सुन्दरलाल ने बताया कि गांव से राशन की दुकान शासकीय उचित मूल्य की) करीब 10 किमी दूर (खजुराहों में) है जिससे आने–जाने में परेशानी होती है एक बार के राशन लेने के लिये 4 से 6 चक्कर लगाने पड़ते हैं फिर भी कई बार राशन नहीं मिलता है ज्यादातर समय पर नहीं दिया जाता है जिसके कारण 4–6 दिन निकल जाते हैं फिर भी राशन नहीं मिलता है तथा दिन और मजदूरी दोनों ही खराब होते हैं। अगर किसी महीने दुकानदार राशन देता है तो वह एक दिन ही हर महीने का राशन चढ़ा देता है दुकानदार से हम गरीब आदमी कुछ भी नहीं कह पाते हैं, यदि कुछ कहते हैं तो जो राशन मिलना है वह भी नहीं दिया जाता है। इस प्रकार राशन नियमित नहीं मिलने के कारण हमें अनाज बाजार से खरीदना पड़ता है जो बहुत मंहगा होता है। हमारे जैसे गरीब मजदूर व्यक्ति के लिये बार–बार इतनी दूर राशन लेने जाना और नियमित राशन न दिया जाने से बहुत परेशानी होती है। अगर यही दुकान पास में हो और राशन पूरा मिलने लगे तो हमारे लिए बहुत सुविधा होगी।

–0–

3- ekrhyky vfgjokj

मोतीलाल अहिरवार पुत्र रामचरन अहिरवार, ग्राम धरमपुरा ब्लाक नौगांव जिला– छतरपुर के निवासी हैं। जिनके परिवार में 6 बच्चों सहित कुल 8 लोग हैं। उन्होंने बताया कि वह गांव में तथा आस–पास के गांवों में मजदूरी करके अपने परिवार को पालते हैं। मजदूरी में लगभग एक हजार रूपये माहवार कमा लेते हैं। उसकी पारिवारिक स्थिति खराब होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा उसके नाम गरीबी रेखा का 5 यूनिट का कार्ड (कार्ड–8 वार्ड नं– 1, खाता– 42) दिया है जिस पर नियमित राशन नहीं मिलता है। दुकान गांव में ही प्रभावशाली व्यक्ति के पास है जो कभी–कभी राशन दे देता है, अधिकतर समय वह भगा देता है। हम गरीब लोग है इसीलिए कुछ कह भी नहीं सकते हैं, मजदूरी से पैसे मिलते हैं वह सभी घर के लिये गेहूं, चावल खरीदने में चले जाते हैं जिसके कारण बीमारी के समय परेशानी होती है। बी.पी.एल. के कार्ड पर मुझे अभी तक सिर्फ 2 बार 25–25 किलो गेहूं दिया गया है जो कि दिनांक 23. 9 04 एवं 25. 11. 04 को चढ़ा है इस प्रकार नियमित अनाज न मिलने के कारण मेरे परिवार को खाने–पीने की परेशानी होती है तथा मुझे बाजार से मंहगे भाव पर अनाज खरीदना पड़ता है जो मुझ जैसे गरीब मजदूर आदमी के लिये मुश्किल होता है अगर मुझे हर माह नियमित राशन मिलने लगे तो परिवार को खाने–पीने के लिये जयादा परेशान नहीं होना पड़ेगा।

–0–

4- ukFkjke vfgjokj

नाथूराम अहिरवार पुत्र किसना अहिरवार ग्राम धरमपुरा नौंगांव जिला छतरपुर का रहने वाला एक दलित जाति अहिरवार से है जिसके परिवार में नौ सदस्य हैं इन सदस्यों में नाथूराम की पत्नी नन्नीबाई उम्र 50 वर्ष के लगभग है जो कि एक हाथ एवं एक पैर से विकलांग है। नाथूराम का गरीबी रेखा राशन कार्ड बना है जिसका खाता क्र– 3162 है। वह मजदूरी करके लगभग 800 रूपये माहवार कमा लेता है। उसके कार्ड में कुल 9 यूनिट हैं। एक लड़की है लक्ष्मी जिसे आंखों से कम दिखाई देता है। घर कच्चा मिट्टी का बना है नाथूराम ने बताया कि पत्नी घर का काम ठीक से नहीं कर पाती है लड़का है उसे भी कम दिखाई देता है, इसी करण परिवार के भरण–पोषण के लिये उसे अकेले मजदूरी करनी पड़ती है इस पूरे साल में सिर्फ 4 बार ही राशन दिया गया हैं जिसमें दिनां 30 जून 2004, 18 अगस्त 2004, 23 सितम्बर 2004 और 21 नवम्बर 2004 को ही राशन दिया गया। इस प्रकार दुकान से कार्ड पर राशन न मिलने के कारण अनाज को खुले बाजार से खरीदना पड़ता है जो मुझ जेसे गरीब, मजदूर व्यक्ति के लिये अति कठिन होता है अगर इसी कार्ड पर हर माह अनाज, चावल मिल जाये तो परिवार के खाने–पीने में मदद मिल जायेगी जिसकी मेरे परिवार को अत्यन्त आवश्यकता है।

–0–

5- /kfu;k ?kkl [kkrs vkfnoklh

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के छतरपुर जिले में आदिवासी परिवारों द्वारा आज भी धुनिया घास खायी जाती है। जिले के बिजावर ब्लाक के धरमपुर ग्राम के आदीवासियों द्वारा यह घास बहुत अधिक मात्रा में खायी जाती है। बरसात के मौसम में नाली, गड्ढों, पोखरों के पास यह घास उग आती है जिसे आदिवासी लोग अगस्त, सितम्बर माह में काट कर रख लेते हैं, जिसे सुखाकर कूटा जाता है जिसके बाद इसमें से छोटे–छोटे बीज निकलते हैं जिसे पीसकर रोटियाँ बनायी जाती है। इस घास को क्यों उपयोग में लाया जाता है इस विषय में जिला छतरपुर के बिजावर ब्लॉक के धरमपुरा गांव के गनेश आदिवासी ने बताया कि घर में खाने–पीने की समस्या रहती है खेती बाड़ी है नहीं मजदूरी भी नहीं मिलती है जिससे गेहूं खरीदने में परेशानी होती है, अतः अनाज की कमी को पूरा करने के लिये धुनिया घास को काट लाते हैं जिससे परिवार के लिए 2–3 महीने के खाने की पूर्ति हो जाती है। मक्का तथा ज्वार भी खाते हैं परन्तु यह हर समय नहीं मिलता। जिस वर्ष साल मक्का–ज्वार, कम होता है उस वर्ष धुनिया घास और ज्यादा दिनों तक खाना पड़ता है। कन्ट्रोल की दुकान से भी राशन नियमित नहीं मिलता। कभी पैसे नहीं होते, तो कभी मिलता ही नहीं है। इन्हीं परेशानियों की वजह से इस घास को खाना पड़ता है यदि हमें पूरे साल के लिये गेहूं मिलने लगे तो हमें यह घास नहीं खानी पड़ेगी।

खुमनीबाई आदिवासी ने बताया कि साथही हमारे यहां रोजाना साग–सब्जी तो बनती नहीं है तथा इतने पैसे भी नहीं होते कि रोज सब्जी खरीद सकें। कभी जंगल से कोई सब्जी मिल जाती है तो उसे बनाकर ही धुनिया घास की रोटियों से या इसे नमक, मिर्च की चटनी, मट्ठा आदि के साथ खाया जाता है। बच्चे भी हमारे साथ यही सब खाते हैं नमक डालकर रोटियाँ बना देते हैं बस उसी को खाते रहते हैं। जब पूछा कि क्या इस घास को आप लोग हर साल खाते हैं तो इन आदिवासियों ने बताया कि अनाज की कमी तो हर साल ही होती है जिसमें 2 से 3 महीने तो कम से कम धुनिया घास को खाते हैं पर जिस साल काम कम मिलता है मक्का ज्वार की पैदावार कम होती है उस साल और भी ज्यादा दिन इसे खाते हैं। सभी परिवारों के खाने के सम्बन्ध में इन लोगों ने बताया कि क्षेत्र के लगभग सभी आदिवासी परिवारों में यह धुनिया घास खाई जाती है।

–0–

6- ckjsyky vfgjokj

> **"यदि हमें हमारे राशन कार्ड में हर महीने नियमित राशन ही मिलता रहे तो हमें खाने-पीने की कोई परेशानी नहीं आयेगी। लेकिन नियमित राशन न मिलने से, गरीबी की हालत में रहकर बच्चों के लिए मेहनत, मजदूरी करे हमें राशन की व्यवस्था करनी पड़ती है।"**
>
> – बारेलाल अहिरवार

बारेलाल अहिरवार पुत्र दन्नू अहिरवार ग्राम कन्जरपुरा (धरमपुरा) ब्लाक नौगांव जिला छतरपुर का निवासी है। इनका वार्ड क्रं– 1, तथा गरीबी रेखा खाता क्र– 3552/97–98 है। परिवार में कुल 7 सदस्य हैं तथा मेहनत मजदूरी करके लगभग 600 रूपये माहवार कमा लेते हैं जिससे अपने परिवार का बड़ी परेशानी से पालन–पोषण करते हैं। वह बताते हैं कि हमें वर्ष 1997–98 में गरीबी रेखा का कार्ड पंचायत द्वारा दिया गया था लेकिन कार्ड पर राशन की दुकान से हमें अभी तक 5 बार ही राशन दिया गया। इस परिस्थिति में हमें खुले बाजार से गेहूं खरीदना पड़ता है। दलित गरीब परिवार होने से हमारी बात कोई अधिकारी सुनता भी नहीं है।

–0–

7- gYdkb

बहेरा पंचायत के निवाड़ी ब्लाक में रहता है हल्काई जो कि जिला टीकमगढ़ के अन्तरर्गत आता हैं। उसका वार्ड क्र– 7 तथा मकान नं– 237 है तथा वह वहीं का मूल निवासी है। हल्काई का गरीबी रेखा की सूची में 23 वें नम्बर पर नाम है। उसके पास लगभग 2 एकड़ भूमि है जिसपर वह कृषि एवं मजदूरी करता है। मजदूरी से लगभग वह 700 रूपय हर महीने कमा लेता है। उसे बीपीएल कार्ड दिनांक 27 जनवरी 2001 को ही जारी हो गया था। जारी किए गए कार्ड पर 30 4 2002 तक गेहूं, चावल, शक्कर व मिट्टी का तेल दिया गया परन्तु 3 मई 2002 से न तो गेहूं और न ही चावल दिया गया है। जब उन्होंने इसकी शिकायत की तो राशन मिलने लगा। उसने बताया कि – "जब मैंने पंचायत सेक्रेटरी व सरपंच जी से कहा कि हमको केहूं व चावल नहीं मिल रहा है ऐसी स्थिति में मेरे यहां खाने की बहुत परेशानी हें क्योंकि मेरे दो बच्चे, मैं और मेरी पत्नी हैं। हम सब मिलकर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और गांव–गांव जाकर बेचते है।

31 माह से हमें राशन की दुकान से गेहूं एवं चावल नहीं मिला।
– हल्काई

जब बरसात का मौसम आता है तो हमारा धंधा नहीं चलता और मजदूरी भी नहीं मिलती, इसलिए भोजन की व्यवस्था करने में भी हमें कठिनाई होती है। भोजन के अभाव में कई दिनों तक हमें भूखा रहना पड़ता है। मजदूरी नहीं मिल पाती तथा हमें गेहूं एवं चावल बाजार से मंहगे दामों मे खरीदना पड़ता है। राशन की दुकान टेहरका में है जो हमारे गांव से बहुत दूर है। हम लोग गरीब तथा हरिजन जाति के है तथा हमारी बात भी कोई नहीं सुनता है। 31 माह से हमें राशन की दुकान से गेहूं एवं चावल नहीं मिला। अगर हमें समय पर राशन की दुकान से गेहूं और चावल मिल जाये तो हमारे परिवार को बहुत सहूलियत होगी।

–0–

8- uRFk lkj dh ij’kkuh

टीकमगढ़ के पंचायत मवई में एक छोटा सा ग्राम बसा हुआ है जिसका नाम है मवई। इसी ग्राम में 65 वर्षीय वृद्ध नत्थू सौंर (पुत्र भगुन्ता सौर) निवास करते हैं। राशन को लेकर इन्हें कई तरह की परेशानियों से हमेशा जूझना पड़ता है। नत्थू का राशन कार्ड बना हुआ है। अपनी परेशानी को बयान करते हुए वे कहते हैं कि हमारे कार्ड पर कभी भी दुकान से आज तक 35 किलो गेहूं तथा चावल नहीं दिया गया। कार्ड पर सिर्फ 30 किलो गेहूं मिलता है जबकि उस पर गेहूं की मात्रा पूरी 35 किलो तथा 4 किलो चावल दिया गया, यह दर्ज कर दिया जाता है।

–0–

9- dHkh Hkh ijk jk’ku ugh feyk& ghjk lkj

चावल तो आज तक हमें कभी भी कार्ड पर मिला ही नहीं जबकि कार्ड पर चावल की मात्रा भी 4 किलो दर्ज कर दी जाती है।

टीकमगढ़ जिले के ही पंचायत मवई एवं ग्राम मवई में हीरा सौर (पुत्र मोहनलाल सौर) निवास करते हैं। लगभग 62 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हीरा को आये दिन राशन व्यवस्था को लेकर विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि उनका राशन कार्ड बना हुआ है जिसका कार्ड क्रमांक– 182 है।

हीरालाल का कहना है कि हमारे कार्ड पर गेहूं समय पर नहीं दिया जाता क्योंकि राशन की दुकान कभी–कभी ही खुलती है। अगर गेहूं मिलता भी है तो सिर्फ 30 किलो ही मिलता है जबकि कार्ड पर 35 किलो दर्ज किया जाता है। चावल तो आज तक हमें कभी भी कार्ड पर मिला ही नहीं जबकि कार्ड पर चावल की मात्रा भी 4 किलो दर्ज कर दी जाती है।

–0–

ftyk& /kkj

1- igkM+flag

> **"यदि हम अनाज लेने दुकान जाते हैं तो दिन भर की मजदूरी से हाथ धोना पड़ता है। उस पर भी दुकान खुली है या नहीं, अनाज उपलब्ध है या नहीं, इसकी अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है।"**
>
> – पहाड़सिंह

पहाड़सिंह का 14 सदस्यीय परिवार ग्राम कालापानी, पंचायत दभीया है जो कि धार जिले के उमरबरन ब्लाक के अन्तर्गत आता है, मे निवास। इतने बड़े परिवार के जीवन निर्वाह और रोजमर्रा के खर्चों के लिए वे पूर्णतः मजदूरी और मेलि (लकड़ी) बेचने पर निर्भर हैं। पहाड़सिंह के भाई छोटे पुत्र रतनसिंह के अनुसार हम अपने घर के इंतजाम के लिए रोज मजदूरी करते हैं तथा रोज अनाज खरीदते हैं। इनका बीपीएल कार्ड बना है जिसका नं– 4794 है। राशन की दुकान से प्राप्त अनाज से महीने भर के अनाज की भी पूर्ति नहीं होती है। हमारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र कालीबावड़ी लगता है जो यहां से 4 कि.मी. दूर है। यदि हम अनाज लेने दुकान जाते हैं तो दिन भर की मजदूरी से हाथ धोना पड़ता है। उस पर भी दुकान खुली है या नहीं, अनाज उपलब्ध है या नहीं, इसकी अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। दुकान पर अनाज आते ही कालीबावड़ी के आसपास के लोग तो अनाज ले लेते हैं (जिसमें कितने ही लोग बिना कूपन वाले रहते हैं) और जब हम अनाज लेने जाते हैं तो दुकानदार कहता है कि आपके कोटे का अनाज खत्म हो गया है तथा आप लोग अगले हफ्ते आना। धीरे–धीरे हमारा विश्वास राशन दुकान से उठ गया है तथा पिछले पांच महीने से हम अनाज लेकर ही नहीं आये हैं हम अपनी अनाज पूर्ति के लिए बाजार भाव से अनाज खरीदने को मजबूर हैं।

—0—

2- xaxkjke

गंगाराम पिता आपसिंग अपनी पत्नि सहित 10 सदस्यीय परिवार के साथ ग्राम कातर, ब्लाक–धरमपुरी में निवास करते हैं। यह भील जाति के हैं जिनका बी.पी.एल.न.– 13180101133 है। इस परिवार के भरण–पोषण के लिए 2 बीघा सूखी जमीन है। अतः पूरा परिवार मजदूरी पर ही निर्भर है। रोजमर्रा की आवश्यकता को रोज मजदूरी करके पूरा करते हैं। गंगाराम अपनी अनाज की आवश्यकता के लिए बाजार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र तारापुर पर निर्भर हैं।

> ***" दुकानदार का व्यवहार भी हमारे प्रति अच्छा नहीं है, कभी बोलता है कि अनाज का कोटा नहीं आया, अगले हफ्ते आना । यह कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हमारा विश्वास राशन दुकान से उठने लगा है। हम पिछले 3–4 महीनों से राशन दुकान में अनाज लेने ही नहीं जा रहे हैं। दुकानदार की शिकायत ज्यादा से ज्यादा सरपंच से कर पाते हैं जिस पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है।"***
>
> *– गंगाराम*

इनके अनुसार सरकार की नीति ही गलत है, हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए हमारे अनाज का कोटा बहुत कम निर्धारित किया गया है उस पर भी राशन दुकान जाने पर निराशा हाथ लगती है। शासन द्वारा निर्धारित कोटे से हमारे एक हफ्ते की आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो पाती है। इस कारण बहुत अधिक परेशानी होने पर ही हम राशन दुकान जाते हैं नही तो बाजार भाव से ही मंहगा खरीदना पड़ता है। दुकानदार का व्यवहार भी हमारे प्रति अच्छा नहीं है। कभी बोलता है कि अनाज नहीं आया, कोटा नहीं आया, अगले हफ्ते आना यह कुछ ऐसे शब्द हैं जिनसे हमारा विश्वास राशन दुकान से उठने लगा है। हम पिछले 3–4 महीनों से राशन दुकान में अनाज लेने ही नहीं जा रहे हैं। दुकानदार की शिकायत ज्यादा से ज्यादा सरपंच से कर पाते हैं जिस पर भी सिर्फ आश्वासन मिलता है।

—0—

3- ekaxhyky

ग्राम कालीकिराय विंध्याचल पहाड़ियों की तलहटी में बसा एक आदिवासी गांव है। इसी गांव में मांगीलाल पिता गिरवरसिंह अपने 7 सदस्यीय परिवार के साथ निवास करते हैं। यह भी भील जाति के हैं। इनकी पंचायत तारापुर तथा ब्लाक धरमपुरी है। बी.पी.एल.

> **"अगर हमें राशन दुकान से एक हफ्ते का भी अनाज मिल जाता है तो बाजार भाव से कम भाव होने के कारण बचे हुए पैसों से एक हफ्ते का हाट–बाजार आसानी से हो जाता है। हमारे जीवन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्व बहुत अधिक है परन्तु आवश्यकता से कम अनाज और उस पर भी उसकी उपलब्धता नहीं होने से हमारा विश्वास राशन दुकान से उठ चुका है।"**
>
> – शारदाबाई

कार्ड बना है जिसका न.– 131801001 है। पंचायत में एक पी.डी.एस. केन्द्र है जो कि गांव से दो किमी दूर तारापुर में स्थित है। परिवार में मांगीलाल एवं उनकी पत्नि शारदाबाई के अतिरिक्त पुत्री बनु (12), ममता (10), मनु (8), पुत्र अजय (6) तथा माता राजलबाई (68) हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति मजदूरी पर निर्भर है। खेती के नाम पर मात्र 3 बीघा जमीन है। अपनी अनाज की आवश्यकता के लिए बाजार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र तारापुर पर निर्भर हैं। मांगीलाल भाई के परिवार के अनुसार जब भी परिवार का कोई सदस्य राशन की दुकान पर अनाज लेने जाता है तो या तो दुकान खुली नहीं रहती या दुकानदार कहता है, कि आपके कोटे का अनाज

अभी आया नहीं है। राशन लेने के लिए परिवार के बच्चे ही जाते हैं क्योंकि मांगीलाल भाई और उनकी पत्नि को राशन लेने के चक्कर में अपनी मजदूरी से भी हाथ धोना पड़ता है। इन परेशानियों के चलते पूरे परिवार की अनाज की आवश्यकता के लिए बाजार के मंहगे भाव पर निर्भर रहना पड़ता है। मांगीलाल भाई की पत्नि श्रीमती शारदाबाई कहती हैं कि अगर हमें राशन दुकान से एक हफ्ते का भी अनाज मिल जाता है तो बाजार भाव से भाव कम होने के कारण बचे हुए पैसों से एक हफ्ते का हाट–बाजार आसानी से हो जाता है। हमारे जीवन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का महत्व बहुत अधिक है परन्तु आवश्यकता से कम अनाज और उस पर भी उसकी उपलब्धता नहीं होने से हमारा विश्वास राशन दुकान से उठ चुका है।

–0–

4- ?k?kfj;k

घेघरिया भाई (भील) ग्राम– कातर ब्लाक– धरपुरी में अपने 15 सदस्यीय परिवार के साथ निवास करते हैं। इनका बी.पी.एल.न.– 13180101152 है। इनके परिवार में उनकी पत्नि, दो पुत्र दोनों पुत्रवधु, 9 पोते एवं पोतियां हैं। इतने बड़े परिवार के निर्वहन के लिए मात्र 4 बीघा सूखी जमीन है। पूरा परिवार मजदूरी पर निर्भर हैं, सूखी जमीन होने से खरीफ से प्राप्त मक्का के बाद घेघरिया भाई परिवार की अनाज की आवश्यकता के लिए बाजार एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर हैं। ग्राम कातर का सार्वजनिक वितरण प्रणाली केन्द्र तारापुर लगता है, जो ग्राम से 2 कि.मी. दूर है।

इनके अनुसार दुकान सप्ताह में तीन दिन खुलना चाहिए परन्तु वह भी ठीक तरीके से नहीं खुलती हैं। दुकान पर अनाज लेने के लिए पूरा दिना बिगाड़ना पड़ता है फिर भी अनाज नहीं मिलता व दुकानदार की अनियमितता के साथ–साथ दुकानदार के बहाने जैसे कोटे का अनाज नहीं आना, अनाज खत्म हो गया या अगले हफ्ते आना आदि से त्रस्त हैं। घेघरिया भाई अपने इस 15 सदस्यीय परिवार के अनाज के लिए पूर्ण रूप से बाजार पर निर्भर हैं। घेघरिया भाई कहते हैं कि सरकार लोगों की आवश्यकता के अनुसार तो अनाज देती नहीं है और जो भी देती है वह भी ठीक से नहीं मिलता है। अब तो हम पिछले 2–3 माह से अनाज ही नहीं ला रहे हैं।

> **“ दुकान सप्ताह में तीन दिन खुलना चाहिए परन्तु वह भी ठीक तरीके से नहीं खुलती हैं। दुकान पर अनाज लेने के लिए पूरे दिना बिगाड़ना पड़ता है फिर भी अनाज नहीं मिलता । “**
>
> – घेघरिया

–0–

5- cnyr! fu.k; ij!'kku ykx

धार जिले के डही विकासखण्ड में स्थित ग्राम *NfM;k* में एक विचित्र मामला सामने आया है। यहां कुछ परिवारों को अन्त्योदय काढ जारी किये गये थे। कुछ महीनों तक इन्हें अन्त्योदय दर पर राशन मिलता रहा और फिर अचानक बीपीएल दर लिया जाने लगा। लोगों को इसका कारण भी नहीं बताया गया। अमला/ रेल सिंह के मामले में तो यह हुआ कि उसका बी.पी.एल. कार्ड निरस्त कर ए.पी.एल. कार्ड जारी कर दिया गया। ऐसे और भी मामले होने की आशंका है। स्पंदन ने लोगों के हित में यह मामला प्रशासन के समक्ष रखा है और सूचना के अधिकार के तहत इस निर्णय के आधार तथा दस्तावेजों/आदेशों की मांग की है। प्रशासन द्वारा जवाब नहीं मिला है।

& lhek@ i:dk'k] Liinu

6- bUg! Hkh fey! vUR;kn;

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश दिये हैं। इन निर्देशों के बावजूद कुछ योग्य श्रेणियों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि या तो इनकी ठीक पहचान नहीं की गई है अथवा इन पर गौर नहीं किया गया है –

- **Mgh fodkl [k.M dk Hkkfj;k**
  इस प्राचीन जनजाति को अन्त्योदय में शामिल करने के स्पष्ट निर्देश हैं। धार जिला प्रशासन द्वारा इन्हें प्रथम रूप से चिन्हित नहीं किया गया। डही विकासखण्ड के करीब एक दर्जन गांवों में भारिया परिवार निवास करते हैं। इन्हें इसी नाम से जाना जाता है तथा इनकी अपनी अलग संस्कृति, बोली और परमपरा है। स्पंदन ने सघन अध्ययन कर मामले को प्रशासन और सुप्रीम कोट के समक्ष रखा है। कोर्ट के तीन आदेशों के बावजूद प्रशासन इन्हें यह सुविधा प्रदान करने से हिचकिचा रहा है।

- **l/kok dk Hkhy & ¼cMokuh½**
  बड़वानी जिले में सेंधवा तहसील में रहने वाले भील परिवार सामाजिक, आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है। ये भूमिहीन हैं और पलायन एवं दैनिक मजदूरी पर निर्भर है, इस समुदाय में खाद्य संकट भी सबसे अधिक है, यहां तक कि वे सड़े चावल पकाकर खाने को बाध्य है। आंकडों के अनुसार इनमें बच्चों के बीच कुपोषण भी सर्वाधिक है। कुपोषण से मौतें भी इस समुदाय के जीवन का भाग है इन्हें भी अंत्योदय में जोड़ा जाना लाजमी है।

& lhek@ i:dk'k] Liinu

ftyk & f'koiqjh

1- ^^HkMkSrk eS** lgfj;k lenk; us lEgkyh ihMh,l forj.k O;oLFkk

> **दुकान संचालक ने कभी भी उपभोक्ताओं से अच्छे संबंध बनाकर कार्य नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रत्येक अन्त्योदय कार्डधारी को 35 किलोग्राम अनाज मिलना चाहिये परन्तु इसका लाभ किसी को भी नहीं मिला, केवल 30–30 किलो गेहूं ही हमें बड़ी कठिनाई से लड़–झगड़कर मिल पाता है। मिट्टी का तेल 9 रुपये लीटर के स्थान पर 14–15 रुपये लीटर तेल ब्लेक में संपन्न किसानों को पंप व ट्रेक्टर चलाने को देता था, जबकि बेचारे भूखे एवं गरीब आदिवासियों को अंधेरे में ही रहना पड़ता था।**
>
> – ग्रामवासी, भड़ौता

ग्राम भड़ौता कोलारस ब्लॉक से 9 कि. मी. दूर पूर्व दिशा में स्थित है इसमें लगभग सभी समुदाय के (ब्राह्मण, लोधी, ढीमर, हरिजन एवं आदिवासी) लोग निवास करते हैं। इसकी पंचायत भी भड़ौता है। यहां की सरपंच श्रीमति रामकलीबाई जाटव हैं। पंचायत के अंतर्गत कंचनपुरा, मुकंदपुरा, टामकी आवादी गांव हैं इनकी राशन की दुकान भड़ौता में ही है। सभी गांव के आदिवासियों के पास अन्त्योदय राशनकार्ड होने के बावजूद भी उन्हें अपने लिए तथा अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बड़ी मुश्किल से राशन प्राप्त होता था। तेल (मिट्टी का तेल) एवं चावल तो उन्होंने कभी लिया ही नहीं है। जब बेचारे आदिवासी खाने के लिए अनाज (गेंहू) के साथ–साथ चावल एवं मिट्टी का तेल मांगते थे तो उन्हें चावल एवं तेल नहीं दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि अभी चावल एवं तेल आया नहीं है जबकि चावल एवं तेल अन्य समाज के लोगों को अधिक दाम पर रातोंरात बेच दिया जाता था। राशन की दुकान का संचालक उपभोक्ताओं से हमेशा दुर्व्यवहार करता एवं कभी–कभी उन्हें मारने तक की धमकी भी देता था। दुकान के संचालक का आपराधिक स्वभाव के लोगों से संबंधित होने के कारण गांव वाले उससे डरते हैं। वह जो कुछ भी राशन देता वे चुपचाप लेकर अपने–अपने घरों को वापिस आ जाते थे। राशन की दुकान का संचालक महीने में केवल 1–2 दिन ही दुकान खोलता था। उसने कभी भी उपभोक्ताओं से अच्छे संबंध बनाकर कार्य नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रत्येक अन्त्योदय कार्डधारी को 35 किलोग्राम अनाज मिलना चाहिये परन्तु इसका लाभ किसी को भी नहीं मिला, केवल 30–30 किलो गेहूं ही उन्हें बड़ी कठिनाई से लड़ झगड़कर उन्हें मिल पाता था।

चावल एवं तेल की गलत सूचनायें भी राशन की दुकान का संचालक आदिवासियों के कार्ड में बिना राशन दिए भी भर देता था। इसके अलावा दो महीने में केवल 1 महीने का राशन ही देता तथा कार्डों पर अधिक बस्तुयें लिख देता था। बाद में ग्राम के कुछ लोगों ने पूछा कि आप इसमें चावल एवं तेल बिना दिए हुए लिख दिये हैं ऐसा क्यों ? तो वह कहता था कि अगले महीने आने पर दे देंगे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मिट्टी का तेल 9 रुपये लीटर के स्थान पर 14–15 रुपये लीटर तेल ब्लेक में संपन्न किसानों को पंप व ट्रेक्टर चलाने को देता था। जबकि बेचारे भूखे एवं गरीब आदिवासियों को अंधेरे में ही रहना पड़ता था। गांव के कुछ लोगों ने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन उसने किसी भी प्रकार से समझने के इंकार कर दिया। वह आदिवासियों से कहता था कि आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले ? मेरी जो मर्जी होगी, मैं वही करुंगा। जिसे चाहूंगा उसे ही अनाज, तेल दूंगा आपसे जो बने सो कर लो। सभी 4–5 गांव के आदिवासी उससे बहुत परेशान हो चुके थे। उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था। साथ ही पैसों के अभाव में वे अपने खेतों में फसलें पैदा नहीं कर पाते थे। इसलिए उन पर और अधिक परेशानी आ गई एक दिन उन्होंने बैठकर सोचा कि हम सभी आदिवासी कब तक इस प्रकार राशन के लिए परेशान होते रहेंगे और इससे लड़ेंगे। चारों गांव के आदिवासियों ने इकट्ठे होकर दिनांक 6 सितम्बर 2004 को एस. डी.एम.भगत (कोलारस) को राशन की अनियमितता एवं राशन संचालक द्वारा कार्डों पर गलत सूचनायें भरने के सम्बन्ध में गांव वालों द्वारा आवेदन दिया गया। एस.डी.एम. साहब ने गांव वालों से 1–2 दिन में स्थिति की जांच करवाने का आश्वासन दिया। लेकिन इसका कोई प्रभाव उस राशन के संचालक पर नहीं पड़ा। इसलिये सभी आदिवासी 50–60 व्यक्ति फिर दिनांक 8 सितम्बर को एस.डी.एम. भगत के पास आवेदन लेकर गये तथा उन्हें राशन की स्थिति से दुबारा अवगत कराया। तो एस.डी.एम. ने कहा कि हम लोगों पर आप विश्वास नहीं करते, हमारी बात नहीं मानते। हमने आपसे कह दिया है कि हम उससे बात करेंगे। एस.डी. एम. की बातों से गांववालों को ऐसा महसूस हुआ कि इस प्रकार हमारे लिए राशन प्राप्त नहीं हो पायेगा और हम हमेशा की तरह इस बार भी परेशान होकर रह जायेंगे। इसलिए ग्राम भड़ौता, मुकंदपुरा एवं कंचनपुरा के लगभग 50–55 आदिवासी गांव से एक ट्रेक्टर किराये से करके राशन के संबंध में शिवपुरी जिलाधीश एम.गीता से शिकायत करने गये। लेकिन उन्हें जिलाधीश नहीं मिल पाई। पूछने पर पता चला कि आज दिनांक 10.9.2004 को उनका किसी गांव में कार्यक्रम है। इसलिये आप उनके आने का इंतजार करें। जब सभी व्यक्ति कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहे थे उसी समय सोसायटी मैनेजर ब्लॉक कोलारस कलेक्ट्रेट परिसर में मिले। उन्होंने सभी आदिवासियों से कहा कि आप सब लोग यहां पर क्यों आये हैं आदिवासियों ने कहा कि हमें भड़ौता की राशन की दुकान से गेहूं, चावल एवं मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। बड़ी मुश्किल से हमें महीने में गेहूं मिल पाता है चावल एवं तेल तो हमें कभी मिलता ही नहीं हैं बल्कि उसे बाजार में अथवा अधिक कीमत पर दबंग लोगों के लिए बेच दिया जाता है। इसलिये हम आज सब व्यक्ति उसकी शिकायत करने कलेक्टर के यहां पर आये हैं क्योंकि हमारी कोलारस में एस.डी.एम. के यहां कोई सुनवाई नहीं हुई।

जबकि हम एस.डी.एम. साहब को इस राशन के संबंध में 2–3 बार लिखित में आवेदन दे चुके हैं। इस कारण हमें मजबूर होकर आज शिवपुरी कलेक्टर के यहां आना पड़ा। यह सब सुनकर एवं ग्राम के आदिवासियों की अधिक संख्या देखकर सोसायटी मैनेजर हरिचरण लोधी ने समझ लिया कि आदिवासी अब बिना शिकायल करे यहां से जायेंगे नहीं और सारी मुसीबत मेरे ऊपर आकर गिरेगी। इसलिये उसने गांव वालों से कहा कि भाइयों आप मेरी बात सुनों आप कलेक्टर से शिकायत मत करो आपकी क्या समस्या है ? मैं हल कर दूंगा। आपको कल गेहूं चावल एवं तेल मैं आपके गांव में भेजकर उसे तुरंत बंटवाऊंगा। आपका आज जो भी किराया एवं खर्चा हुआ है उसे मैं देने के लिए तैयार हूं। आज आप मेरे कहने पर मान जाओ आपको कल से सभी वस्तुयें राशन की दुकान पर समय पर मिलेंगे और आपको किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं आयेगी। यदि आपको परेशानी आये तो आप जरुर शिकायत करना मैं आपको नहीं

रोकूंगा आदिवासियों ने कहा हम आपसे कोई किराया खर्चा नहीं लेंगे। यदि हमें कोई परेशानी आई तो हम आगे भड़ौता की राशन की दुकान के संचालक की शिकायत अवश्य करेंगे। कुछ व्यक्तियों ने कहा चलो इसके कहने पर हम लोग अपने गांव चलें। अगले ही दिन राशन की दुकान के प्रबंधक ने उन्हें दिनांक 11.9.2004 के दिन से 14.9.2004 तक सभी के लिए गेहूं चावल एवं मिट्टी का तेल वितरण किया। इसके साथ ही दुकान संचालन के लिए आदिवासियों ने एक 4 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है इसके लिए समुदाय ने हरिराम, घनश्याम, रामकिशन एवं हरपाल आदिवासी का चयन किया है। हरिराम नाप तौल का कार्य करते हैं एवं अन्य सदस्य उस कार्य के लिए सहयोग करते हैं। अब उन्हें किसी प्रकार की राशन की समस्या नहीं है।

अब सभी आदिवासियों को अपना राशन गेहूं चावल बिना कोई परेशानी से सबको समान रुप से मिल रहा है और अब किसी भी प्रकार का भेदभाव उनके साथ नहीं हो रहा है। भड़ौता में आदिवासियों का संगठन एक समझदार एवं मजबूत है इसलिए उन्हें बड़ी सफलता मिली और इस तरह उनका गुस्सा संगठित प्रयास के रुप में आया और भड़ौता की राशन की दुकान के सेल्समैन को हटाकर ही शांत हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को व्यवस्थित एवं संगठित तरीके द्वारा आगे बढ़ाने के लिए सी.आई.डी. संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संस्था के सभी कार्यकर्ताओं ने इस समय समय पर हर प्रकार से सहयोग किया एवं अंत में सफलता प्राप्त हुई। इस माह का राशन भड़ौता उचित मूल्य की दुकान पर आदिवासियों को अनाज का वितरण दिनांक 12.10.2004 एवं 13.10.2004 को राशन की दुकान संचालक अर्जुन लोधी द्वारा सरपंच एवं सहरिया समिति के सदस्य हरपाल के समक्ष वितरण हुआ। इसमें सभी के लिए 30–30 किलो गेहूं अपने अपने कार्डों पर प्राप्त किया। उन्हें इस बार बिना किसी परेशानी के पहली बार शांतिपूर्वक राशन प्राप्त हुआ।

2- l?k"k d ckn feyu yxk jk'ku

- jkt dekj

राशन दुकान के सैल्समैन की गालियों और मनमानियों से तंक आकर शिवपुरी जिले के कोलारस विकासखण्ड के भड़ौत ग्राम पंचायत के लगभग 130 सहरिया आदिवासी परिवारों ने अंततः संघर्ष का रास्ता चुना। राशन मांगने पर सेल्समैन उनसे गाली देकर बात करता था और दो महीने में एक बार राशन देकर दो माह की राशन पर हताक्षर करवा लेता था। खुलेआम चल रही इस कालाबाजारी और सीनाजोरी के विरोध में ग्रामीण उतर आए। पहले तो उन्होंने एस.डी.एम. से शिकायत की पर कार्रवाई होती नहीं देख एक ट्रेक्टर पर सवार होकर पहुंच गए शिवपुरी कलेक्टर से शिकायत करने। शिवपुरी में कलेक्टर कार्यालय के पास उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कोलारस सहकारी समिति का अध्यक्ष हरिचरण लोधी। उसने शिकायत नहीं करने की गुहार करते हुए कहा कि वह राशन दुकान ग्रामीणों द्वारा बनाई गई समिति को दे देगा। और वे लोग उसे अपने ढंग से चलायेंगें। ग्रामीणों ने उसकी बात मान ली। ग्रामीणों की एकजुटता एवं कड़े तेवर के कारण श्री लोधी ने सेल्समैन विवेक व्यास को हटा दिया और राशन दुकान ग्रामीणों द्वारा बनाई गयी समिति को सौंप दी। इस तरह ग्रामीणों को संघर्ष के बाद नियमित राशन मिलने लगा।

सहरिया बहुल भड़ौता ग्राम पांचयत में यह समस्या पिछले कई वर्षों से थी। अति गरीबी में जीवनयापन कर रहे आदिवासियों के लिये खुले बाजार से राशन खरीदना भारी पड़ता है। कई–कई दिनों तक वे दिन में एक बार खाना खाकर ही गुजारा करते रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व तक सभी के पास अंत्योदय योजना वाले पीले राशन कार्ड तक नहीं थे, पर सामाजिक कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप से उनके कार्ड बन गए। इसके बावजूद राशन दुकान के सैल्समैन की मनमानियों का वे शिकार बने रहे। उन्होंने कई बार स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत की पर सैल्समैन के प्रभाव के कारण उस पर कभी कार्यवाई नहीं हुई। खाद्यान्न सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के अनिवार्य क्रियान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायायल द्वारा 2001 में केन्द्र एवं राज्य सरकारों को दिए गए निर्देशों के बसपजूदस्थानीय शासकीय अधिकारियें द्वारा इस दिशा में उदासीनता देखने को मिलती रही। पंचायत की दलित महिला सरपंच के हस्तक्षेप पर भी स्थितियाँ नहीं सुधरी। उल्टे उन्हें भी कम राशन मिलता रहा। सेल्समैन महीने में मात्र दो–तीन दिन दो–दो घंटे के लिए दुकान खोलता था। उस समय यदि कर्मचारियों के पास पैदा नहीं होते थे, तो वे राशन से वंचित हो जाते थे। शिकायत करने पर ग्रामीणों को सैल्समैन मां–बहन की गाली देता था। उल्लेखनीय है कि पीले कार्ड पर गेहूं 2 रूपये प्रतिकिलो और चावल 3 रूपये किलो मिलता है।

गांव के 45 वर्षीय हरपाल सिंह ने बताया कि यदि ग्रामीणों के राशन कार्ड को देखा जाय, तो पूर्व में राशन वितरण में हुई गड़बड़ियों का पता चलता है। मुकंदपुरा के पातीराम ने कार्ड क्रमांक – 002997, परमाल सिंह के कार्ड क्रमांक– 002989, रामजीलाल के कार्ड क्रं– 002982 एवं भड़ौत के हरपाल सिंह के कार्ड क्रमांक– 022965 सहित कई राशन कार्डों को देखने पर पता चलता है कि सभी के कार्डों पर प्रत्येक माह राशन दिया जाना चढ़ाया गया है पर उन्हें दो माह पर राशन मिलता है। आज वे अपने संघर्ष की बदौलत नियमित राशन ले पाने में सक्षम हो गये हैं।

–0–

3- jk'ku d fy; t>r ccdk d lgfj;k

कोलारस तहसील में लगभग 25 कि.मी. पश्चिम की दिशा में जंगलों के बीच स्थित है, ग्राम बबूका , जो डोंडयारी पंचायत के अन्तर्गत आता है। इस गांव की सरपंच सरवतीबाई पत्नी कल्लू अहिरवार है जो कि डोंडयारी निवासी है। इस गांव में लगभग 30 सहरिया आदिवासी परिवार निवास करते हैं। यह गांव सुविधाओं से वंचित हैं, गुना–शिवपुरी मेन रोड से गांव तक पहुंचने के लिए कुछ दूर तो रास्ता सही है उसके बाद पथरीला है। ये लोग पूर्णतः मजदूरी पर आधारित हैं इनकी स्वतः की तथा पट्टे की जमीन पथरीली होने तथा सिंचाई का साधन न होने के कारण जीविकोपार्जन हेतु कृषि का फायदा भी नहीं ले सकते। गांव में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आज से 4 माह पहले डोंडयारी से परमार मास्टर जो कि शिक्षा गारन्टी के अंतर्गत हैं कभी–कभी पढ़ाने आता था लेकिन अब वह भी नहीं आता जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में हैं। गांव में 2 हैंडपंप हैं इसमें से भी एक पूरी तरह खराब हो चुका है दूसरा थोड़ा थोड़ा पानी देता है। गांव से 1 कि.मी. दूर एक कुंआ है जहां पर लोग पानी भरने के लिए जाते हैं।

राशन की दुकान गांव से 8 कि.मी. की दूरी पर लुकवासा में है जिसका संचालन कैलाश रघुवंशी (लुकवासा निवासी) करता है। गांव वालों से यह पूछने पर कि उन्हें राशन की दुकान से क्या–क्या और कितनी मात्रा में मिलता है ? दुकान तक जाने में किन–किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ? गांव वालों का कहना था कि हमारे पास इतना पैसा भी नहीं होता कि हम लोग बाजार से राशन खरीद सकें। हम लोग तो पीडीएस पर निर्भर रहते हैं उसमें भी दुकान संचालक की मनमानी के कारण हम अपना पूरा राशन नहीं ले पाते हैं, मात्र गेहूं 2 रुपये किलो के हिसाब से 30 किलो मिलता है। चावल तो मिलता ही नहीं है। हां, कभी कभार मिट्टी का तेल एक दो लीटर लड़ने–झगड़ने पर मिल पाता है। हमारे पढ़े–लिखे न होने के कारण राशन कार्ड पर गलत जानकारियां भी भर दी जाती हैं। महीने में कई बार चक्कर लगाने के बाद ही राशन बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। आज दिनांक 3.3.04 को हम सभी लोग राशन लेने लुकवासा जा रहे हैं ग्रामीणों की समस्या को महसूस करते हुये संस्था स्तर पर राशन संचालक से बातचीत करने के लिए लुकवासा आने को कहा क्योंकि आज हमारे साथ भोपाल और शिवपुरी से रोटी एवं काम के अधिकार अभियान के कुछ साथी भी उपस्थित थे।

ग्राम बछौरिया से पलायन की स्थिति की जानकारी लेते हुये हम सभी कार्यकर्ता लुकवासा की राशन की दुकान पहुंचे। दुकान बंद थी दुकान के बाहर लगभग 500 महिलाएं राशन की दुकान खुलने के इन्तजार में खड़े थे। इस समय दिन में लगभग 1 बज रहा था। वहां पर उपस्थित लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि यहां पर सुबह से भीड़ लगी हुई है रघुवंशी जी ने अभी तक दुकान नहीं खोली घर पर पता लगा कि यहीं कहीं पर हैं इस तरह से लोगों का इकट्ठा होना दुकान न खुलने व राशन न मिलने की समस्याओं से लोगों को आये दिन जूझना पड़ता है अगर दुकान खुलती भी हो तो किसी को राशन मिलता तो किसी को नहीं और राशन दिया भी जाता है तो कम मात्रा में देकर ज्यादा चढ़ा दिया जाता है। विरोध करने पर गाली–गलौच का सामना करना पड़ता है, इस दुकान से कई गांव वालों का राशन वितरण होता है। कुछ ग्रामीणों से बातचीत करन पर पता चला कि–

- lfurk iRuh foYy ccdk का कहना है कि राशन की दुकान गांव से 8 कि.मी. की दूरी पर है। हमें आने–जाने में 16 कि.मी. की दूरी पैदल तय करनी पड़ती है ऐसी स्थिति में हमें अगर राशन नहीं मिलता तो लगता है कि दुकानदार के साथ क्या किया जाये ? कुछ कहने पर कहता है जाओ चाहे जिससे शिकायत कर आओ राशन नहीं है और गाली–गलौच से स्वागत करता है।

- jkt ccdk का कहना है कि राशन कम देकर अधिक मात्रा में चढ़ा दिया जाता है। अगर गेहूं भर दिया तो तेल और चावल अतिरिक्त कार्ड पर चढ़ा दिया जाता है क्योंकि हम पढ़े–लिखे नहीं है तो जब किसी को कार्ड दिखाते हैं तब मालूम चलता है लेकिन इसकी मनमानी के कारण हम गरीबों को अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते हैं।

- xkVh ccdk का कहना है कि एक तो समय पर दुकान नहीं खुलती है और अगर खुलती भी है तो राशन नहीं दिया जाता है। अगर बातचीत करो तो गाली–गलौच के नीचे बात नहीं करता है एक बार मुझे तेल नहीं दे रहा था तो मैंने जबरदस्ती अपनी तेल की कट्टी ड्रम में डुबो दी थी कि तेल देना पड़ेगा तो उसे लगा कि कहीं सहरिया मुझसे भिड़ न पड़े तो फिर मुझे तेल दे दिया।

- dYykckb ¼dpuijk½& का कहना है कि मेरे यह एक छोटा बच्चा है जिसे लेकर मैं सुबह से यहां पर बैठी हुई हूं। भूख प्यास को झेलते हुये आपके सामने दुकानदार की स्थिति स्पष्ट है।

- eUuhckb ljip dpuijk का कहना है ये दुकानदार तो हमेशा मनमानी करता है हम महिला पुरुष अपना–अपना काम छोड़कर राशन लेने आते हैं और यहां आकर देखते हैं तो राशन मिलता ही नहीं दिन भर इंतजार में अपनी मजदूरी भी छोड़ देते हैं क्या बतायें शासन के द्वारा दी जा रही योजनओं का लाभ ऐसे दवंगों के द्वारा हमें कहां पूरा मिल पाता है।

> **संस्था द्वारा निरंतर पी.डी. एस दुकान एवं ग्रामवासियों का फॉलोअप किया जा रहा है वर्तमान में राशन का वितरण सुचारु रुप से चल रहा है अब ग्रामीणों का कहना है कि हमारी आवाज से दुकानदार द्वारा सही समय पर राशन दिया जा रहा है।**

राशन की दुकान पर स्थित सभी महिला पुरुषों ने अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के नाम पंचनामा बनाकर दिया जिसे संस्था कार्यकर्ता भोपाल व शिवपुरी के साथ–साथ सहारा न्यूज चैनल के सदस्यों के साथ प्रभारी एस.डी.एम. महोदय को दिया। एस डी एम शिवपुरी महोदय ने शीघ्र ही राशन की दुकान में हो रही अनियमितताओं की जांच करने के लिए खाद्य अधिकारी कोलारस को लिखित में सूचना भेजी कि तुरन्त वहां की स्थिति से अवगत करायें और जांच कर राशन वितरण नियमित कराया जाये। इस पूरी प्रक्रिया में सहारा न्यूज चैनल शिवपुरी के साथियों ने सीधे हितग्राहियों से संवाद किया। होली के त्यौहार के बाद पुनः फॉलोअप के लिये प्रभारी एसडीएम महोदय से संस्था कार्यकर्ताओं ने सम्पर्क किया तो एसडीएम महोदय का कहना था कि जांच प्रक्रिया चालू है लेकिन एवीडेन्स के रुप में ग्रामीणों का बयान हमें चाहिये।

fu"d"k& एक तरफ तो शासन का कहना है कि आदिवासियों के लिये इतनी सारी योजनायें चलाई जा रही हैं वहीं दूसरी तरफ अपनी जिम्मेदारी को नहीं खोज पा रहे हैं जहां पर पी.डी.एस. केन्द्रों की जांच करने की जिम्मेदारी शासन की बनती है लेकिन जिम्मेदारी समुदाय पर डाली जा रही है जिसका फायदा पी.डी.एस. संचालक अपनी मनमानी करके उठा रहे हैं। इसके बाद संस्था द्वारा निरंतर पी.डी.एस दुकान एवं ग्रामवासियों का फॉलोअप किया जा रहा है वर्तमान में राशन का वितरण सुचारु रुप से चल रहा है अब ग्रामीणों का कहना है कि हमारी आवाज से दुकानदार द्वारा सही समय पर राशन दिया जा रहा है।

4- y|dokl k&jk'ku dh n|dku dk i|dj.k

लुकवासा स्थित पी.डी.एस. का निरीक्षण दिनांक 3 मार्च 2004 को करके व कंचनपुरा, बबूका एवं अटूनी के सहरिया आदिवासियों से चर्चा करने पर कि राशन की दुकान का संचालक कैलाश रघुवंशी नियमित दुकान नहीं खोलता है, राशनकार्ड में गलत सूचनायें दर्ज करता है। विरोध करने पर गाली–गलौंच करता है। दुकान के 10 चक्कर मारने पर भी निर्धारित राशन नहीं मिलता है। आदि समस्याओं के विषय में एक पंचनामा बनाया गया साथ ही सहारा समय टी.वी. चैनल के सदस्यों द्वारा ग्रामीणों व दुकानदार का बयान लिया गया। इसके बाद सहारा समय के सदस्यों के साथ संस्था कार्यकर्ता व भोपाल से आये हुये सचिन जी एस.डी.एम. महोदय से सीधे संपर्क कर लुकवासा पीडीएस में दुकानदार संचालक की मनमानी से अवगत कराया।

एस.डी.एम. महोदय ने तुरन्त कार्यवाही के लिये ए.एफ.ओ. को तीन दिन के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहा। दिनांक 8 मार्च 2004 को पुनः लुकवासा प्रकरण के बारे में संस्था कार्यकर्ता एस.डी.एम. महोदय से सम्पर्क किया कि क्या कार्यवाही प्रशासन ने की है। तो उन्होंने बताया कि ए.एफ.ओ. ने लीपापोती कर दी है सही जांच नहीं की है उसने रिपोर्ट में दिखाया है, जैसे– रेट लिस्ट नहीं है आदि। अतः आप लोग उन ग्रामीणों को प्रमाण के रुप में मेरे सामने लायें जिन्होंने शिकायत की है तो मैं आगे ए.एफ.ओ. के खिलाफ भी कार्यवाही कर सकूं। 14 मार्च को पुनः एस.डी.एम. महोदय से लुकवासा पीडीएस पर चर्चा करने पर बताया कि मैंने सहकारी समिति में सभी राशन की दुकानों का राशन सील कर दिया है कल (15 मार्च 04) को मेरे सामने राशन उठेगा साथ ही सचिव की उपस्थिति में ही राशन का वितरण किया जायेगा। राशन में अपने सामने इस लिये भेज रहा हूं क्योंकि दुकान संचालक आधा राशन रास्ते से ही गायब कर देते हैं। संस्था स्तर पर आप लोग हर राशन की दुकान के लिये आदिवासी समिति बनाईये जो कि निगरानी करेगी और अपने सामने ही राशन का वितरण करवायेगी जिससे राशन का वितरण सुचारु रुप से हो सके।

लुकवासा पीडीएस के बारे में एवं जिन ग्रामों के आदिवासियों को राहत कार्य का अनाज अभी तक नहीं मिला है, उन ग्रामों का आवेदन पुनः 15 मार्च 2004 को एस.डी.एम. को दिया और चर्चा की। लुकवासा पी.डी.एस. बारे में बताया कि खाद्य अधिकारी ने उसमें लीपापोती कर दी है वह मेरा सहयोग नहीं कर रहा है लेकिन मैं खुद छानबीन करुंगा। सहारा समय न्यूज चैनल के सदस्यों के साथ 16 मार्च 04 को संस्था कार्यकर्ता खाद्य अधिकारी से मिले और खाद्य अधिकारी से लुकवासा पी.डी.एस. के बारे में की गयी कार्यवाही से अवगत कराने का कहा तो खाद्य अधिकारी ने कुछ भी जबाव देने से मना कर दिया। उसका कहना था कि मैंने एस.डी.एम. महोदय से रिपोर्ट कर दी है आप लोग एस.डी.एम. साहब से सम्पर्क करे। एस.डी.एम. से तुरन्त सम्पर्क कर खाद्य अधिकारी के द्वारा किये गये व्यवहार से अवगत कराया गया और साथ में संस्था कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि खाद्य अधिकारी को तुरन्त निलम्बित किया जाये नहीं तो हम लोग सीधे कलेक्टर से बातचीत करेंगे। एस.डी.एम. महोदय ने कहा कि पहले मैं कल सीधे लुकवासा पी.डी.एस. जाकर स्वयं निरीक्षण करुंगा और सारी परिस्थितियों से अवगत होऊँगा।

संस्था के कार्यकर्ता एस.डी.एम. महोदय से दिनांक 23 मार्च को मिले और उन्हें निगरानी समिति के सदस्यों के नाम की सूची दी। एस.डी.एम. ने कहा कि कल मार्केटिंग सोसायटी के सचिवों के एक मीटिंग है उस मीटिंग में मैं इस निगरानी समिति के सदस्यों की सूची दे दूंगा जिनकी उपस्थिति में हर राशन की दुकान पर राशन का वितरण किया जायेगा। साथ ही मार्च माह में आवंटित राशन की लिस्ट उपलब्ध करायी। फिर 24 मार्च 04 को ग्राम बबूका गये वहां पर ग्रामीणों से लुकवासा पी.डी.एस. के बारे में चर्चा की गयी कि अब राशन की दुकान की क्या स्थिति है तो लोगों ने बताया कि शुरुआत में दो–चार दिन दुकान संचालक रघुवंशी ने तो परेशान किया है लेकिन वर्तमान में वह राशन दे रहा है साथ ही तेल व चावल जिसको लेना हो ले सकता है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी से सूखा राहत का अनाज अभी तक नहीं वितरण होने के बारे में चर्चा की गयी। क्योंकि पूर्व में एस.डी.एम. महोदय को जिन गांवों में सूखा राहत कार्य का अनाज अभी भी बाकी है उनके आवेदन व लिस्ट दी जा चुकी जिसे एस.डी.एम. महोदय ने सी.ई.ओ. को कार्यवाही के लिये प्रेषित किया था, जिसके बारे में सी.ई.ओ. साहब से चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि अभी ऊपर से ही अनाज नहीं आया है जब आयेगा तो शीघ्र बंट जायेगा। पुनः मजदूरी के लिये बात करने पर कि आदिवासी पलायन के पश्चात मजदूरी कहां करेंगे तो सी.ई.ओ. महोदय ने कहा कि पहले पूर्व में किये कार्यों का अनाज तो आ जाये साथ में अतिरिक्त अनाज व पैसा हो तो पुनः कार्य चालू कराया जा सकता है।

5- ^^l|[kk jkgr o iyk;u**

15/3/04 को जिन ग्रामों के सहरियाओं को सूखा राहत कार्य का अनाज अभी तक नहीं मिला उनकी सूची व आवेदन एस.डी.एम. महोदय को दी गयी और शीघ्र ही सूखा राहत का अनाज दिलवाने की बात की गयी। एस.डी.एम. महोदय ने आवेदन को कार्यवाही के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रेषित किया।

–0–

6- i|Hkn;ky vkfnokl h

मैं प्रभुदयाल आदिवासी ग्राम पंचायत बड़ैरा तहसील पिछोर, जिला शिपुरी म.प्र. को निवासी हूं। हमारी पंचायत की तहसील से 12 किमी की दूरी एवं जिले से दूरी लगभग 82 किमी है। हमारी पूरी ग्राम पंचायत का क्षेत्र पहाडियों से घिरा हुआ है। कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है इसलिये हमारी ग्राम पंचायत पूरी तरह से गरीबी की चपेट में है। हमें मजदूरी भी नहीं मिलती, लेकिन सरकार ने हमें राशन के लिये जो अन्त्योदय कार्ड दिये हैं उससे हमें बड़ा सहारा मिला। लेकिन राशन की दुकान का न खुलना और सेल्समेन की धांधली के कारण हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राशन की दुकान माह में एक या दो दिन ही खुलती है और जो

सेल्समेन है वह भी हमारी पंचायत का नहीं है। कब दुकान खुलेगी और कब नहीं खुलेगी इसका कोई पता ही नहीं चलता है। कभी–कभी हमें दो–दो माह का राशन नहीं दिया जाता है। अभी तक नवम्बर और दिसम्बर का गेहूं आवंटन नहीं किया गया है। हमारी अज्ञानता के कारण एक माह का राशन दिया जाता है और दो माह का चढ़ा दिया जाता है। हमें एक माह का 30 किलो गेहूं दिया जाता है जो 2 रू. प्रति किलो की दर से मिलता है। लेकिन जब हम उसको घर पर तौलते हैं तो कम से कम दो किलो गेहूं कम निकलते है। 28 किलो गेहूं में हमारे परिवार का पालन–पोषण अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। जिससे हमें घर छोड़कर पलायन पर जाना पड़ता है। परिवार का पालन–पोषण करने के लिये हमें गेहूं काटने भिण्ड, ग्वालियर, दतिया जिलों में जाना पड़ता है। वहां हम लगभग तीन माह तक कटाई के साथ–साथ मजदूरी भी करते है। इसके बदले में हमें केवल दो–तीन सौ किलो गेहूं मिल पाता है, जो हमें बरसात के दिनों में खाने के काम आता है। इस दौरान हमारे बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से छूट जाती है और वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मार्च–अप्रैल में ही बच्चों की परीक्षा होती है और बच्चे परीक्षा देने से वंचित रह जाते है। आगे नहीं बढ़ पाते हैं इस तरह बच्चे भी मजदूरी के लिये विवश हो जाते हैं।

हमें सेल्समेन द्वारा कभी–कभी दो–दो माह तक चावल भी नहीं दिया जाता है जब मिलता है तो 3 रू. प्रति किलो की दर से सिर्फ 2 किलो। मिट्टी का तेल भी 3 लीटर दिया जाता है जिसकी दर 10 रू. प्रति लीटर होती है जबकि निर्धारित दर 8.88 रू. है। ज्यादातर राशन की दुकानों की खाद्य सामग्री एवं मिट्टी का तेल रात में बेच दिया जाता है और हम गरीब लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाता। इसलिये हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमें खाद्य सामग्री नियमित रूप से मिले ताकि हम अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण–पोषण कर सकते हैं।

–0–

7- Øks/k vkfnoklh

मध्यप्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले में पिछोर विकासखण्ड के अन्तर्गत आने वाला ग्राम नांद है। ग्राम पांचायत नांद से तहसील पिछोर की दूरी 9 किमी है तथा जिला शिवपुरी से लगभग 91 किमी है। मैं क्रोध आदिवासी ग्राम पंचायत नांद का निवासी हूं और मैं शासकीय माध्यमिक विद्यालय नांद में कक्षा 5 तक पढ़ा हूं। जिससे मैं ज्यादा कुछ लिख पढ़ नहीं पाता हूं। मैंने अपने गांव में एक राशन की दुकान का हाल अपनी आंखों से देखा है और ये हाल इस प्रकार है –

1. **jk'ku dh nqdku dk fu;fer u [kqyuk &** हमारे ग्राम की दुकान माह में 2 से 3 दिन ही खुलती है, वो भी जब खुलती है तब उस पर राशन आ जाता है तभी मुश्किल से 2 दिन ही सही तरह से खोली जाती है।
2. **35 fdyks jk'ku u feyuk &** हमारे यहां तो 30 किलो गेहूं, 2 किलो चावल दिया जा रहा है और 30 किलो गेहूं में से 2 या 3 किलो गेहूं कम निकलता है, हमसे पैसे 30 किलो गेहूं के लिये जाते हैं।

3. **jk'ku dh ek=k xyr ntZ djuk &** हमारे राशन कार्ड पर 30 किलो गेहूं, 5 किलो चावल दर्ज किये जाते हैं। जबकि हमें मात्र 2 किलो चावल दिये जाते हैं और इसका काराण पूछते हैं तो सेल्समेन कहता है कि मैं आपका चावल गेहूं अगले महीने पूरा दे दूंगा।

4. **'kDdj dk fu;fer forj.k u gksuk &** हमारे गांव का सेल्समेन शक्कर तो हमको बताता ही नहीं है। अगर हम लोग सेल्समेन से पूछते हैं कि आप शक्कर नहीं लाते हैं तो सेल्समेन कहता है कि शक्कर सरकार के यहां से नहीं आ रही है। शक्कर का हम ग्रामीणों को पता ही नहीं चलता है कि शक्कर आई है या नहीं। इसलिये हम लोग शक्कर पर बात नहीं करते हैं क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं।

5. **feV~Vh dk rsy dh nj vf/kd olwy djuk &** एक लीटर मिट्टी के तेल के 10 रू. वसूल करता है जबकि शाासकीय निर्धारित दर 8.88 रू. है। हमको हर माह में मिट्टी का तेल नहीं दिया जाता है। हमारे यहां के सेल्समेन का नाम अजब सिंह लोधी है और वह दो पंचायतों के लिये राशन की दुकान का काम कारता है।

–0–

dsl v/;;u

एक अजब और आंखों देखी कहानी व शब्द जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान के बारे में हर गांव में चर्चित विषय रहता है। जिसमें कम तौलना, नियमित दुकान का न खुलना आदि यह सब समस्यायें गांव के लोगों के लिये आदत सी बन गयी है। इसका कारण हमारी स्वयं की अज्ञानता है, लेकिन हम सभी ने और मैने स्वयं इस बात पर जोर देने के बाद सोचा कि जब जागो तभी सबेरा। इस पर मैं खलक सिंह आदिवासी व अन्य लोगों ने सेल्समेमन से पूछा कि भईया दुकान कब खोलोगे, तो उसने कहा कि जब समय मिलेगा तब खोलूंगा।

चूंकि हमारी पंचायत में दो गांव आते हैं कोटरा और खैरवास। जिसकी कोटरा पंचायत खैरवास से दूरी 4 किमी है और हमारे गावं में दुकान न होने के कारण हम उसके खुलने के समय पर जाने के लिये मजबूर हैं। जैसे–तैसे हम एक दिन दुकान खुलने के समय सभी जिसमें सुनील आदिवासी, उत्तमचंद आदिवासी, खलकसिंह आदिवासी और लालू आदिवासी सभी इकट्ठे होकर कंट्रोल की दुकान पर जा पहुंचे और निवेदन करने पर उसने हमें नवम्बर माह का गेहूं दिया जिसमें 30 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया। घर पहुंचने

पर मैने अपने साथियों से चर्चा की कि क्यों न हम सभी अपना–अपना गेहूं तौल करदेखे तो उसमें गेहूं की मात्रा 2 किलो कम निकली। हमारी अज्ञानता का फायदा लेते हुये सेल्समेन ने उस राशन कार्ड पर मिट्टी का तेल और चढ़ा दिया। अब हम घर आये तो कुछ पढ़े लिखे युवकों को कार्ड दिखाने पर पता चला कि कार्ड पर तेल भी चढ़ाया गया है और फिर मैंने और मेरे साथियों ने पूछा कि भाई तेल कब मिलेगा, तो सेल्समेने ने अगले दिन आने को कहा। अगले दिन पहुंचे तो दुकान बंद मिली। इस प्रकार हमारे चक्कर लगाने पर एक दिन दुकान खुली मिल गई, तो भाई साहब ने कहा कि तेल खत्म हो गया है। अर्थात् प्रत्येक राशन कार्ड पर 3 लीटर तेल मिलता है लेकिन वह कहां गायब हो जाता है सेल्समेन जाने।

ग्राम कोटरा तहसील पिछोर के अन्तर्गत हम सभी लोगों को नवम्बर माह में 30 कि. ग्रा. गेहूं मिला और हम लोगों के कहने पर हमारी नजदीकी दुकान के सेल्समेन ने कहा कि मुझे कोई आदेश नहीं है कि तेल, शक्कर, चावल तुम्हे दूं। निवेदन करने पर कहा कि तुम्हे जो दिखे सो कर लेना। खलक सिंह व अन्य लोगों ने गेहूं की तौल की तो वह प्रत्येक सदस्य पर 2 कि. ग्रा. कम निकला। नवम्बर 2004 माह में सेल्समेन ने राशन कार्ड इकट्ठे करके सब कुछ बिना हम लोगों को दिये ही चढ़ा दिया। सेल्समेन ने उस दिन कह दिया कि अब शाम हो गई है। अब कल बांट दिया जायेगा, किन्तु हम सभी दूसरे दिन भी कंट्रोल पर पहुंचे तो सेल्समेन ने कहा कि पटवारी से पूछकर ही तुम्हे कुछ मिलेगा।

–0–

1- xke& [kkM

> **मिट्टी का तेल खाद्यान्न सामग्री वितरण होने के बाद किया जाता है जिसमें हम मजदूरी करने निकल जायें या पता ही न चले। अगर हम पहुंच भी जाते हैं तो भगा दिया जाता है कि जब मिट्टी का तेल बांटा जाता है तब क्यों नहीं आते, तो हमें वापिस लौट्ना पड़ता है और हमारे हिस्से का तेल दूसरे लोगों को दे दिया जाता है।**

ग्राम खोड़ में सभी जाति के लोग निवास करते है। तथा मतदाता जनसंख्या लगभग 2264 तक है। ग्राम खोड़ से ब्लाक की दूरी 25 किमी तथा जिला मुख्यालय की दूरी लगभग 76 किमी है। ग्राम से पिछोर ब्लॉक को जाने के लिये पक्की सड़क है व जिला मुख्यालय को जाने के लिये पक्की सड़क है। ग्राम खोड़ की पंचायत की उचित मूल्य की दुकान से खाद्याान्न वितरण किया जाता है। ग्राम खोड़ के आदिवासियों के 75 परिवार निवास करते हैं, जिनके गरीबी रेखा के अन्त्योदय कार्डों की संख्या 73 है। इन्हीं परिवारों में से मैं रतनलाल सांवले आदिवासी ग्राम खोड़ का निवासी हूं। मैं यहां अपने जन्म से ही निवास कर रहा हूं। मै यहां लगभग 50 वर्ष से रह रहा हूं मेरे ग्राम में वर्तमान में शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सम्बन्ध में कुछ जानकारी इस प्रकार है –

राशन की दुकान माह में 15 दिन ही खोली जाती है जिससे 1 अन्त्योदय कार्ड पर 33 किलो खाद्यान्न दिया जाता है। जिसमें एक कार्ड पर 2 रू. किलो के हिसाब से 30 किलो गेहूं एवं 2 रू. किलो के हिसाब से चावल वितरित किया जाता है। सेल्समेन तौलते समय कांटा मार देता है जिसमें गेहूं 30 किलो के स्थान पर 28 किलो ही मिल पाता है। इसी प्रकार मिट्टी का तेल 10 रू. प्रति लीटर के हिसाब से 3 लीटर मिलता है। मिट्टी का तेल, खाद्यान्न सामग्री वितरण होने के बाद किया जाता है जिसमें हम मजदूरी करने निकल जायें या पता ही न चले। अगर हम पहुंच भी जाते हैं तो भगा दिया जाता है कि जब मिट्टी का तेल बांटा जाता है तब क्यों नहीं आते, तो हमें वापिस लौटना पड़ता है और हमारे हिस्से का तेल दूसरे लोगों को दे दिया जाता है।

अगर इसी प्रकार राशन की दुकान चलती रही तो हमारा तेल इसी प्रकार लोगों को बांटा जायेगा। अगर राशन की दुकान सही समय पर व सरकारी छुट्टी छोड़कर खोली जाये तो हम लोगों तक राशन पूर्ण रूप से पहुंच सकेगा और प्रत्येक राशन कार्ड पर 35 किलो खाद्याान्न दिया जाना चाहिये पर ये सब नहीं हो रहा है। हम लोगों को 32 व 33 किलो खाद्यान्न बांटा जा रहा है इसी में से गेहूं 30 किलो, चावल 3 किलो ही मिल पाते है। कुछ माह से 2 किलो चावल ही मिल पा रहा है। मगर उनसे कहा जाये तो सेल्समेन के द्वारा कहा जाता है कि ऊपर से नहीं आया तो मैं कहां से दूं ? बस फिर कहने को कुछ नहीं बचता है। यदि हम ज्यादा कहते हैं तो जवाब मिलता है कि जहां जाना है वहां चले जाओ। शासन के द्वारा खाद्याान्न पूरी मात्रा में नहीं दिया जाता है तो फिर सेल्समेन कहां से बांटेगा। इसी प्रकार हम लोगों को अपने ग्राम पंचायत में मजदूरी न मिलने से हम लोग पलायन कर जाते हैं और अपने बच्चों को भी साथ में ले जाना पड़ता है। हम यह भी जानते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकेगी पर हम अपने बच्चों को भूखा तो नहीं देख सकते हैं और किसके सहारे बच्चों को छोड़कर पलायन पर जायें। इसी कारण से हम लोग विकसित नहीं हो पाते। ग्राम पंचायत या ठेकेदार द्वारा मशीनों से कार्य करवाया जाता है अगर शासन हमारी पंचायतों में रोजगार/मजदूरी दी जाये तो पलायन पर रोक लगाई जा सकती है।

–0–

2- xke& ceuk

शिवपुरी जिले में पिछोर विकाससखण्ड के अन्तर्गत आने वाला ग्राम है बमना। ग्राम पंचायत बमना से तहसील पिछोर की दूरी 5 किमी है तथा जिला शिवपुरी से लगभग 87 किमी है। हमारे ग्राम बमना में कई समुदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग। इन सभी में पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के समुदाय पैसे वाले हैं। हमारे गांव में रोजगार का कोई साधन नहीं है। हम गरीब अपने एवं बच्चों के पालन–पोषण के लिये मजदूरी की तलाश में अपने गांव के आसपास के गांवों में या इधर कहीं मजदूरी न मिलने पर हम अपने परिवार सहित गांव छोड़कर रोटी की तलाश में अन्य जिलों में जैसे भिण्ड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया आदि में जिलों में जाने को विवश हो जाते हैं। पलायन करने से हमारे बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है और शिक्षा से

हमारे बच्चे वंचित रह जाते हैं। हमारे बच्चे वयस्क होकर हमारी ही तरह मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं। इसी कारण से हमारा विकास रूका हुआ है।

इसी प्रकार वर्तमान में शासकीय उचित मूल्य की दुकान माह में लगभग 5 दिन खुलती है और जब खुलती है तब उसमें राशन नहीं रहता। कभी–कभी राशन एवं मिट्टी का तेल होते हुये भी दुकान को समय पर नहीं खोला जाता है। इसका कारण यह है कि सेल्समेन गांव में गांव वालों के साथ जुआ खेलने में व्यस्त रहता है। यदि हम अपना राशन एवं मिट्टी का तेल लेने जाते हैं तो हमें जुआ वालों का अड्डा सबसे पहले खोजना पड़ता है। यदि हमें सेल्समेन वहां मिल भी जाता है तो कभी–कभी कल आने की कहकर भगा दिया जाता है। हम उसके कहने पर दूसरे दिन भी दुकान पर राशन मिलने की आशा में पहुंचते हैं तो हमें राशन मिल जाता है मगर घर आने पर या आटा चक्की पर जब उस राशन को तैलते हैं तो 30 की जगह सिर्फ 28 किग्रा ही निकलता है। सिर्फ 28 किग्राम गेहूं हमारे पास बचता है जो हमारे परिवार के पालन–पोषण के लिये पेर्याप्त नहीं है। यह गेहूं हमें अन्त्योदय कार्ड पर दिया जाता है। इस कार्ड पर हमें 30 किग्राम गेहूं रू. 2 प्रति किलो तथा प्रत्येक कार्ड पर 2 किलो चावल 3 रू. किलो के हिसाब से दिये जाते हैं। इसी प्रकार मिट्टी का तेल भी प्रत्येक कार्ड पर 3 लीटर 10 रू. प्रति लीटर की दर से दिया जाता है जबकि निर्धारित दर रू. 8.88 है।

इस अव्यवस्था के कारण गांव में जितने डीजल पंम्प फसल की सिंचाई के लिये चलते हैं वह म्टिी के तेल से ही चलते हैं। यह मिट्टी का तेल अवैध रूप से कंट्रोल की दुकान से रातों–रात दिया जाता है। जब हम अपने अन्त्योदय कार्ड लेकर दुकान पर जाते हैं तो पता चलता है कि तेल खत्म हो गया है। हमें अपनी झोपड़ियों में अंधेरे में ही रहना पड़ता है। इसी प्रकार इस दुकान के खुलने का कोई निश्चित समय नहीं है। गेहूं भी माह के 15–20 दिन निकल जाने के बाद ही दुकान पर आता है। अगर हम कहते हैं तो सेल्समेन कहता है कि ऊपर वालों ने ही नहीं भेजा। यदि कंट्रोल की ऐसी ही स्थिति बनी रही तो इससे अच्छा हमें पलायन से ही नहीं लौटना बेहतर होगा और सरकार से हमें किसी प्रकार की सहायता की उम्मीद नहीं रखना चाहिए।

–0–

3- jk'ku dk dq'kklu ls t>rk lgfj;k

शिवपुरी जिले के कोलारस विकासखण्ड में सहरिया समुदाय के लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। जहां पर एक तरफ सरकार का कहना है कि शासन के पास गोदामों में राशन सड़ रहा है वहीं दूसरी तरफ हमारा सहरिया समुदाय भूखों मर रहा है। जिसका जीता–जागता उदाहरण विगत माह राजस्थान में लगभग 34–35 सहरिया आदिवासियों की मौतें हैं। हमारा सहरिया ही क्यों मौत के मुंह में जा रहा है क्योंकि उसके पास न तो काम है और न ही भरपेट भोजन के लिये कोई रास्ता है। वह मात्र मजदूरी है वह भी पर्याप्त नहीं है अतः सहरिया जाति के सामने गंभीर समस्या हैं। शासन के द्वारा चलायी जा रही योजनायें भी सहरियाओं को नहीं मिल पा रही हैं चाहे वह आई.सी.डी.एस हो, मातृत्व सहायता हो, सामाजिक सुरक्षा हो या फिर पी.डी.एस. ही क्यों न हो। ये सारी योजनायें सीधे सहरियाओं के जीवन से जुड़ी हुई हैं। पी.डी.एस. की हालत तो इस क्षेत्र में बहुत खराब है। लोगों को अपने अधिकार भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे शासन पर सवाल खड़ा करना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इन क्षेत्र में पी.डी.एस संचालक द्वारा विभिन्न प्रकार की हरकतें आये दिन देखने को मिलती हैं, जैसे –

- समय पर दुकान न खोलना।
- उचित मात्रा में राशन न देना।
- कार्ड पर गलत जानकारी देना।
- दुर्व्यवहार करना।
- कार्डों को रख लेना आदि।

–0–

4- ?ku';ke

घनश्याम आदिवासी निवासी ग्राम भड़ौत पंचायत भड़ौता। इस ग्राम में 32 घर सहरिया आदिवासी हैं जिनका मुख्य व्यवसाय मजदूरी है। ये सारे परिवार अन्त्योदय कार्ड धारी है। ग्राम भड़ौता में राशन की दुकान है। ग्राम में पी.डी.एस. होने के बावजूद भी इस ग्राम के लोगों को समय से राशन नहीं मिल पाता है। ग्राम के आदिवासी घनश्याम जिसकी उम्र 45 वर्ष है। जिसके घर में 6 हैं। इनका कहना है कि हमारा व्यवसाय मुख्य रूप से मजदूरी है। जब हम गेहूं, चावल व केरोसीन लेने राशन की दुकान जाते थे तो दुकान संचालक (विवेक व्यास) हमें परेशान करता था गाली–गलौज के साथ ही कार्ड पर गलत जानकारी भी दर्ज करता था 2 महीने की इट्री करता था और एक महीने का राशन देता था। जब मर्जी होती थी तब दुकान खोलता था, जिससे परेशान होकर हम लोग एफ.ओ.एस.डी. एम. से लिखित में कई बार शिकायत भी की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। सभी कलेक्टर महोदय शिवपुरी के पास गये। इसी बीच सोसायटी मैनेजर हरिचरण सिंह लोधी आया और ऐसी गल्ती नहीं होगी और दुकान का संचालन हमारे हांथों में देने का आश्वासन दिया। कुछ दिन तो दुकान स्वयं हरिचरण लोधी ने खुद चलायी लेकिन फिर भी वही स्थिति है समय पर राशन नहीं मिल रहा है।

–0–

5- gjiky vkfnoklh

हरपाल का कहना है कि दुकान संचालक हमारे साथियों को गाली गलौज के साथ–साथ ही जान से मारने की धमकी भी देता था। राशन मांगने पर कहता था कि अभी नहीं आया जब आयेगा तब दूंगा तथा राशन पहले ही उठाकर ब्लैक कर लेता था। फिर भी हम सभी ग्रामीण में अपना साहस नहीं खोया और लड़ाई लड़ी यहां तक कि हम लोग भी उल्टा लड़ने के लिये तैयार हो जाते थे और जवाब देने की स्थिति में आ जाते थे।

–0–

6- xkVh vkfnoklh

उम्र 30 ग्राम बबूका पंचायत डोंडमाई निवासी गोटी का कहना है कि हमारे गांव से 8 किमी की दूरी पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन की दुकान लुकवास में स्थित है। हम लोग जाते थे राशन लेने तो दुव्यवहार करता था। एक बार मैं राशन लेने के लिये गया और केरोसीन मांगा तो दुकान के संचालक (कैलाश रघुवंशी) ने गंदी गाली दी और कहा कि आज तो है नहीं मेरे पास तेल वेल जब मैने जबरदस्ती की तो कहा कि – '' तू ने अगर जबरदस्ती की तो ऐसी पिटाई करूंगा कि जिन्दगी भर याद करेगा।'' फिर मुझे गुस्सा आया तो मैंने कहा कि अब तो मैं तेल लेकर ही जाऊंगा। इसी बीच भैयालाल आदिवासी से उसकी लड़ाई हो गयी तो मुझे मजबूरीवश लौटना पड़ा। अगर राशन मिल जाये तो ठीक नहीं तो फिर नहीं मिलेगा। अक्सर हम लोगों के साथ गाली–गलौज होता रहा शिकायत भी करते हैं तो कुछ नहीं होता और राशन मिलने में बहुत परेशानी होती है।

–0–

7- y{e.k

बबूका निवासी लक्ष्मण का कहना है कि दुकान का संचालक हमें आये दिन गाली गालौज करके भगा देता था और कहता था कि जाओ चाहे जिसके पास मेरी शिकायत कर आओ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पायेगा मैं ठाकुर हूं। ज्यादा करोगे तो सालों मारूंगा भी। लेकिन अभी भी कभी–कभी हमसे वह गाली–गालौज कर देता है।

–0–

ftyk & flouh

ग्राम बेलटोला, पंचायत खांखरा, सिवनी जिले के कुरई ब्लाक के अंतर्गत छोटा सा गांव है। यह ग्राम सोपान के लक्ष्य क्षेत्र में स्थित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली दुकान ग्राम चक्की खमरिया में है जिसका पंजीयन क्रमांक 667 है। इस दुकान से गेहूं, चावल एवं मिट्टी तेल ग्रामवासियों को मिलता है। इस दुकान से बेलटोला, कटंगीबंजर, राजाबर्रा, ,खांखरा, भालीवाड़ा और चक्की खमरिया ग्राम के ग्रामवासी लाभान्वित होते हैं। यह दुकान माह में 8 दिन एवं सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं मंगलवार को खुलती है। ग्राम बेलटोला की कुल जनसंख्या 300 है जिसमें कुल बीपीएल परिवार 27 एवं अन्त्योदय परिवार 01 है। इस गांव के लोग चक्की खमरिया सोसायटी से गेहूं, चावल, एवं मिट्टी तेल खरीदते हैं। किन्तु आए दिन इस दुकान से गांव के लोगों को समस्या आते रहती है। दुकान सप्ताह में दो दिन (सोमवार, मंगलवार) को खुलने के कारण लोगों को परेशानी होती है। इससे लोगों को पर्याप्त राशन नहीं मिल पाता है और न ही सामग्री पर्याप्त मात्रा में मिल पाती है।

माह जुलाई में दिनांक 05/07/2004 को ग्राम बेलटोला की श्रीमति सिद्ध्या बाई एवं श्रीमति शारदा बाई मिट्टी तेल लेने के लिए राशन दुकान गईं वहां उन्होंने देखा कि मिट्टी तेल लेने वालों की एक लम्बी कतार लगी हुई थी उसी में दोनों महिलाएं भी लग गईं। बहुत समय के बाद इनका नंबर आया। दोनों महिलाओं ने सेल्समेन से 5 लीटर मिट्टी तेल की मांग की और कार्ड एवं 5 लीटर तेल का पैसा देने लगीं। सेल्समेन ने 4 लीटर केरोसिन के पैसे लौटाते हुए कहा कि उन्हें केवल 1 लीटर मिट्टी तेल मिलेगा। महिलाओं ने सेल्समेन को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उन्होंने पिछले दो माह से मिट्टी तेल नहीं लिया है, गांव में बिजली गुल रहने के कारण अंधेरे में रहना पड़ेगा। किन्तु सेल्समेन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और उसने महिलाओं से कहा कि स्टाक में मिट्टी तेल उपलब्ध नहीं है इसलिए एक लीटर मि्ट्टी तेल ही मिलेगा लेना हो तो लो वरना चले जाओ। सिद्ध्या बाई और शारदा बाई सोपान द्वारा गठित स्वसहायता समूह एवं महिला संघ की सदस्य हैं सेल्समेन के व्यवहार से उन्हें निराशा जरूर हुई किन्तु वहां से जाने के बजाय वे बाजू में खड़ी होकर वे सेल्समेन की गतिविधियों को देखती रहीं।

इसी बीच चक्की खमरिया ग्राम के पटेल का एक लड़का 20 लीटर का केन लेकर आया और उसने सेल्समेन से बात की और सेल्समेन ने बिना कुछ कहे उसे 20 लीटर मिट्टी तेल दे दिया। यह देखकर महिलाओं को पटेल और सेल्समेन की मिलीभगत समझ में आ गई उनसे रहा नहीं गया और आवेश में आते हुए उन्होंने सेल्समेन से सवाल किया कि ''हम जैसे गरीब लोगों को देने के लिए मिट्टी तेल नहीं है और इन बड़े लोगों के लिए कहां से आता है? उनके लिए क्या कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है? संयोग से, सोमवार का दिन था और इस दिन ग्राम चक्की खमरिया में साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था इस दिन बेलटोला गांव के अधिकांश महिला–पुरुष बाजार करने चक्की खमरिया आते हैं। मौका देख दोनों महिलाओं ने अपनी गांव की महिला–पुरुषों को पुकारना शुरू किया। यह देखकर सेल्समेन उठा और उन महिलाओं को समझाने लगा और कहा कि आपको जितना तेल चाहिए आप लेकर जाएं। इस पर सिद्ध्या बाई ने कहा– ''तुम हमें नहीं जानते, हम अकेले नहीं हैं हमारा 22 गांवों की महिलाओं का संगठन है आज तो हम मिट्टी तेल लेकर जाएंगे ही किन्तु आज के बाद अगर किसी भी महिला पुरुष के साथ ऐसा होता सुना तो हम सब महिलाएं धरना देंगी तथा आपकी शिकायत कलेक्टर महोदय को करेंगी।'' महिलाओं अपने सामने ही कतार में खड़े सभी लोगों को आवश्यक सामग्री दिलवायी। महिलाओं के सूझ–बूझ एवं जागरुकता के कारण राशन दुकान से आने वाली समस्या का अन्त हुआ और व्यवस्था में सुधार हुआ तब से आज तक व्यवस्था ठीक है।

& [k|'kjke iokj

—0—

mfpr eY; n|dku Xokjh dk y|dj gk|u| okyh i j|'kkuh

n|dku d| vU rx|r vku| okys xke& Xokjh] d|MkMkcjh] cM<h] cy i|V

dk|y jk'kudkM| dk fooj.k				
,-ih-,y&	ग्वारी	201	बेलपेट पंचायत के कुल कार्ड–	532
	बेलपेट	215		
ch-ih-,y &	ग्वारी	218	ग्वारी पंचायत के कुल कार्ड–	459
	बेलपेट	258		
vUR;kn; ;kstuk &	ग्वारी	40		
	बेलपेट	59		

1½ xjhch j|[kk dkM| e| vukt ,o| feVVh r|y y|u| i j gk|u| okyh leL;k& कार्ड हितग्राही गरीबी की समस्या से जूझते हुए कुछ राशि लेकर राशन दुकान तक पहुंचते हैं, तो उनके पास सप्ताह के दौरान दो दिन होते है जब इनको राशन मिलता है। जितना पैसा होता है उसी के हिसाब से वे राशन, मिट्टी का तेल लेते हैं। लेकिन सेल्समेन द्वारा जितना राशन दिया जाना चाहिए उतना अंकित कर दिया जाता है परन्तु हितग्राहियों को उससे कम दिया जाता है इसके अलावा निर्धारित रेट से अधिक

राशि ली जाती है, गेहूं– 5.00 प्रति किलोग्राम, चावल– 6.50 प्रति किलोग्राम। 20 किलोग्राम से अधिक राशन नहीं दिया जाता। जब हितग्राही कभी–कभी अधिक राशन लेने की बात करते हैं तो उन्हे मंहगे रेट पर राशन दिया जाता है, माह में केवल एक बार ही वस्तु हितग्राही को प्राप्त होती है दूसरी बार सेल्समेन द्वारा उसके कार्ड पर अनाज दिया ही नहीं जाता। चाहे वह कम अनाज लाए या पूरा। अंकित कार्ड में पूरा कर दिया जाता है मिट्टी का तेल लाए अथवा नहीं लाए पूरा अंकित कर दिया जात है। इस प्रकार बचे हुए अनाज की कालाबाजारी कर दुकानदारों को बेच दिया जाता है।

2½ ,-ih-,y- dkMZ ij gkuh okyh leL;k& एपीएल के कार्डधारी हितग्राही को इसके कार्ड पर राशन एवं शक्कर दी ही नहीं जाती। अगर दिया जाता है तो बाजार दर पर। इस समस्या को देखते हुए हितग्राही बाजार से ही राशन लेना पसंद करते हैं। इनके कार्ड पर केवल मिट्टी का तेल ही दिया जाता है।

3½ vUR;kn; dkMZ dk ysdj ykxk dh leL;k& अन्त्योदय कार्ड के हितग्राही की प्रथम समस्या राशि न होना, बड़ी मुश्किल से जब इनके पास राशि होती है तो वे अपने कार्ड को लेकर राशन दुकान तक जाते हैं। उपलब्ध राशि के अनुसार वे अनाज ले लेते हैं। कुछ लोग ज्यादा की मांग करते हैं तो उन्हें स्टाक की कमी बताकर कम अनाज दिया जाता है और कार्ड में पूरा अंकित कर दिया जाता है। सोपान के कार्यकर्ताओं ने हितग्राहियों से जानकारी ली तो पता चला कि मांग करने पर भी उन्हें 20 या 25 किलोग्राम राशन दिया जाता है किन्तु कार्ड में 35 किग्रा की एन्ट्री की जाती है। अनपढ़ ग्रामीण आदिवासी इसे समझ नहीं पाते हैं। पैसा होने पर जब वे माह के अंत में दुबारा राशन लेने जाते हैं तो पुनः राशन आया ही नहीं कहकर उन्हें वापस कर दिया जाता है। मजबूरन, गरीब ग्रामीणों को अधिक दाम पर साहूकार से अधिक दाम पर अनाज खरीदना पड़ता है। सोपान कार्यकर्ताओं द्वारा जानकारी मिलने जब वे निर्धारित 35 किग्रा की मांग करते हैं तो उन्हें धमकाकर चुप रहने को कहा जाता है। बचा हुआ अनाज कुछ अधिक दाम पर साहूकारों को बेच दिया जाता है। इस प्रकार, गरीबों की रोटी छीनकर उचित मूल्य राशन दुकानदार और साहूकार मुनाफाखोरी का धन्धा कर रहे हैं।

–0–

ग्राम– आगरी,
पंचायत– थावरझोड़ी
पीडीएस दुकान का स्थान – ग्राम थावरझोड़ी
दुकान खुलने का दिन – प्रत्येक शुक्रवार
पीडीएस में से लाभान्वित कुल ग्राम– 4
– थावरझोड़ी, आगरी, चिखला, ऐरमा)

ग्राम आगरी कुरई विकासखण्ड के अन्तर्गत पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन में बसा एक राजस्व ग्राम है। जहां लगभग 55–56 आदिवासी परिवार निवास करते हैं जिनमें से आधे से ज्यादा परिवार सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर उस पर कृषि कार्य करते हुए आसपास के ग्रामों में कृषिगत मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन–पोषण करते हैं। इस ग्राम में कुल 33 बीपीएल परिवार व तीन अन्त्योदय परिवार हैं जो अपने थावरझोड़ी स्थित पीडीएस दुकान से राशन क्रय करते हैं। राशन न मिलने पर, जैसा कि अक्सर होता है, अधिक मूल्य पर साहूकार की दुकान से खरीदने मजबूर हो जाते हैं। थावरझोड़ी से आगरी पहुंच हेतु दो मार्ग हैं– पहला करहैया होते हुए थावरझोड़ी पहुंचता है जो लगभग 6–7 किमी लम्बा कच्चा रास्ता है। दूसरा ऐरमा होते हुए बाबूटोला (थावरझोड़ी का टोला) से खेतों में होते हुए थावरझोड़ी पहुंचता है, यह 5–6 किमी का कच्चा रास्ता है जो बरसात में 4 माह तक बंद हो जाता है। इन रास्तों से गुजरते हुए गरीब ग्रामीण जब थावरझोड़ी आते हैं मिट्टी तेल गेहूं, चावल लेने के लिए तो कभी–कभी दुकान बंद मिलती है या फिर कभी राशन खत्म होना बताकर टाल दिया जाता है। इन सब परेशानियों के बारे में ग्रामीणों ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को समय–समय पर होने वाले क्षेत्रीय भ्रमण के समय गुहार लगाई और राशन दुकान को करीब लाने हेतु आग्रह किया। इसके चलते अगस्त 2004 में इनकी राशन दुकान को बादलपार या मोहगांव सड़क में बदलने का प्रस्ताव दिया गया। भोले–भाले गरीबों ने यह सोचकर कि उन्हें बरसात में भी राशन लाने में कठिनाई नहीं होगी, राशन दुकान मोहगांव करने हेतु हामी भर दी। इसी बीच ग्राम के कुछ सदस्य जिसमें मंगलू उइके, अमरलाल, सीताराम, पूरन आदि ने मोहगांव सोसायटी जाकर देखा तो वहां पर मिट्टी तेल की कालाबाजारी इस कदर हावी है कि गरीबों को दोनों वस्तुएं मिलना संभव ही नहीं है। मिट्टी तेल ट्रक, मोटर मालिकों को ब्लेक में बेच दिया जाता है और राशन अनाज व्यापारियों को बेच देते हैं। राशन कार्ड में एक लीटर देकर 5 लीटर लिख दिया जाता है। राशन दुकानदार कार्ड में लिखता क्या है देखकर समझना पढ़े–लिखे व्यक्ति के लिए भी संभव नहीं हैं। इस तरह की स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने जनपद सदस्य श्री भाटिया जी से आग्रह किया कि हमारी राशन दुकान थावरझोड़ी ही रहने दो यदि हो सके तो राशन दुकान को ऐरमा में खुलवा दो जिससे हमें केवल दो किमी में ही राशन उपलब्ध हो सकेगा। इस हेतु ग्रामीणों ने जनपद सदस्य और विधायक महोदय को भी आवेदन किया है। परन्तु अभी तक उनके इस आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। पूरे कार्डधारी परिवार थावरझोड़ी से ही राशन व मिट्टी तेल लेने पर मजबूर हैं।

& edq'k ;kno

–0–

xke& dqMkMkcjh

ग्राम कुडोडोबरी, कुरई विकासखण्ड की ग्वारी ग्रामपंचायत के अन्तर्गत आता है जो कि सोपान का भी लक्ष्य क्षेत्र है। सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत ग्राम कुडोडोबरी में अन्त्योदय अन्न योजना के तहत 08 सितम्बर का चयन किया गया है। सरकार के फैसले के अनुसार इन परिवारों को 35 किग्रा राशन मिलना तय हुआ है। यह राशन पीडीएस से गेहूं 2 रुपये प्रति किग्रा एवं चावल 3

रुपये प्रति किग्रा की दर से मिलेगा। इस गांव के हितग्राही इस कार्ड का उपयोग प्रतिमाह करते हैं। ग्राम स्तरीय बैठक के दौरान पता चला कि राशन दुकान से अन्त्योदय परिवारों को 25 किग्रा अनाज मिलता है। बैठक में उपस्थित एक अन्त्योदय हितग्राही रतनलाल/झीनो ने यह जानकारी दिया। इस पर संस्था कार्यकर्ता के द्वारा बताया गया कि आपको इस कार्ड में 35 किग्रा अनाज मिलने लगा है। बैठक के दौरान ही कार्ड का अवलोकन किया गया अवलोकन करने के बाद पाया गया कि कार्ड में 35 किग्रा लिखा जाता है किन्तु वास्तविक रूप में 25 किग्रा मिलता है।

इस बात की जानकारी मिलने पर अन्त्योदय हितग्राहियों ने ग्राम स्वराज व्यवस्था का उपयोग करते हुए अपनी बात सामाजिक न्याय समिति के समक्ष रखी। सामाजिक न्याय समिति ने बैठक करके एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि पी.डी.एस. दुकान का सेल्समेन अपनी कारगुजारियों को बंद करे और हितग्राहियों से माफी मांगे तथा आगे से जितना राशन हितग्राही खरीदता है उतना ही कार्ड पर भी अंकित करे। साथ ही, हितग्राही द्वारा मांग किये जाने पर निर्धारित मात्रा में और निर्धारित दर पर राशन उपलब्ध करवाए। प्रस्ताव ग्राम पंचायत ग्वारी को भी भेजा गया एवं राशन दुकान सेल्समेन को भी इसकी जानकारी लिखित में दी गई। अपनी गल्ती स्वीकार करते हुए सेल्समेन ने गांव में आकर माफी मांगी और आइन्दा ऐसी गल्ति न करने का आश्वासन दिया। तब से आज तक गांव के लोगों को 35 किग्रा अनाज मिल रहा है।

ukV % ;gh dk;Zokgh cM<h e. dh xbZ gS ftle. fgrxzkfg;k. dk O;fDrxr lEidZ dj crk;k x;k FkkA rc fgrxzkfg;k. us bl ij dk;Z dj O;oLFkk e. l/kkj cuk;k gSA fdUrq bl xkao e. vHkh O;oLFkk i.kZ :i ls Bhd ugha gbZ gSA

& [kq'kjke iokj

—0—

ftyk & >kcqvk

1- 'kkarq ckW

शांतु बॉ पिता कचरा भाभर (भील आदिवासी) उम्र 62 वर्ष, ग्राम छावनी, पंचायत डाबडी, तहसील पेटलावद, झाबुआ जिले का निवासी है। ग्राम छावनी, उचित मूल्य की दुकान, डाबडी के अंतर्गत आता है। शांतु अपने परिवार में अकेला सदस्य है। इनके पास कृषि भूमि नहीं होने के कारण सालभर लगातार मजदूरी कर अपनी जीविका चलाता है। वृद्धावस्था के कारण अब मजदूरी करना भी दूभर हो गया है। ऐसी स्थिति में उचित मूल्य की दुकान का इनके जीवन में महत्वपुर्ण स्थान है। शांतु के पास पिछले दो साल से राशन कार्ड नहीं था। कार्ड बनाने के लिए सरपंच तथा पंचायत मंत्री से कई बार सम्पर्क किया, लेकिन किसी न किसी बहाने इसे टाल दिया जाता था। जब यह बात संस्था कार्यकर्ता को पता चली तो उसने शांतु बॉ को ग्राम सचिवालय में आवेदन करने को कहा। परिणामस्वरूप दिनांक 24 सितम्बर 2004 को ग्राम सचिवालय, डाबडी में राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन किया। आवेदन जमा करने के ठीक 4 दिन बाद पंचायत मंत्री ने राशन कार्ड घर में लाकर दिया। राशन कार्ड को देखकर आश्चर्य हुआ कि शांतु बॉ का राशन कार्ड 2 वर्ष पूर्व 28 मई 2002 को ही जारी हो चुका था तथा इस पर अब तक 18 बार राशन लिया जा चुका है। मंत्री से कार्ड के संबंध में जानकारी मांगना चाह तो उसने साफ मना कर दिया।

बात यही खत्म नहीं होती शांतु बॉ को दो वर्ष बाद राशन कार्ड मिलने पर दिनॉक 8 अक्टूबर 04 को कुछ रूपये लेकर उचित मूल्य की दुकान में राशन लेने गया तो वितरक ने राशन देने से मना कर दिया। लेकिन राशन कार्ड पर 30 किलोग्राम गेहूं की इंट्री कर दिया, जबकि उसने राशन लिया ही नही था।

fo'k"k fcUnq %&
1. राशन कार्ड पंचायत मंत्री या सरपंच के पास 2 वर्ष तक रखा जाना।
2. दूसरे के राशन कार्ड पर अवैध रूप से 18 बार राशन लेना।
3. वितरक द्वारा कार्ड पर गलत इन्ट्री किया जाना।
4. रूपये कम होने पर राशन नहीं देना।

miyC/k lk{; %
1. व्यवस्था से पीडित व्यक्ति,
2. जारी राशन कार्ड,
3. ग्राम सचिवालय में दर्ज शिकायत की प्रति।

—0—

2- 'kEHkq

श्री शम्भू पिता नागजी निनामा, उम्र– 37 वर्ष तथा मंगल्या पिता भैरा दामनिया, उम्र 42 वर्ष, ग्राम पंचायत डाबडी, पेटलावद विकास खण्ड, झाबुआ (म.प्र.) का निवासी है। ग्राम डाबडी में ही शासकीय उचित मूल्य की दूकान है। इन ग्रामीणों ने बताया कि वितरक दूकान खोलने के लिए तय किये गये दिन में से प्रायः एक ही दिन दुकान खोलता है। दुकान खोलने का कोई निश्चित समय नहीं है। वितरक कई परिवार को उनकी पात्रता अनुसार राशन नहीं देता तथा राशन तौलने में भी गड़बड़ी करता है। दुकान में चल रहे भ्रष्टाचार का अंदाजा इस बात से लगा जा सकता है कि वितरक गॉव तथा बाहरी गॉव के सम्पन्न व्यक्ति को 1–2 क्विंटल गेहूं एक साथ दे देता है। केरोसिन की कालाबाजारी बडे पैमाने पर की जाती है ट्रक तथा ट्रेक्टर चालकों को 50–200 लिटर घासलेट एक साथ दे दिया जाता है। कई बार तो घासलेट रात को दुकान खोलकर भी दे दिया जाता है। जबकि दुकान में जिस दिन घासलेट का स्टॉक आता है उस दिन दुकान प्रायः शाम को 3–4 बजे खोली जाती है और अधिक से अधिक 3 घण्टे दुकान चालू रखने के बाद बंद कर दी जाती है। इसके बाद किसी को भी घासलेट प्राप्त नहीं होता है। इस संबंध में अन्य लोगों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर तथा एस.डी.एम. को एक वर्ष पूर्व शिकायत भी की थी। लेकिन इस शिकायत पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई। गॉव वालों के साथ मिलकर पुनः दिनॉक 24/09/2004 को जिला कलेक्टर तथा ग्राम सचिवालय में वितरक की शिकायत की है। इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।

fo'k"k fcUnq %&
1. केरोसिन की बडे पैमाने पर कालाबाजारी।
2. शिकायत करने के बावजूद को कार्यवाही नही हुई।
3. रात्री समय में दुकान खोलना।
4. निश्चित दिन दुकान नहीं खुलती।
5. दुकान खोलने का कोई निश्चित समय नहीं।

miyC/k lk{; %
1. व्यवस्था से त्रस्त व्यक्ति।
2. ग्रामीणों द्वारा ग्राम सचिवालय में दर्ज शिकायत पत्र।
3. शम्भू नागजी द्वारा ग्राम सचिवालय में दायर शिकाय पत्र।
4. गॉव के पंच द्वारा ग्राम सचिवालय में दायर शिकायत पत्र)

—0—

Øekd % 3

झाबुआ जिले की iVykon rglhy e: xjokMk xko में माना पिता काना, उम्र–45 वर्ष, कैलाश पिता नरसिंग गामड, उम्र 35 वर्ष तथा श्रीमती अन्दू पति शोभाराम गामड, उम्र 38 वर्ष निवास करते हैं। इस गॉव में सभी आदिवासी परिवार निवास करते है। यहां सभी परिवार अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि एवं कृषि कार्य पर निर्भर है।

इन ग्रामीणों ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान में बहुत सी अनियमितताएँ है जिस कारण उचित मूल्य की दुकान से लाभ प्राप्त करने से वंचित है। वितरक ने दुकान खोलने के दिन निश्चित कर रखे हैं। वह प्रति सप्ताह दो दिन दुकान खोलने की बजाय प्रायः एक ही दिन दुकान खोलता है। एक दिन में भी दुकान 4–6 घण्टे खुली रहती है। दुकान पूरे समय खुली नहीं होने के कारण ग्रामीणों को घण्टों इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो इतनी भीड़ होती है कि सभी को राशन प्राप्त नहीं हो पाता और कई लोगों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। वितरक निर्धारित मूल्य की अपेक्षा महंगा राशन देता है तथा पात्रता अनुसार भी अनाज नहीं दिया जाता। चावल 7.00 रूपये प्रति किलोग्राम, घासलेट 10.00 रूपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से वितरित करता है। 35 किलोग्राम राशन मिलना चाहिए लेकिन 20–25 किलोग्राम राशन ही दिया जाता है। इस राशन में भी तोलते समय बईमानी की जाती है।

fo'k"k fcUnq –
1. प्रति राशन कार्ड पर मात्र 20–25 किलोग्राम गेहूं मिलता है।
2. यदि राशन दुकान पर अच्छा चावल आता है तो उसका मूल्य 9 रूपये प्रतिकिलो बताया जाता है।
3. राशन तथा केरोसिन मंहगा दिया जाता।
4. निश्चित दिन दुकान नहीं खुलती।
5. दुकान खोलने का कोई निश्चित समय नहीं।
6. राशन तौलने में गडबडी करना।

miyC/k lk{; & 1. ग्रामीण पीड़ित व्यक्ति, 2. राशन कार्ड , 3. ग्राम सचिवालय में दायर शिकायत पत्र।

–0–

Øekd % 4

झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील के ग्राम पंचायत रून्डजी का 50 आदिवासी परिवार वाला जमपाड़ा एक गांव है। इसी गॉव मे श्रीमती सावित्री पति कालू खड़िया, उम्र–42 वर्ष,, पूनकी पति मांगू वसूनिया, उम्र 37 वर्ष, शम्भू पिता नानूराम वसूनिया उम्र 43 वर्ष, तथा सोमला पिता भावजी कटारा, उम्र 57 वर्ष निवास करते हैं। ये परिवार अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि, कृषि कार्य तथा पलायन पर निर्भर है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई वर्षो से शासकीय उचित मूल्य की दुकान में बहुत सी अनियमितता है जिस कारण उचित मूल्य की दुकान से लाभ प्राप्त करने से वंचित है। वितरक ने दुकान खोलने के दिन निश्चित कर रखे है। वह प्रति सप्ताह दो दिन दुकान खोलने की बजाय प्रायः एक ही दिन दुकान खोलता है। एक दिन में भी दुकान 4–6 घण्टे खुली रहती है। दुकान पुरे समय खुली नही होने के कारण ग्रामीणों को घण्टों इंतजार करना पड़ता है।

वितरक निर्धारित मूल्य की अपेक्षा महंगा राशन देता है, तथा पात्रता अनुसार भी अनाज नहीं दिया जाता। चावल 7.00 रूपये प्रति किलोग्राम, घासलेट 10.00 रूपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से वितरित करता है। 35 किलोग्राम राशन मिलना चाहिए लेकिन गेहूं 20 किलोग्राम राशन ही दिया जाता है। चावल 1 या 2 किलोग्राम ही दिया जाता है। पिछले कुछ माह से 1 से 2 लीटर ही घासलेट दिया जा रहा है। साथ ही राशन या केरासिन तोलते समय बईमानी की जाती है।

fo'k"k fcUnq –
1. पिछले कई वर्षो से 20 किलोग्राम ही गेहूं दिया जा रहा है।
2. चावल 1–2 किलोग्राम से अधिक नहीं दिया जाता।
3. पिछले कुछ माह से केरोसिन 1–2 लीटर ही दिया जा रहा है।
4. केरोसिन तथा चावल मंहगा दिया जाता है।
5. निश्चित दिन दुकान नहीं खुलती।
6. दुकान खोलने का कोई निश्चित समय नहीं।
7. राशन तोलने में गडबडी करना।

miyC/k lk{; & 1. ग्रामीण पीड़ित व्यक्ति, 2. राशन कार्ड ।

–0–

Øekd % 5

श्री नाथू थावरिया ओसारी उम्र–45 वर्ष, ग्राम तथा ग्राम पंचायत सामली, पेटलावद विकास खण्ड, झाबुआ (म.प्र.) का निवासी है। ग्राम सामली, शासकीय उचित मूल्य की दूकान रायपूरिया के अन्तर्गत आता है। इसके परिवार के पास कुल 5 बीघा जमीन है, लेकिन तालाब के पार जमीन होने के कारण पानी की अधिकता से जमीन खराब हो चूकी है। जिस कारण जमीन से खाने के लिए अनाज तक

नहीं हो पाता। अतः नाथू के परिवार का नाम अन्त्योदय परिवार सूची में शामील किया गया। अन्त्योदय परिवार सूची में नाथू का नाम क्रमांक– 989 पर है। लेकिन पंचायत सरपंच व मंत्री ने बेईमानी कर नाथू के नाम से बी.पी.एल. कार्ड जारी किया, जबकि अन्त्योदय कार्ड जारी होना चाहिए था। गलत राशन कार्ड जारी होने के कारण नाथू को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा।

fo'k"k fcUnq %
1. गलत राशन कार्ड जारी किया जाना।
2. इस संबंध में पीड़ित व्यक्ति को जानकारी नहीं दिया जाना।
3. अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ पाने से वंचित।

miyC/k lk{; %
1. व्यवस्था से पीडित व्यक्ति,
2. बीपीएल राशन कार्ड,
3. ग्राम सचिवालय में दर्ज शिकायत की प्रति,
4. अन्त्योदय परिवार की सूची ।

—0—

Øekad % 6

श्री nsok rstjke खराडी, उम्र 36 वर्ष, रामा हवसिंग भूरिया, उम्र 38 वर्ष, प्रभू प्रेमचंद परमार, उम्र 40 वर्ष, तथा lhrk txfn'k Hkkfj;k ग्राम काचरोटिया, कालीघाटी पंचायत, पेटलावद विकास खण्ड, झाबुआ (म.प्र.) में निवासरत है। ग्राम काचरोटिया, कालीघाटी शासकीय उचित मूल्य की दुकान के अंतर्गत आता है। इन ग्रामीणों ने बताया कि उचित मूल्य की दुकान का वितरण दुकान संचालन में कई प्रकार की अनियमितता करता है। वितरक दुकान खोलने के निश्चित दिन में दुकान नहीं खोलता तथा वितरक के आने का कोई निश्चित समय नहीं है। वितरक का व्यवहार हम ग्रामीणों के प्रति अच्छा नहीं है। राशन का भाव पूछने पर हमें बताया नहीं जाता। वितरक चावल 7 रूपये प्रति किलोग्राम, शक्कर 14 रूपये प्रति किलोग्राम तथा 10 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से घासलेट देता है। राशन तौलने में बहुत बेईमानी की जाती है। यदि 30 किलोग्राम राशन लिया गया है तो उसमें 500 ग्राम तक अनाज कम निकलता है।

fo'k"k fcUnq %
1. वितरक का व्यवहार ग्रामीणों के प्रति अच्छा नहीं।
2. राशन मंहगा देता है।
3. निश्चित दिन दुकान नहीं खुलती।
4. दुकान खोलने का कोई निश्चित समय नहीं।
5. राशन तोलने में गड़बड़ी करना।

miyC/k lk{; %
1. व्यवस्था से त्रस्त ग्रामीण।

—0—

Øekad % 7

xzke fiiyhikMk] झाबुआ जिले के पेटलावद विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कालीघाटी में स्थित है। इसी गॉव में लालू भूवान, उम्र 42 वर्ष तथा गलिया लिमजी, उम्र 28 वर्ष (भील आदिवासी परिवार) निवास करते है। इन दोनों के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि मजदूरी तथा पलायन पर निर्भर रहते है। इन के पास पिछले 2 वर्षो से राशन कार्ड नहीं था। अतः नया राशन कार्ड बनवाने के लिए इन्होंने सरपंच तथा पंचायत सचिव से सम्पर्क किया। सरपंच तथा सचिव ने राशन कार्ड बना देने का आश्वासन देकर वापस भिजवा दिया। एक माह बाद पंचायत मंत्री ने जो राशन कार्ड इन ग्रामीणों को बना कर दिया, वह ए.पी.एल. कार्ड था। जबकि इनका नाम बी.पी.एल. परिवार सूची में शामिल है। इस कार्ड को लेकर उचित मूल्य की दुकान पर राशन लेने गये तो वितरक ने भी राशन देने से मना कर दिया। अतः इन्होंने इस घटना की जानकारी सरपंच तथा पंचायत मंत्री को दी। पंचायत मंत्री ने कहा कि बीपीएल राशन कार्ड अब बनना बंद हो गये है।

इन ग्रामीणों ने जब ग्राम सचिवालय में शिकायत किया गया तो 2 माह बाद नया राशन कार्ड जारी किया। यहां भी चौंकाने वाली बात यह थी कि राशन कार्ड दिनॉक 29/09/04 को जारी हुआ था लेकिन ग्रामीणों को दिनॉक 26/11/04 राशन कार्ड दिया गया। इस बीच राशन कार्ड पर 2 बार गेहूं, चावल तथा केरोसिन पंचायत सरंपच तथा मंत्री द्वारा लिया गया।

fo'k"k fcUnq %
1. एपीएल राशन कार्ड जारी करना।
2. पंचायत सचिव तथा सरपंच द्वारा 2 माह तक राशन कार्ड अपने पास रखा जाना।
3. सरपंच तथा सचिव द्वारा राशन कार्ड अपने पास रखकर राशन लिया जाना।
4. राशन कार्ड बनने की सूचना कार्डधारी को नहीं दी गई।

miyC/k lk{; %
1. एपीएल तथा बीपीएल राशन कार्ड
2. ग्राम सचिवालय में जमा किया गया शिकायत पत्र
3. साक्ष्य व्यक्ति
4. बीपीएल सूची।

—0—

Øekd % 8

झाबुआ जिला के पेटलावद ब्लॉक में रूपापाड़ा गॉव है जो कि कालीघाटी पंचायत व शासकीय उचित मूल्य की दूकान के अंतर्गत आता है। इसी गॉव में श्रीमती धापू लूणा (भील आदिवासी) उम्र 60 वर्ष का परिवार निवास करता है। धापू मॉ के परिवार में कुल 6 सदस्य हैं जो कि अति गरीब स्थिति में अपना जीवनयापन कर रहा है। अतिगरीब परिवार की श्रेणी में आने के उनके नाम से अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत कार्ड जारी किया गया। वृद्ध होने के कारण गॉव से 2 किमी दूर स्थित कालीघाटी, शासकीय उचित मूल्य की दूकान पर राशन खरिद कर लाने में असमर्थ है। अतः इनकी बहु या बेटा राशन लेने जाते है।

राशन का वितरक आदिवासी परिवारों से पूरा पैसा वसूल कर कार्ड पर राशन की मात्रा की गलत इन्ट्री करता है। साथ ही ग्रामीण आदिवासी परिवार इस संबंध में वितरक से शिकायत करने से डरते है।

धापू मॉ से जिस दिन उचित मूल्य की दूकान के संबंध में जानकारी ली जा रही थी, उसी समय उनकी बहू उचित मूल्य की दूकान से राशन खरिद कर वापस आ रही थी। धापू मॉ की बहु से चर्चा के दौरान गेहूँ का भाव व मात्रा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि राशन वितरक ने 70 रूपये का राशन दिया है तथा तराजू में 30 किलो व 2 किलों का बाट रखा हुआ था। वितरक ने 32 किलो गेहूँ दिया, जबकि चावल नहीं दिया। कार्ड देखने पर पता चला कि उसमें पूरे 35 किलो की इन्ट्री की हुई है। बहू ने बताया कि यहां का वितरक हमारे साथ ऐसा हमेशा करता है, लेकिन हमें गेहूँ, चावल के भाव की जानकारी नहीं होने के कारण वितरक हमसे रूपये अधिक ले लेता है। जब बहू से वापस जाकर राशन दुकान से पूरा अनाज लाने की बात कहीं तो उसने मना करते हुए कहा कि यदि वह शिकायत करती भी है तो जितना अनाज अभी मिल रहा है, वह भी नहीं मिलेगा। उससे चर्चा करने पर यह बात उजागर हुई कि वितरक आदिवासी परिवारों से राशन का पूरा पैसा वसूल कर कार्ड पर राशन मात्रा की गलत इन्ट्री करता है। साथ ही ग्रामीण आदिवासी परिवार इस संबंध में वितरक से शिकायत करने से डरते है।

fo'k"k fcUnq %
1. राशन कार्ड पर मात्र 32 किलो राशन प्राप्त होना।
2. चावल नहीं दिया जाता।
3. तीन किलोग्राम राशन कम देना।
4. कम राशन देकर रूपये अधिक लेना।
5. ग्रामीणों के मन में वितरक का डर।
6. ग्रामीणों को मिलने वाले राशन की सही मात्रा की जानकारी का अभाव।

–0–

Øekd % 9

अम्बाराम पिता रन्छोड़ मावी, झाबुआ जिले के पेटलावद में स्थित एक छोटे से गॉव दौलतपुरा का निवासी है। अम्बाराम के परिवार में कुल 6 सदस्य है जो कि गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवनयापन कर रहे है। वह परिवार की जीविका चलाने के लिए मुख्यतः खेती तथा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। अम्बाराम को खाद्यान्न या अन्य संकट (बीमारी, कर्ज आदि) की स्थिति से निपटने के लिए पलायन का सहारा भी लेना पड़ता है।

अम्बाराम ने आगे बताया कि गामड़ी राशन की दूकान के वितरक का नाम तुलसीराम पाटीदार है, यहां दुकान खोलने के लिए दो दिन बुधवार और गुरूवार निश्चित है, लेकिन प्रायः दूकान एक ही दिन खुलती है, वह भी दोपहर 11.00 –2.00 बजे बाद। कई बार तो दूकान खुलती ही नहीं है। वितरक हमें पात्रता अनुसार 35 किलोग्राम राशन देने की बजाए, मात्र 20–25 किलोग्राम राशन देता है वह भी 1–1.50 रूपये मंहगा देता है। वितरक चावल का भाव 9.00 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बताता है। दुकान में यदि खराब व अच्छा गेहूं आता है तो खराब अनाज हम गरीबों को ही दिया जाता है, जबकि अमीरों को अच्छा अनाज दिया जाता है।

जब जरूरत होती है उस समय दुकान खुलीं नही होती। कई बार दुकान पर वितरक का घण्टों इंतजार कर वापस लौटना पड़ता है तथा वह राशन तौलने में बहुत अधिक बेईमानी करता है। यदि 20 किलोग्राम गेहूं मिला है तो निश्चित ही उसमें से 500 ग्राम से 1 किलोग्राम राशन कम निकलता है। दुकान में चल रही अनियिमितताओं के कारण कई लोगों ने उचित मूल्य की दुकान पर जाना बंद कर दिया है। यदि शासकीय उचित मूल्य की दूकान की यहि स्थिति बनी रही तो शायद, यह गरीबों की योजना न रहकर सिर्फ अमीरों की दुकान बन कर रह जायेगी।

वितरक हमें पात्रता अनुसार 35 किलोग्राम राशन देने की बजाए, मात्र 20–25 किलोग्राम राशन देता है वह भी 1–1.50 रूपये मंहगा देता है। दुकान में यदि खराब व अच्छा गेहूं आता है तो खराब अनाज हम गरीबों को ही दिया जाता है, जबकि अमीरों को अच्छा अनाज दिया जाता है। राशन तौलने में बहुत अधिक बेईमानी करता है।

fo'k"k fcUnq %
1. प्रति राशन कार्ड पर मात्र 20 किलोग्राम गेहूं मिलता है।
2. यदि राशन दुकान पर अच्छा चावल आता है तो उसका मूल्य 9 रूपये किलो बताया जाता है।
3. राशन तथा केरोसिन मंहगा दिया जाता।
4. निश्चित दिन में भी दुकान नहीं खुलती, दुकान खोलने का कोई निश्चित समय नहीं।
5. तोल में गड़बड़ी की जाती है।

—0—

Øekd % 10] lqdjke dh dgkuh

झाबुआ की माही नदी के किनारे ग्राम गरवाड़ा बसा हुआ है जहां तक पहुंचने के लिए पहाड़ी क्षेत्र को पार करना होता है। वर्षा ऋतु में इस गॉव की सौन्दर्यता में चार चांद लग जाते है। इसी गॉव में सुकराम पिता गवजी भूरिया, उम्र 35 वर्ष निवास करता है। सुकराम के परिवार में कुल 10 सदस्य है। सुकराम सीमान्त कृषक है। अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि तथा कृषि मजदूरी पर निर्भर है। साथ ही समय–समय पर पलायन पर भी जाता है। सुकराम की आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी वह शासकीय उचित मूल्य की दुकान का लाभ पाने से वंचित है।

> **पिछले कई महिनों से चावल नहीं मिला। चावल की मांग करने पर वितरक कहता है कि तुम्हारे कार्ड पर चावल आना बंद हो गये है, चावल के बदले गेहूँ दिया जाएगा। गॉंव से तीन किलोमीटर दूर पैदल चलकर दुकान खूलने के इंतजार में घण्टों इंतजार करना पड़ता है। सप्ताह में एक ही दिन दुकान खूलती है वह भी मात्र 3–4 घण्टे। दुकान के सामने दिनभर खड़े रहने के बाद भी बिना राशन लिये वापस लौटने से हमारे एक दिन की मजदूरी व समय का नुकसान होता है।**

सुकनाम ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान में इतनी सारी अनियमितता है कि दुकान पर जाने से कोई औचित्य नजर नहीं आता। क्योंकि मुझे 35 किलोग्राम राशन मिलना चाहिए लेकिन सिर्फ 25–30 किलोग्राम गेहॅ ही दिया जाता है। पिछले कई महिनों से चावल नहीं मिला। चावल की मांग करने पर वितरक कहता है कि तुम्हारे कार्ड पर चावल आना बंद हो गये है, चावल के बदले गेहूँ दिया जाएगा। गॉव से तीन किलोमीटर दूर पैदल चलकर दुकान खूलने के इंतजार में घण्टों इंतजार करना पड़ता है। प्रायः सप्ताह में एक ही दिन दुकान खूलती है वह भी मात्र 3–4 घण्टे के लिए, कुछ घण्टे राशन राशन वितरित करने के बाद, वितरक कह देता है कि राशन खत्म हो गया। ऐसे में दिन भर के इंतजार के बाद हमें घर वापस आना पड़ता है।

सुकराम ने अपनी परेशानियां गिनाते हुए कहा कि व्यक्ति दुकान के सामने दिनभर खड़े रहने के बाद भी बिना राशन लिये वापस लौटने से हमारे एक दिन की मजदूरी व समय का नुकसान होता है। तो ऐसी शासकीय उचित मूल्य की दुकान का हमारे जीवन में क्या औचित्य है ?

fo'k"k fcUnq %

1. प्रति राशन कार्ड पर मात्र 25–30 किलोग्राम गेहूं मिलता है, अर्थात पात्रता से कम अनाज दिया जाता है।
2. चावल प्रति माह नहीं दिया जाता। चावल के बदले गेहूं ले जाने के लिए कहा जाता है।
3. निश्चित दिन में भी दुकान नहीं खुलती।
4. दुकान खोलने का कोई निश्चित समय नहीं। प्रायः 3–4 घण्टे ही दुकान खुली रहती है।
5. एक दिन बर्बाद हो जाता है।

—0—

Øekd % 11

झाबुआ जिले की पेटलावद तहसील में गरवाड़ा गॉव में राइलो कवरा जाति गामड़ उम्र–45 वर्ष निवास करता है। राइलो के गॉव में सभी आदिवासी परिवार निवास करते है। यहां सभी परिवार अपनी जीविका चलाने के लिए कृषि एवं कृषि कार्य पर निर्भर है। परिवार का मुखीया होने के कारण राइलो पर कई जिम्मेदारियां है। इसके पास भूमि की जोत कम होने के कारण आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब है। ऐसी स्थिति में इसके परिवार को मालवा क्षेत्र में पलायन पर जाना पड़ता है। मालवा जाकर अपने लिए अनाज व रूपयों की व्यवस्था कर के लाता है। जिससे कुछ माह की अनाज की आवश्यकता की पूर्ति हो पाती है। राइलो का नाम गरीबी रेखा में होने के कारण शासकीय उचित मूल्य की दुकान का लाभ प्राप्त होने लगा।

उसने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान में बहुत सी अनियमितता है जिस कारण उचित मूल्य की दुकान से लाभ प्राप्त करने से वंचित हूँ। वितरक दुकान खोलने में बहुत अनियमितताएं करता है। वितरक ने दुकान खोलने के दिन निश्चित कर रखे हैं। वह प्रति सप्ताह दो दिन दुकान खोलने की बजाय प्रायः एक ही दिन दुकान खोलता है। एक दिन में भी दुकान 4–6 घण्टे खुली रहती है। दुकान पूरे समय खुली नही होने के कारण ग्रामीणों को घण्टों इंतजार करना पड़ता है। कई बार तो इतनी भीड़ होती है कि सभी को राशन प्राप्त नहीं हो पाता और कई लोगों को खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। वितरक निर्धारित मूल्य की अपेक्षा महंगा राशन देता है, तथा पात्रता अनुसार भी अनाज नहीं दिया जाता। चावल 7.00 रूपये प्रति किलोग्राम, घासलेट 10.00 रूपये प्रति किलोग्राम के मूल्य से वितरित करता है। 35 किलोग्राम राशन मिलना चाहिए लेकिन 20–25 किलोग्राम राशन ही दिया जाता है। इस राशन में भी तौलते समय बईमानी की जाती है।

fo'k"k fcUnq :

1. प्रति राशन कार्ड पर मात्र 20–25 किलोग्राम गेहूं मिलता है।
2. यदि राशन दुकान पर अच्छा चावल आता है तो उसका मूल्य 9 रूपये किलो बताया जाता है।
3. राशन तथा केरोसिन मंहगा दिया जाता।
4. निश्चित दिन दुकान नहीं खुलती।
5. दुकान खोलने का कोई निश्चित समय नहीं।

—0—

Øekad % 12

आज हम बात कर रहें है ग्राम पिपलीपाड़ा, ग्राम पंचायत कालीघाटी की, जो झाबुआ जिले के पेटलावद तहसील के अंतर्गत आता है। गॉव में कुल 53 भील आदिवासी परिवार हैं जो कृषि, कृषिमजदूरी तथा पलायन कर अपनी जीविका चला रहें है। गॉव का प्राकृतिक सौन्दर्य बहुत ही मनोहारी है, लेकिन यह क्षणिक नजर आता है क्योंकि यहां के आदिवासी परिवारों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, अतः सभी परिवार गरीबी रेखा के नीचे रह कर अपना जीवनयापन कर रहें है। गॉव तक पहुंचने के लिए सड़क का नामों निशान तक नहीं है। सड़क के अलावा अन्य आवश्यक साधनों जैसे, अस्पताल, किराना दुकान, आवागमन के साधनों का भी अभाव है।

इसी गॉव में रामचंद पिता गंगाराम मेड़ा, उम्र 39 वर्ष तथा दल्ला पिता लाला कतिजा, उम्र 36 वर्ष निवास करते है। रामचंद भूमिहीन है तथा इसके परिवार में अन्य कोई दूसरा सदस्य नहीं है। रामचंद अपनी जीविका मजदूरी या पलायन पर जाकर चलाता है। इसी तरह दल्ला के परिवार में कुल 5 सदस्य तथा इसके पास थोड़ी बहुत जमीन है, जिससे इतना अनाज नहीं होता कि वर्ष भर की अनाज की आवश्यकता की पूर्ति हो सकें। दोनों ही व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहें है। ऐसे में राशन कार्ड का औचित्य इनके लिए बहुत अधिक है।

मैं पहली बार इन दोनों व्यक्तियों से माह सितम्बर, 2004 में मिला था। इन्होंने बताया कि हमारे पास पिछले 2 साल से राशन कार्ड नहीं है। सरपंच तथा पंचायत सचिव से राशन कार्ड मांगने पर कहते है कि अब चुनाव के बाद ही राशन कार्ड बनेगा, राशन कार्ड कुछ दिनों बाद बनेगा, राशन कार्ड बनाना बंद हो गये है या राशन कार्ड बनने के लिए तहसील कार्यालय में दे दिये हैं आदि। कई बहाने बनाकर हमें टालते आ रहा है। इसी तरह की जानकारी गॉव के अन्य 5 लोगों ने भी दी। अतः तुरन्त कार्यवाही करते हुए, राशन कार्ड बनवाने हेतु 7 आवेदन पत्र लिखे गये, इन 7 आवेदन में रामचन्द तथा दल्ला का आवेदन भी बनाया गया। ग्रामीणो को समझाया गया कि सभी आवेदन ग्राम सचिवालय में जाकर जमा करने हैं। अतः ग्रामीणो ने दिनॉक 1 अक्टूबर, 2004 को ग्राम सचिवालय, हमीरगढ़ में आवेदन जमा किये। दिनॉक 2 अक्टूबर, 2004 को सरपंच ग्रामीणों को धमकाने लगा की आपने शिकायत कर अच्छा नहीं किया।

ग्रामीणों पर सरपंच की धमकी भरी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। वे लगातार सरपंच व सचिव से राशन कार्ड के लिए मिलते रहें। परिणामस्वरूप दिनॉक 26 नवंबर, 2004 को सरपंच ने रामचन्द तथा दल्ला को राशन कार्ड दिये, किन्तु शेष 5 ग्रामीणों को राशन कार्ड बाद में देने का आश्वासन दिया। राशन कार्ड जांचने पर पाया कि कार्ड दिनॉक 29 सितंबर, 2004 को जारी हुआ था। सरपंच ने राशन कार्ड जारी होने के बाद कुपन पर दिनॉक 14 अक्टूबर को 3 लीटर केरोसिन, 20 अक्टूबर को 30 किलोग्राम गेहॅू, व 5 किलोग्राम चावल, 4 नवंबर को 20 किलोग्राम गेहूं तथा 16 नवम्बर को 3 लीटर केरोसिन खरीदा। सरपंच की बेईमानी को रामचन्द तथा दल्ला को बताया तो उन्होंने कहा भाई साहब यह राशन कार्ड बनवाने की कीमत है अर्थात काम का दाम है। इन्होंने कहा कि खुशी इस बात कि है कि हमें हमारा राशन कार्ड मिला।

fo'k"k fcUnq %

1. बीपीएल राशन कार्ड के बदले एपीएल राशन कार्ड जारी किया गया।
2. पंचायत सचिव तथा सरपंच द्वारा 2 माह तक राशन कार्ड अपने पास रखा गया।
3. सरपंच तथा पंचायत सचिव द्वारा राशन कार्ड स्वयं के पास रखकर राशन लेना।
4. राशन कार्ड बनने की सूचना कार्डधारी को नहीं दी गई।

—0—

Øekad % 13

ग्राम सामली झाबुआ जिले के पेटलावद तहसील में स्थित है। इसी गॉव में कानजी रावजी, उम्र 52 वर्ष का 10 सदस्यों का परिवार निवास करता है। कानजी का परिवार अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि तथा कृषिमजदूरी पर निर्भर है तथा मौसमी पलायन पर भी जाना पड़ता है। परिवार बड़ा होने के कारण स्वयं की खेती से होने वाले उत्पादन से वर्ष भर की अनाज तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। जिस कारण इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। अतः इस परिवार को अन्त्योदय अन्न योजना के लाभान्वित परिवारों की सूची में शामिल कर शासकीय उचित मूल्य की दूकान का लाभ दिया गया।

कानजी से शासकीय उचित मूल्य की दुकान की स्थिति के बारे में पूछा तो उसने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान से उचित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वितरक गेहॅू पूरे 35 किलोग्राम देता है, पर उसकी गुणवत्ता ठीक नही होती, कभी—कभी गेहूं इतना खराब होता है कि इन्हें खाया नहीं जा सकता। उचित मुल्य की दुकान से चावल नहीं मिलते। केरोसिन व शक्कर का मूल्य बाजार में मिलने वाले केरोसिन व शक्कर के मूल्य के बराबर है तो उचित मूल्य की दूकान में इन वस्तुओं के मिलने का कोई औचित्य ही नजर नहीं आता। इन वस्तूओं का मूल्य एक तो कम नहीं है और ऊपर से इनको लेने के लिए घण्टों लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। कई बार स्थिति यह होती है कि धण्टों कतार में खड़े रहने के बाद भी केरोसिन प्राप्त नहीं हो पाता और खाली हाथ घर वापस आना पड़ता है। ऐसे में दिन व कार्य का नुकसान हो जाता है। यदि एक दिन के कार्य का नुकसान देखे तो शासकीय उचित मूल्य की दूकान का राशन बहुत महंगा पड़ता है। अतः जब तक उचित मूल्य की दुकान में होने वाली अनियमितता तथा केरोसिन व शक्कर का मूल्य बाजार भाव से बहुत कम नहीं किया जायेगा, हम गरीबों को लाभ प्राप्त होना मुश्किल है।

> **केरोसिन व शक्कर का मूल्य बाजार में मिलने वाले केरोसिन व शक्कर के मूल्य के बराबर ही है। ऐतो उचित मूल्य की दूकान में इन वस्तुओं के मिलने का कोई औचित्य ही नजर नहीं आता। इन वस्तूओं का मूल्य एक तो कम नहीं है और ऊपर से इनको लेने के लिए घण्टों लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। यदि एक दिन के कार्य का नुकसान देखे तो शासकीय उचित मूल्य की दूकान का राशन बहुत महंगा पड़ता है।**

Øekd % 14

झाबूआ जिले के पेटलावद तहसील में एक छोटा किन्तू सुंदर सा गॉव भमती है, जहां सभी भील आदिवासी परिवार निवासरत् है। गॉव के सभी 83 परिवार खेती व कृषि मजदूरी कर अपनी जीविका चलाते है। इस गॉव में एक परिवार jkek firk nok fuukek का है। रामा के परिवार में कुल 5 सदस्य है। रामा निरक्षर है तथा इसके परिवार के भरण–पोषण का मुख्य साधन खेती है। रामा के पास भूमि जोत का आकार बहुत कम होने के करण उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस कारण इसके परिवार को अति गरीब परिवार कीश्रेणी में शामिक कर अन्त्योदय राशन कोर्ड योजना का लाभ दिया गया।

“ वितरक की अनियमितता के कारण एक दिन की मजदूरी व दिन भर के समय का नुकसान होता है। अब आप ही बताए कि यह राशन हमें किस भाव में पड़ता है। दूकान में जो राशन दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, कभी–कभी राशन इतना खराब होता है कि उसे खाने में उपयोग नहीं किया जा सकता है। वितरक राशन तोलते समय बईमानी करता है। साथ ही पात्रता अनुसार पूरा राशन नहीं देता। ”

– रामा

रामा ने बताया कि अन्त्योदय कार्ड मिलने पर मैं खुश था क्योंकि इस कार्ड से राशन बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाता है। मेरी यह खुशी कुछ ही माह में मेरा सिर दर्द बन गया। राशन सस्ता मिलता है इस लालच में हर माह सुबह 8.00 बजे से ही उचित मुल्य की दूकान के सामने जाकर कतार में खड़ा हो जाता था। वितरक के इंतजार में घण्टों खड़े रहता और वितरक का इंतजार करता कि वह अब आयेगा। वितरक दोपहर 11.00 बजे, कभी–कभी 2.00 बजे तक आता या नहीं आता। कई बार स्थिति यह बनी कि वितरक को बुलाने के लिए 3 किमी दूर उसके घर बोड़ायता जाना पड़ा। वितरक की अनियमितता के कारण कई बार खाली हाथ दूकान से घर वापस आना पड़ा।

रामा ने बताया कि वितरक की अनियमितता के कारण एक दिन की मजदूरी व दिन भर के समय का नुकसान होता है। अब आप ही बताए कि यह राशन हमें किस भाव में पड़ता है। दूकान में जो राशन दिया जाता है, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, कभी–कभी राशन इतना खराब होता है कि उसे खाने में उपयोग नहीं किया जा सकता है। वितरक राशन तोलते समय बईमानी करता है। साथ ही पात्रता अनुसार पूरा राशन नहीं देता। रामा ने भावुक होकर कहा कि डाबड़ी के वितरक को यहां से भगा देना चाहिए। इसकी जगह किसी ईमानदार व्यक्ति को पदस्थ करें तब कहीं जाकर हम गरीबों को शासकीय उचित मूल्य की दूकान का लाभ प्राप्त हो पायेगा।

–0–

Øekd % 15

झाबुआ जिले के पेटलावद ब्लॉक में 65 आदिवासी परिवारों का गॉव लालारूण्डी है। इस गॉव में सभी आदिवासी परिवार निवास करते है। इसी गॉव में नन्दू कोदा का परिवार निवास करता है, जो कि कृषक है, लेकिन भूमि जोत कम होने के कारण फसल की उत्पादकता भी बहुत कम होती है, जिस कारण नन्दू कोदा की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है। नन्दू के परिवार में कुल 5 सदस्य हैं जो कि इस अकेले व्यक्ति पर आश्रित है। आर्थिक स्थिति दयनीय होने से, इस परिवार को गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की सूची में शामिल किया गया।

नन्दू अपनी अनाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शासकीय उचित मुल्य की दूकान, रायपुरिया से अनाज क्रय करता है। लेकिन नन्दू उचित मुल्य की दूकान में होने वाली अनियमितता के कारण खुश नहीं है। उसने बताया कि उचित मुल्य की दूकान से उसे समस्याएं आ रही है, वह जब भी अनाज लेने जाता है तो कई बार खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। क्योंकि कभी तो स्टॉक खत्म हो जाता है, और कभी–कभी वितरक स्वयं ही राशन देने से मना कर देता है। वितरक जितना राशन देता है, उसमें भी तौलने में गड़बड़ी करता है। हमेशा आधा से एक किलोग्राम तक राशन कम मिलता है। जब वितरक से अनाज का मूल्य पूछते है तो वितरक चिड़ जाता है और कहता है कि पहले बनिये से भाव पूछ कर आओं बाद में यहां भाव पूछना।

वितरक के इस व्यवहार के कारण शासकीय उचित मूल्य की दूकान की अपेक्षा बाजार से अनाज खरीदना अधिक अच्छा है। उचित मूल्य की दूकान पर भीड़ होने पर घण्टों लाइन में खड़े रहना पड़ता है तब जाकर किसी तरह लाभ प्राप्त हो पाता है। वितरक के व्यवहार के कारण नन्दू का नाखुश होना स्वाभाविक सा प्रतीत होता है क्योंकि यह योजना गरीबों के लिए ही लागू की गई। लेकिन इन्हीं से वितरक का व्यवहार ठीक नहीं होना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता।

–0–

Øekad % 16

झाबुआ जिले में पहाड़ियों से घीरा एक गॉव कालीघाटी है जहां 116 आदिवासी परिवार निवास करते है। इसी गॉव में सुरसिंग रामा गामड़ उम्र 31 वर्ष निवास करता है। सुरसिंग के परिवार का अन्त्योदय अन्न योजना की सूची में शामिल है। इस सूची में नाम शामिल होने के कारण सुरसिंग को अन्त्योदय कार्ड भी प्राप्त हुआ है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे मजदूरी पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही अपनी अनाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर भी निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन सुरसिंग उचित मूल्य की दुकान से खुश नहीं है।

सुरसिंग ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान सप्ताह में मात्र दो दिन बुधवार व गुरूवार को खुली रहती है। लेकिन इन निश्चित दिनों में भी दुकान खुली नहीं रहती है। कई बार यह होता है कि दुकान एक ही दिन खुलती है वह भी दोपहर 1–2 बजे तक। दुकान खोलने में अनियमितता के कारण राशन के लिए दिन–दिन भर खड़े रहना पड़ता है। राशन की दुकान से जो राशन प्राप्त होता है उससे हमारी एक माह की पूर्ति भी नहीं हो पाती। ऐसे में इस दुकान का लाभ नजर नहीं आता है। वितरक की अनियमितता व बेईमानी के कारण यह राशन हमें बहुत मंहगा पड़ता है क्योंकि वितरक जो राशन हमें देता है वह निर्धारित भाव में नहीं देता तथा तोलने में भी बईमानी करता है। वितरक का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है। वितरक से राशन का मूल्य पूछा जाता है तो वह चिड़कर जवाब देता है या देता ही नहीं और कहता है कि तुम यहा नेतागिरी करने आये हो क्या ?

ग्रामवासियों का मानना है कि हम रूपये देकर राशन का क्रय करते हैं फिर भी हमारे साथ वितरक का व्यवहार ठीक नही होता। साथ ही पात्रता अनुसार राशन नहीं दिया जाता तो ऐसी उचित मूल्य की दुकान का हमारे लिए कोई लाभ नजर नहीं आता ।

—0—

ftyk& [k.Mok

1- ekuo vf/kdkjk dk guu

मार्च 2004 में खण्डवा जिले के खालवा ब्लाक में स्थित सैदाबाद गांव के कोरकू ढाणा में आदिवसी बच्चे कुपोषण से मौत का शिकार हुये। स्पंदन समाज सेवा समिति ने गांव का दौरा कर इस मुद्दे को पुरजोर रूप से उठाया कि मौतों का कारण कुपोषण है। इस दौरान हम इस गांव के कोरकू आदिवासी परिवारों की समस्याओं से भी रूबरू हुये। ज्ञात हुआ कि ये परिवार खाद्य संकट से जूझ रहे हैं और जनवितरण प्रणाली भी सुचारू नहीं है।

प्रशासनिक भूल के कारण इस परिवार को अपने अधिकारों से 2 वर्ष से भी ऊपर वंचित रहना पड़ा। इस परेशानी के लिये क्या सम्बन्धित व्यक्ति/एजेंसी पर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए ? साथ ही क्या परिवार मुआवजे का हकदार नहीं ?

इसी क्रम में हमने बुद्धु/नानसिंह का मामला पाया/ बुद्धु को करीब 3 वर्ष पहले गरीबी रेखा का राशन कार्ड (क्रमांक – 6700) सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर द्वारा कार्ड जारी किया गया था। बुद्धू इस दौरान नियमित रूप से राशन की दुकान पर जाता रहा पर राशन विक्रेता उसे राशन देने से इंकार करता रहा। वह एक बार भी राशन नहीं ले पाया कारण जानने पर पता चला कि राशन विक्रेता ने सिर्फ इसलिये कि कार्ड पर खाद्य निरीक्षक के हस्ताक्षर नहीं थे, कार्ड को अमान्य कर दिया। बार–बार कहने पर भी सरपंच या सचिव ने कार्ड को सही करने की कोशिश नहीं की। मार्च 2004 में स्पंदन ने प्रशासन को इस विषय में अवगत कराया तथा जून 2004 में मीडिया द्वारा इस मामले को उजागर किया। हमारी मांग थी कि एक प्रशासनिक भूल के कारण एक आदिवासी परिवार 2 वर्ष से ऊपर जन वितरण प्रणाली का उपयोग करने से वंचित रह गया और इस कारण उसके न सिर्फ मानव अधिकार का हनन हुआ साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुईं 8 सदस्यों का गरीब परिवार अपने मौलिक अधिकार से वंचित रह गया, मामला उजागर होने पर प्रशासन सक्रिय हुआ और बुद्धू को नया राशन कार्ड जारी किया गया।

bl ekey e dN loky [kM gkr g &

1. खाद्य निरीक्षक (जो की बी.पी.एल. कार्ड जारी करने के लिये अधिकृत है) के हस्ताक्षर बिना कार्ड कैसे जारी हुआ? इससे लगता है कि बी.पी.एल. कार्ड भी आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं और उनका दुरूपयोग किया जा सकता है।
2. प्रशासनिक भूल के कारण इस परिवार को अपने अधिकारों से 2 वर्ष से भी ऊपर वंचित रहना पड़ा। इस परेशानी के लिये क्या सम्बन्धित व्यक्ति/एजेंसी पर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए ? साथ ही क्या परिवार मुआवजे का हकदार नहीं ?
3. क्या मानव अधिकार आयोग को यह मामला नहीं उठाना चाहिये हमारी मांग है कि इस मामले में त्वरित कार्यवाही की जाये ताकि इस प्रकार के भ्रष्टाचार/ भूल पर अंकुश लग सके।

& lhek@izdk’k] Liunu

–0–

2- fdruk xHkhj g i;’kklu ---- \

प्रतिवर्ष 250 से 300 परिवार रोजगार के लिये पलायन कर जाते हैं। इनकी पंचायत भी 7 कि.मी. दूर आवल्या ग्राम में है। कई बार कहने पर भी सरपंच द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। कलेक्टर द्वारा स्पष्टीकरण मांगने पर सरपंच ने कहा कि कार्ड जारी किये गये थे पर लोगों ने गुमा दिये यह स्पष्टीकरण बे–बुनियाद है क्योंकि ऐसा एक या दो परिवारों के साथ हो सकता है। पर सभी 20 परिवारों के साथ नहीं।

खण्डवा जिले के खालवा ब्लॉक वनग्राम भागपुरा स्थित है। आदिवासी बाहुल्य इस गांव की अपेक्षा होती रही है। गांव में अब तक बिजली भी नहीं आई है। वनग्राम होने के कारण कई परिवारों के पास जमीन के पट्टे भी नहीं है। प्रतिवर्ष 250 से 300 परिवार रोजगार के लिये पलायन कर जाते हैं। इस गांव में 20 गरीबी रेखा से नीचे के परिवार भी हैं। इन परिवारों को अब तक राशनकार्ड नहीं दिया गया है। इनकी पंचायत भी 7 कि.मी. दूर आवल्या ग्राम में है। कई बार कहने पर भी सरपंच द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

स्पंदन की पहल पर पहली बार जन ससमया निवारण शिविर में यह मामला उठाया गया। कलेक्टर द्वारा स्पष्टीकरण मांगने पर सरपंच ने कहा कि कार्ड जारी किये गये थे पर लोगों ने गुमा दिये यह स्पष्टीकरण बे–बुनियाद है क्योंकि ऐसा एक या दो परिवारों के साथ हो सकता है। पर सभी 20 परिवारों के साथ नहीं। गांव के उप सरपंच द्वारा भी प्रमाणित किया गया है कि 20 परिवारों को अब तक बी.पी.एल कार्ड उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी द्वारा शिविर में निर्देश दिया गया कि शीघ्र ही इन परिवारों को कार्ड उपलब्ध करा दिये जायेंगे पर यह सुनिश्चित करने की बात नहीं की गयी कि इस लापरवाही के लिये जिम्मेदार कौन है ? और प्रायः 4 वर्ष तक इन परिवारों को हुई परेशानी का मुआवजा कौन देगा ?

–0–

3- uhfr vkj folxfr

<table><tr><td>

जन वितरण प्रणाली की कुछ नीतियों के कारण दूरस्थ गांवों में रहने वाले परिवार परेशान हो रहे हैं, उदाहरण स्वरूप खण्डवा जिले में खालवा ब्लाक के भागलपुरा, उदियापुर माल और चैनपुर सरकार और इटवा गांवों को ही लें, तो इन्हें राशन लेने के लिये आने–जाने में 10–15 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती है। आना–जाना और कतार लगाने में पूरा दिन निकल जाता है क्योंकि दुकान हफ्ते में एक या दो दि नही खुलती हैं, लोगों की परेशानी और बढ़ जाती है जब किसी कारण से दुकान बंद हो या अनाज उपलब्ध न कराया जाये। मात्र दैनिक मजदूरी पर निर्भर परिवारो को एक दिन की मजदूरी गंवानी पड़ती है।

भागपुरा गांव के लोगों ने प्रशासन के सामने यह मांग उठाई पर इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि जब तक कम से कम 200 बीपीएल कार्ड न हो तो किसी भी गांव में नई राशन की दुकान नहीं खोली जा सकती। यह नीति सरासर गलत है बल्कि इसका आधार लोगों की सुविधा होना चाहिए लन कि संख्या।

</td><td>

राशन लेने के लिये आने–जाने में 10–15 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती है। आना–जाना और कतार लगाने में पूरा दिन निकल जाता सिर्फ मजदूरी पर निर्भर रहने वाले इन मजदूर ग्रामीणों को कभी–कभी राशन के इंतजार में दिनभर खड़ा रहकर अपनी एक दिन की मजदूरी गंवानी पड़ती है।

</td></tr></table>

–0–

4- i- vkoY;k dh leL;k,

गांव वालों की विभिन्न समस्याएं हैं जो इस प्रकार हैं –

1. गांव में प्राथमिक और मिडिल शालाएं चल रही हैं, जिसमें कुल 147 बच्चे है। यहां मात्र 2 शिक्षक कार्यरत है। इससे बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इसलिये कम से कम 2 और शिक्षकों नियुक्त किये जाने चाहिए।
2. गांव में आंगनबाड़ी भवन नहीं है इससे असुविधा हो रही है अतः शीघ्र आंगनबाड़ी भवन निर्माध किया जाये।
3. रोजगार का अभाव है फसल भी खराब हो चुकी है। पिछले 2 दिनों में करीब 250 मजदूर पलायन कर चुके हैं। अतः आने वाले 3 महीने के लिये प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को 20–25 दिन की मजदूरी उपलब्ध करायी जावें एवं सम्पर्क सड़क की आवश्यकता है।
4. गांव में अब तक बिजली नहीं आयी है कम से कम सिंचाई के लिये तत्काल बिजली उपलब्ध करायी जाये।
5. कई लोगों के कब्जे हैं पर पट्टे नहीं है।
6. हमारी उचित मूल्य की दूकान यहां से लगभग 7 किमी दूर है कृपया गांव में ही दुकान खोली जाय।

5- [kkyok fodkl [k.M d dkjd

कोरकू आदिवासी भी प्राचीन आदिम जाति है। मानव विज्ञान (एन्थ्रोपोलॉजी) अध्ययन इन्हें प्रचीन आदिम जाति स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार कोरकू समुदाय की जड़ें छत्तीसगढ़ के पहाड़ी कोरवा और झारखण्ड के मुण्डा आदिम जातियों में पायी जाती है। पहाड़ी कोरवा और मुण्डा जातियों को अन्त्योदय में शामिल किया जा चुका है। कोरकू आदिवासियों में कुपोषण का प्रभाव शायद सबसे अधिक है। खालवा में रहने वाले कोरकू पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के मेलघाट क्षेत्र से आये हैं और यह क्षेत्र कुपोषण के लिये विख्यात है। खालवा ब्लॉक जहां सर्वाधिक कोरकू परिवार निवास करकते है। खुद भी कुपोषण से मौतों के लिये सुर्खियों में रहा है। इन्हें प्राथमिकता के तौर पर अन्त्योदय में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

6- 'kgjh cLrh d etnj

खण्डवा शहर के चीराखदान बस्ती में वडर जाति के परिवार निवास करते हैं। ये पेशे से पत्थर तोड़े वाली जाति हैं ये परिवार पास की खदानों में घर निर्माण के लिये पत्थर तोड़ते थे। निर्माण कार्यों में बदलाव के कारण पत्थरों की मांग घटी और साथ ही इनके रोजगार अवसर भी। अधिकतर खदाने बंद हो चुकी हैं और अनेक परिवार रोजगार विहीन। इस समुदाय में भी गंभीर खाद्य संकट पनप रहा है क्योंकि ये भूमिहीन हैं और शहर में भी रोजगार के अवसर बहुत कम है। इस समस्या से प्रशासन को अवगत कराया गया है।

–0–

ftyk & Hkksiky

¼Hkksiky xSl ihfM+r efgyk m|ksx lxBu½

प्रदेश की राजधारी भोपाल में भी पीडीएस को लेकर विभिन्न प्रकार की मस्याओं से लोगा जूझ रहे हैं जिनमें से कुछ प्रमुख समस्याएं निम्न लिखित है।

1- 'kE'kqfulk dh ijs'kkuh

भोपाल शहर के अशोक कॉलोनी नूरमहल के पास शम्शुनिसा (पति जुल्फीकार) रहती हैं, जिनका वार्ड क्रमांक– 6 है। उनका राशनकार्ड बना है। परन्तु उनसे चर्चा करने पर उन्होंने राशन के सम्बन्ध में विभिन्न समस्याएं बताई।

उनकी सबसे पहली समस्या यह है कि राशन की दुकान समय पर दुकान नहीं खुलती यदि खुलती है तो एक–दो घंटे में फिर बन्द हो जाती हैं। राशन क दुकान से गेहूं समय पर नहीं मिलता, हर महीने लगभग 25 तारीख तक दुकान पर गेहूं आता है। शक्कर चावल, तेल भी नहीं मिल पाता है। जो अनाज मिलता है उसमें मिलावट रहती है, जैसे गेहूं में रेत, कांच आदि मिले हुए आते हैं यदि अच्छा चावल आता है तो ब्लैक कर दिया जाता तथा यदि तेल भी मिलता है तो उसका भी ज्यादा दाम लिया जाता है।

2- ih-Mh-,l- ls ijs'kku ;kdqc csx

याकुब बेग भोपाल में ही, वार्ड क्र– 14, कांग्रेस नगर मकान नं– 264 में निवास करते हैं। इनके पिता का नाम ताज बेग है। उनका गरीबी रेखा का कार्ड सन् 2000 में बन गया था जिसका कार्ड क्रमांक – 90 है।

याकुब बेग द्वारा राशन वितरण को लेकर बहुत ही निराशा प्रकट की गई। उन्होंने बताया कि – '' समय पर गेहूं उपलब्ध भी नहीं होता। यदि दुकान से जो राशन वितरित किया भी जाता है उसमें मिलावट होती है। जो गेहूं मिलता है उसमें रेत, कंकण आदि होना तो आम बात है। गेहूं माह में सिर्फ दो दिन मिलता है। राशन की दुकान से केरोसीन (मिट्टी का तेल) ब्लैक किया जाता है, समय पर नहीं मिलता और रविवार के दिन बांट दिया जाता है। इसके सम्बन्ध में हम कई बार शिकायत कर चुके हैं और हमारी शिकायत भी दर्ज है।''

–0–

3- vthtk dYyw & *25 rkjh[k dks igys dqN Hkh ugha feyrk*

राजधानी के पुराने क्षेत्र इस्लामपुरा मकान नं– 6, गली नं –1, शहीदिया स्कूल के पास रहते हैं अजीज कल्लू। इनका वार्ड क्रमांक– 11 है। उनका परिवार बहुत बड़ा है जिसमें सदस्यों की संख्या 11 है। राशनकार्ड बना हुआ है तथा कार्ड का नम्बर 465/260 है। उन्होंने अपनी परेशानियों को बताते हुए कहा कि हमें हर महीने 25 तारीख तक राशन की दुकान से कुछ नहीं मिलता। यदि हम कुछ लेने के लिए दुकान पर चले भी जाएं तो दुकान वाला कहता है कि अभी राशन नहीं आया है, अगले हफ्ते आओ। कंट्रोल का लाभ हमको नहीं मिलता। कभी–कभी दुकान वाला हमसे कहता है कि अगर तुमको जरूरत है तो बगल में मेरी किराने की दुकान है उससे राशन खरीदकर लाओ। ऐसी स्थिति में हम गरीब लोग बाजार से ज्यादा पैसे देकर राशन नहीं खरीद सकते।

–0–

4- ckuks& ch

शहर के शहीदिया रोड पर वार्ड क्रमांक 24 में मकान नं–1 एवं गली नं – 1 में रहती हैं– बानों बी। जिनके परिवार में सदस्यों की संख्या 10 है तथा उनका राशन कार्ड बना हुआ है जिसका कार्ड नं 126 है। बाने बी के द्वारा राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन एवं राशन वितरक के व्यवहार को लेकर कई समस्याएं बतायी गयी। किसी भी महीने उन्हें 25 तारीख तक राशन की दुकान से कुछ नहीं मिलता। दुकान पर जाने पर वह अगले हफ्ते आने को कहता है। हमारे परिवार में कुल 10 सदस्य हैं जिसमें से केवल 6 लोगों के ही राशन कार्ड बनाये गये हैं एवं पूछने पर हमें परेशान करते हैं। महीने की 25 तारीख के बाद हमको सिर्फ गेहूं ही मिलता है जो कि बहुत खराब होता है एवं सामान जैसे– शक्कर, चावल, गेहूं आदि नहीं मिलता है।

–0–

5- crly ch& nk o"kk l ugh feyk dkM ij jk'ku

बतूल बी, (पति– ताज मोहम्मद) भोपाल में ही सिकन्दर खां का अहाता में रहती हैं। इनका राशन कार्ड बना हुआ है जिसका कार्ड नं – 224 है तथा राशन की दुकान का नंबर 255 है। राशन विरण को लेकर उनके द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना किया जा रहा है। कुछ समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया कि – हमारे पास पिछले 2 वर्ष से गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, परन्तु उस पर पिछले 2 वर्षों से मुझे चावल, तेल, शक्कन नहीं मिला, केवल गेहूं ही मिला है। दुकान से जो गेहूं हमें दिया जाता है वह भी बहुत खराब स्तर का होता है उसमें मिट्टी, रेत मिली रहती है, जिसकी रोटी भी मुश्किल से बनती है जो खाने लायक नहीं रहती। गेहूं की शिकायत करने पर दुकान मालिक कहता है लेना है तो लो, नहीं तो जाओ।'' उसी राशन की दुकान पर अच्छा गेहूं भी रखते हैं परन्तु उसके लिए अधिक पैसे मांगते हैं। हमें राशन के दुकान द्वारा राशन के लिए कई बार तारीख देने के बाद सिर्फ एक बार ही गेहूं देते हैं।

–0–

6- uQhlk Qkfrek

नफीसा फातिमा वार्ड क्र– 15 मकान नं– 677 आरिफ नगर में निवास करती हैं। इनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। इनका राशन कार्ड नं – 26 है। उचित मूल्य की दुकान (कंट्रोल) पर गेहूं सही नहीं मिलता है। काई भी चीज समय पर नहीं मिलती। राशन की दुकान पर आवश्यक वस्तुआए केरोसिन (मिट्टी का तेल), चावल उपलब्ध नहीं रहते। गेहूं दिया जाता है जिसमें परन्तु उसमें कचरा जैसे– कांच, पत्थर आदि मिला रहता है जिससे उसकी रोटी भी खाने लायक नहीं रहती। रोटी खाने पर बीमारी होने की संभावना अधिक रहती है।

–0–

ftyk & fM.Mkjh

डिण्डौरी जिले के सघन वन क्षेत्रों के बीच 52 गाँवों की चकबंदी वाला क्षेत्र बैगा चक के नाम से जाना जाता है। अपने नाम के अनुरूप यह क्षेत्र बैगा बाहुल्य क्षेत्र है। बाहरी परिवेश से सीधी तरह से न जुडे होने के कारण यहाँ के लोग अभी भी मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाये हैं। आदिम जाति को लेकर बनाई गई विशेष योजनाओं के बीच क्रियान्वयन स्तर को लेकर बहुत खामियाँ हैं जिसके कारण यहाँ विकास की रेल केवल कागजों तक सिमट कर रह गई सी लगती है। यदि बात सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर करें तो कुछ अध्याय हमारे समक्ष जुड़ते हैं, जिनकी चर्चा नीचे की जा रही है।

1- vHkh rqEgkjs [kkrs dk jk'ku ugha vk;k \

बैगाचक के ग्राम–पौडी, ग्रामपंचायत–किवाड़, विकासखंड–समनापुर के 43 वर्षीय तिहराम के घर में 5 सदस्य हैं। तिहराम का अन्त्योदय कार्ड योजना का कार्ड वर्ष 2003 में जारी किया गया, किन्तु अभी तक उसे एक बार भी राशन नहीं मिल पाया है। पौडी की राशन दुकान ग्राम तितराही में है और जो पौडी से 05 किलोमीटर दूर है। यह दुकान भी सप्ताह में एक बार ही खुलती है अतः सप्ताह में एक बार ही इनकी बारी आती है। अर्थात दुकान तक आने–जाने में आधे से एक दिन लगता है और काम भी छोड़ना पड़ता है। राशन दुकान जाने पर सेल्समेन द्वारा यह कहा जाता है कि तुम्हारे खाते का राशन अभी नहीं आया है। अभी 6.50 रूपये प्रतिकिलो वाला चावल है वो चाहिये तो लेलो, जब आयेगा तो दे देंगे ? राशन दुकान की स्थिति तो ये है लेकिन 10 कि.मी. दूर के साप्ताहिक बाजार, बम्हनी से तिहराम को 6 रूपये प्रतिकिलो चावल आसानी से उपलब्ध है, जिसे लेकर वह अपने परिवार का गुजर करता है। अतः वह राशन दुकान बनाम व्यवस्था से थक चुका है लेकिन एक बार राशन का अनाज चखने की उसकी ललक अभी भी बरकरार है।

2- vc u tkÅa vkc nqdku ---- \

विधवा पेंशन का पैसा चार माह/तीन माह/जब मर्जी/भगवान भरोसे ही मिलता है। इस बार तो चारमाह में मिला (600 रूपये)। बीच में जरूरत पड़ने पर 500 रूपया 25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से लिया और पेंशन मिलते ही वापिस करना पड़ा अर्थात 600 रूपये। यह कहानी है ग्राम–पौडी, ग्रामपंचायत–किवाड़, विकासखंड–समनापुर की 65 वर्षीय ननहिया बाई बैगा की। ननहिया बाई का अन्त्योदय योजना का राशन कार्ड भी वर्ष 2001 से बना है किन्तु उसे इन 36 महीनों में से केवल 3 माह में ही अनाज मिला है और वह भी केवल 70 किलो। गणित का यह अनसुलझा समीकरण, एक ज्वलंत प्रश्न है ? राशन दुकान जाने पर सेल्समेन द्वारा यह कहा जाता है कि तुम्हारे खाते का राशन अभी नहीं आया है। अभी 6.50 रूपये प्रतिकिलो वाला चावल है वो चाहिये तो लेलो। जब आयेगा तो दे देंगे ? पौडी की राशन दुकान ग्राम तितराही में है और जो पौडी से 05 किलोमीटर दूर है। बूढी ननहिया बाई, राशन लेने 10 कि.मी. पैदल जाती थी और हर बार यही जवाब मिलने पर अब उसने राशन दुकान पर जाना ही बंद कर दिया है। बम्हनी का साप्ताहिक बाजार ही उसके लिये शासकीय योजना है।

> **राशन दुकान जाने पर सेल्समेन द्वारा यह कहा जाता है कि तुम्हारे खाते का राशन अभी नहीं आया है। अभी 6.50 रूपये प्रतिकिलो वाला चावल है, वो चाहिये तो लेलो। बूढी ननहिया बाई, राशन लेने 10 कि.मी. पैदल जाती थी और हर बार यही जवाब मिलने पर अब उसने राशन दुकान पर जाना ही बंद कर दिया है। बम्हनी का साप्ताहिक बाजार ही उसके लिये शासकीय योजना है जहां पर उसे चावल 6.00 रूपये में मिल जाता है।**

3- vk/kk o"kZ ;kuh N% ekg ;kuh 24 lIrkg ;kuh 180 fnu ls yksxksa dks vUR;ksn; vUu ;kstuk dk jk'ku ugha feyk --- !

आधा वर्ष यानि छः माह यानि 24 सप्ताह यानि 180 दिन से लोगों को अन्त्योदय अन्न योजना का राशन नहीं मिला, क्योंकि राशन दुकान पर ही राशन उपलब्ध नहीं था। ये खस्ताहाल हैं गोराकन्हारी, विकासखंड–समनापुर, जिला–डिण्डौरी की उचित मूल्य दुकान के। इस राशन दुकान में जून 2004 से मध्य दिसंबर 2004 तक राशन उपलब्ध नहीं था (वर्तमान स्थिति ज्ञात नहीं)।हनुमत लाल पिता रामलाल बैगा, निवासी–जीलंग, पंचायत–गौराकन्हारी की कहानी भी उपरोक्त स्थिति से जुड़ती है क्यूँकि उनका नाम भी गोराकन्हारी में ही है। वैसे तो उनका राशन कार्ड वर्ष 2003 में जारी किया गया है किन्तु इन 12 महीनों में उन्हें केवल 4 बार ही अनाज मिल पाया है।।गोराकन्हारी की राशन दुकान जीलंग से 13 कि.मीटर की दूरी पर है तथा बारिश में नदी आ जाने पर यहाँ पर पहुँचा नहीं जा सकता है। विडंबना यह भी है कि एक राशन दुकान 10 कि.मी. की दूरी पर स्थित है किन्तु फिर भी जीलंग के निवासियों को 13 कि. मी जाना पड़ता है।

4- dkjk dkxt gS jk'kudkMZ esjk --- \

रस्सू सिंह/पंडरू ग्राम–पौडी, ग्रामपंचायत–किवाड़, विकासखंड–समनापुर के निवासी हैं तथा इनका मुख्य व्यवसाय कृषि तथा कृषि मजदूरी है। यूँ तो रस्सू का अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड वर्ष 2003 से बना है किन्तु उसे आज तक एक बार भी राशन नहीं मिल पाया है। उसके राशन कार्ड में प्रविष्टियाँ नहीं हैं बल्कि वह कोरा राशनकार्ड है। लेकिन रस्सू को अभी भी राशन दुकान से राशन मिलने का इंतजार है।

5- 100 :i;s e jk’kudkM

ननसू बल्द रतनू बैगा के पास पहले सफेद रंग का राशन कार्ड था, ग्राम के अन्य लोगों की तरह उसे वर्ष 2003 में अन्त्योदय का कार्ड जारी होने के कारण अपना कार्ड जमा करना पड़ा था। बाद में गाँव के 25 लोगों को राशन कार्ड जारी किया तो गया किन्तु उसी दिन 12 लोगों से कोटवार ने कार्ड वापस ले लिया। सरपंच से ननसू अपने कार्ड के विषय में पूछता है तो वह कहता है कि पटवारी के पास जमा है और उसे 100 रूपये देना पडेंगे तभी वह राशन कार्ड तुम्हें मिलेगा। वर्तमान में ननसू के पास कोई भी राशन कार्ड नहीं हैं।

6- xke& flyfiMh

ग्राम सिलपिडी जो कि डिण्डोरी जिले में आता है। यहां के ग्राव वासियों का अन्त्योदय अन्न योजना का कार्ड कुछ लोगों का बना है तथा कुछ लोगों का नहीं बना है। राशन की दुकान से हितग्राहियों को पात्रता से कम राशन 10 किलो गेहूं तथा 10 किलो चावल दिया जाता है। राशन के बदले निर्धारित कीमत से भी अधिक पैसे लिए जाते हैं और कार्ड में गलत सूचनाएं लिखी जाती हैं। सोसायटी के सेल्समैन (पतिराम यादव) दुकान नियमित रूप से नहीं खोलते जिससे हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

–0–

7- xke& eg|vknknj

डिण्डोरी जिले के समनापुर विकासखण्ड के अन्तर्गत आता है छोटा सा गांव महुआ दादर। इस गांव में लगभग 18 परिवार बैगा विशेष जनजाति के रहते हैं। इन्हें मिट्टी का तेल, गेहूं एवं चावल लेने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास अन्त्योदय राशनकार्ड नहीं है।

ऐसे ही कई ग्राम हैं जहां पर अति गरीब आदिवासी परिवार रहते हैं उन्हें अभी तक किसी भी प्रकार का राशन कार्ड जारी नहीं किया गया है। इनमें मुख्य ग्राम अजगर वनग्राम।

–0–

8- rhu lky e feyk fIQ rhu ckj jk’ku

• jkt dekj

बैगा आदिवासी ननहिया बाई ने अब राशन दुकान जाना छोड़ दिया। आखिर 65 वर्ष की बूढ़ी कमर राशन दुकान का कितना चक्कर लगवा ले ननहिया बाई से। वर्ष 2001 में अन्त्योदय योजना से बने पीले राशन कार्ड को लेकर तीन साल में ननहिया बाई ने घर से 5 किलोमीटर दूर स्थित राशन दुकान के सैकाड़ों चक्कर लगाने पर राशन मिला सिर्फ तीन बार।

> **ननहियाबाई को तीन साल में अब तक कुछ 70 किलो राशन मिला है, जबकि प्रति माह 35 किलो के हिसाब से उसे 1260 किलो राशन मिल जाना चाहिए था। यानी उसके हिस्से का 1190 किलो राशन गायब ?**

डिण्डोरी जिले में पड़ता है बैगाचक, 52 गांवों का एक परिक्षेत्र, जहां रहते हैं केन्द्र सरकार द्वारा संक्षित आदिम जनजाति बैगा। इनके विकास के लिए सरकार ने बनवाये हैं बैगा विकास अभिकरा, जिसके द्वारा बैगाओं के विकास के नाम पर लाखों रूपये खर्च होते हैं। बैगा चक का ही एक गांव है पौडी, जो समनापुर विकासखण्ड में पड़ता है। विधवा ननहिया बाई इसी गांव के एक कच्चे घर में रहती है। ननहिया बाई को तीन साल में अब तक कुछ 70 किलो राशन मिला है, जबकि प्रति माह 35 किलो के हिसाब से उसे 1260 किलो राशन मिल जाना चाहिए था। यानी उसके हिस्से का 1190 किलो राशन गायब ? उसने अपने राशन कार्ड निरस्त नहीं करवाया है पर राशन दुकान नहीीं जातीी। यानी इस महीने उसके नाम पर 35 किलो राशन की कालाबाजारी। वह बताती है कि सेल्स मैन बार–बार उनसे कहता है, ''तुम्हारे हिस्से का राशन नहीं आया है, जब आएगा, तब देंगे। अभी लेना है तो साढ़े छह रूपये वाला राशन ले जाओं। रोज–रोज की इस इनकार और फटकार के बाद उसने राशन दुकान जाना छोड़ दिया। अब–कभी कभर वह अपने बेटे को राशन दुकान पर भेजती है पर सैल्समैन नया बहाना बनाता है वह उससे कहता है कि अपनी मां को राशन के लिए भेजो, तभी राशन देंगे। वह जानता है कि बुढ़ी ननहिया आएगी नहीं, आ भी गई तो उस दिन राशन नहीं होने का बहाना करना सरल है। राशन की दुकान पौडी से 5 किलोमीटर दूर तितराही गांव में है। ननहिया बाई राशन के लिए 10 किलोमीटर आना–जाना कब तक कर सकती है।

सरकार एक तरफ बैगा विकास अभिकरण द्वारा बैगाओं के नाम पर लाखों रूपये खर्च कर रही है पर दूसरी ओर उन्हें खद्यान्न सुरक्षा से जुड़ी शासकीय योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल पा रहा है। यदि एक राशन कार्ड पर साल में 3–4 क्विंटल की कालाबाजारी हो, तो पूरे क्षेत्र में सैकड़ों राशन कार्ड पर कितने क्विंटल अनाज राशन दुकानदारों द्वारा ुले बाजारों में पहुंचाया जाता होगा ? यह एक गंभीर सवाल है, जिसका जवाब सिर्फ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर जब नियंत्रण से ही मिल सकता है। इसी तरह यदि अन्य योजनाओं में भी हो रहे भ्रष्टाचार को जोड़ा जाये, तो बैगाओं के नाम पर लाखों की लूट हो रही है। खाद्यान्न सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में हो रही लापरवाही एवं कालाबाजारी का एक अन्य दुःखद पहलू यह भी है कि भूख से होने वाली मौतों में सबसे ज्यादा संख्या आदिवासियों की ही होती है।

–0–

ftyk & ckyk?kkV

1- 'kkldh; jk'ku nqdku & >kyj lkslk;Vh

''एक बाई राशन लेने जा नहीं सकती है। जब किसी महिला को राशन दुकान से राशन लेने की जरूरत होती है तो कम से कम 6–7 महिलाओं का इंतजार करना पड़ता है यदि 6–7 महिला राशन दुकान (सोसाईटी) जाने के लिए न मिलें, तो फिर हमें गढ़ी से मंहगा राशन खरीदकर गुजारा करना पड़ता है। '' यह वाकया ग्राम कंदला की रतिया बाई आदिवासी का है। राशन की दुकान उनके गांव से दूरी लगभग 12 किलोमीटर होने के कारण कभी–कभी ही सस्ता राशन का लाभ ले पाते हैं जबकि रतिया बाई के पास गरीबी रेखा वाला राशन कार्ड है।

> **झोलर सोसायटी तक जाकर राशन लाने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है जो की हमारे गांव से 16 किमी दूर है। जंगलों के साथ–साथ ''बीजा घाट'' एक ऊंची पहाड़ी चढ़ना और उतरना पड़ता है। ऐसे स्थिति में पूरा राशन एक साथ लाना संभव नहीं होता जबकि सोसाईटी से अंशो में राशन नहीं मिलता है। बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली रेवनी नदी में बाढ़ आ जाती है जिससे सोसायटी तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अतः इन परेशानियों के चलते हम सोसायटी से सस्ते राशन का लाभ कम ही ले पाते है।**
>
> – ग्रामवासी, नवलपुर

जिले के बैहर विकासखण्ड के पंचायत कंदला में तीन ग्राम कंदला, हीरापुर और नवलपुर आते हैं। कंदला में 94 परिवार, हीरापुर में 135 और नवलपुर में 75 परिवार रहते हैं। इन ग्रामों में बैगा आदिवासियों की संख्या अधिक है शेष गोंड आदिवासी हैं। तीनों ग्राम के लोगों को सस्ता राशन लेने के लिए अलग–अलग दूरियां तय करके झोलर सोसायटी राशन लेने आना पड़ता है। राशन की दुकान कंदला से 10, हीरापुर से 12 तथा नवलपुर से 16 किलोमीटर दूर है। झोलर सोसायटी आदिम जाति सहकारी समिति हीरापुर से ही संचालित होती है। ग्राम कंदला के पंचलू सिंह पट्टावी ने बताया कि पहले हमारी राशन की दुकान कंदला में ही थी लेकिन आज से लगभग चार वर्ष पहले शासन कंदला सोसाईटी को ग्राम झोलर में स्थानांतरित कर दिया, जिससे हमें राशन लाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम वालों को राशन की दुकाना (झोलर सोसायटी) जाने के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इन्हें कान्हा नेशनल पार्क के घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है। जहां हमेशा खतरनाक जंगली जानवरों से जान का खतरा बना रहता है। इसमें खासतौर से महिलाओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि लगभग 12 किमी घने जंगलों से एक महिला का जाना संभव ही नहीं होता है इसलिए जब 6–7 महिलाओं को राशन की जरूरत होती है तभी इन गांव की महिलाएं झुंड में राशन लेने जा पाती हैं।

कंदला के लोगों का कहना है कि यदि हमें पूरा कोटा राशन मिल भी जाता है तो भी हम झोलर से पूरा कोटा एक साथ नहीं ला पाते हैं क्योंकि झोलर सोसाईटी जाने में घने जंगलों के साथ–साथ ''बीजा घाट'' एक ऊंची पहाड़ी चढ़ना और उतरना पड़ता है। ऐसे स्थिति में पूरा राशन एक साथ लाना संभव नहीं होता जबकि सोसाईटी से अंशो में राशन नहीं मिलता है। बरसात के महीने में तो स्थिति और भी कष्टप्रद हो जाती है। एक तो इस मौसम मे लोगों को सस्ते राशन की जरूरत होती है दूसरे सोसायटी तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि रास्ते में एक नदी (रेवनी) पड़ती है जिसमें बाढ़ आ जाती है। ऐसे में इन लोगों को सस्ते राशन का लाभ कम ही मिला पाता है।

सोसायटी के सेल्समैन संपत सिंह मरावी झोलर से 15 किलोमीटर की दूरी पर रहता है इसलिए सोसायटी कम खुलती है ? ग्रामवासियों को निश्चित मालुम नहीं हो पाता। ऐसे में कभी–कभी निराश होकर बिना राशन के ही लौटना पड़ता है। ये तीनों ग्राम बैगा आदिवासी बहुल ग्राम है जिन्हें अन्त्योदय अन्न योजना का कार्ड दिया गया है। रास्तो की परेशानी एवं दूरी के कारण इन अन्त्योदय परिवारों को भी सस्ता राशन नहीं मिल पाता है। गांव के पंचलू सिंह, हीराला, रतियाबाई कहते हैं कि सभी बैगा परिवार के पास 2/– रूपये किलो वाला राशन कार्ड है परन्तु राशन दुकान दूर होने से ये बैगा लोग भी राशन नहीं लाते हैं। लोगों का कहना है कि अन्त्योदय कार्डधारी को राशन नहीं देते हैं कहते हैं अधिक दाम वाला राशन है।

कंदला, हीरापुर और नवलपुर के लोगों ने कई बार राशन दुकान कंदला पंचायत में खोलने की मांग भी की। इसी तारतम्य में ग्राम पंचायत कंदला के सरपंच ने दिनांक 26 जनवरी 2002 को माननीय गनपत सिंह उईके जो बालाघाट के प्रभारी मंत्री थे उन्हें लिखित आवेदन कर चुके हैं परन्तु अभी तक किसी तरह की कार्यवाही नहीं हुई है। फलस्वरूप ग्राम कंदला, हीरापुर और नवलपुर के लोग राशन दुकान दूर होने के कारण किसी तरह का सस्ता राशन का लाभ नहीं पा रहे हैं।

& uj:'k fo'okl

2- 10 fdyks jk'ku feyrk gS vUR;ksn; dkMZ/kkjh dks

> **हितग्राहियों को अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारियों को प्रति राशनकार्ड मात्र 10 किलो राशान ही देते हैं। इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर बालाघाट को दिनांक 26. 9. 04 को लिखित शिकायत भी कर चुके है लेकिन किसी तरह की जांच अथवा कार्यवाही नहीं की गई।**
>
> – ग्रामवासी, कोपरो

ग्राम कोपरों जिला बालाघाट का एक गांव है जिसमें बैगा आदिम जाति के लोग निवास करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानसार इस गांव के बैगा आदिम जाति के लोगों को अन्त्योदय के तहत अन्त्योदय कार्ड दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के 2 मई 2003 के आदेशानुसार प्रत्येक कार्डधारी को प्रतिमाह 35 किलो अनाज 2 रू. प्रतिकिलो गेहूं और चावल 3 रू. प्रति किलो दिया जाता है। इस ग्राम के अन्तरगंत आने वाली सस्ते

राशन की दुकान गोहारा ग्राम में है। गोहारा सोसाइटी के सैल्समैन द्वारा सर्वोच्च न्यायाल के आदेश का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं। सोसाईटी से ग्राम कोपरों के हितग्राहियों को अंत्योदय अन्न योजना के कार्डधारियों को प्रति राशनकार्ड मात्र 10 किलो राशान ही देते हैं। गांव के ही लालसिंह व शांतिबाई ने बताया कि जब हम 35 किलो राशन की मांग करते हैं तो सेल्समैन द्वारा 10 किलो से ज्यादा नहीं मिलेगा कहकर हमें वापस कर देते हैं।

गांव के लोगों ने इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर बालाघाट को दिनांक 26. 9. 04 को लिखित शिकायत भी कर चुके है लेकिन किसी तरह की जांच अथवा कार्यवाही नहीं की गई। अन्त्योदय अन्न योजना कार्डधारियों को अभी तक 35 किलो राशन की बजाय 10 किलो राशन ही मिल रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का खुला उल्लंखन है।

–0–

ग्राम– जाल्दा चुकाटोला में लगभग 45, ग्राम भरेवा टोला में 14 बैगा आदिवासी परिवार रहते हैं जिनका अन्त्योदय अन्न योजना राशन कार्ड नहीं बना है। ग्राम हर्रामाल जो कि पंचायत निवली बैहर तहसील के अन्तर्गत आता है। वहां के लोग भी राशन लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके पास राशनकार्ड नहीं है। इस गांव में बैगा जाति के लोग निवास करते हैं जो अति गरीब परिवार के हैं। गांव वालों ने कलेक्टर महोदय से अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड बनाने की प्रार्थना की है। अभी तक राशन कार्ड न बनने से यहां के रहवासी शासन की सुविधाओं एवं गरीबो के लिए चल रही योजनाओं के लाभ से वंचित हैं।

–0–

3- nk eghu e feyrk g] flQ ,d ekg dk jk'ku

आज 4 दिसम्बर 2004 का दिन भी आम दिनों की ही तरह था लेकिन कुछ ग्राामों एवं पंचायतों के लिये यह दिन लम्बे अरसे के बाद कुछ प्राप्ति का दिन था यह मंजर था राइ बैडारी एवं सरजापुर पंचायतों के सहरियाओं का। इन पंचायतों के आदिवासियों को पिछले दो माह से राशन नहीं मिला है और इन भोजन के तंग दिनों में आदिवासियों को एक–एक दिन काटना काफी कठिन होता है फिर भी राशन दुकान संचालक अपनी अवैध कमाई करने के चक्कर में इनकी जिंदगी से सौदा किया। हर महीने राशन बांटने के बजाय दो महीने में एक माह का राशन बांटता है हालांकि ग्रामवासी इन सब बातों को जानते हुये भी वह आदि हो चुके थे क्योंकि इन्होंने इस व्यवस्था को सुधारने के लिये पहले भी कई प्रयास किये लेकिन इस दुकान संचालक संतोष शर्मा के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। विस्तृत कहानी इस प्रकार है।

> **भोजन के तंग दिनों में आदिवासियों को एक–एक दिन काट्ना काफी कठ्नि होता है फिर भी राशन दुकान संचालक अपनी अवैध कमाई करने के चक्कर में इनकी जिंदगी से सौदा किया। हर महीने राशन बांट्ने के बजाय दो महीने में एक माह का राशन बांट्ता है। राशन दुकान का संचालक एक माह का अन्त्योदय का राशन ऊंचे दामों पर बेचकर हजारों, लाखों का मुनाफा कमाता है।**

आज सुबह जब राशन दुकान संचालक द्वारा अपनी दुकान खोली गयी तब सभी ने सोचा चलो शायद इस बार तो दो माह का राशन कइक्ट्ठा मिलेगा। संचालक संतोष शर्मा द्वारा बैडारी, बूढ़ी राई एवं शंकरगढ़ ग्रामों राशन वितरण की सूचना भेजी जो इन ग्रामवासियों क लिये रेत पर गिरे पानी के समान थी तो सभी आदिवासी अपनी दो माह के राशन की तैयारी के साथ 4–5 कि.मी. दूर चलकर राई पी.डी.एस. पर पहुंचे वहां करीब एक घंटा खड़ा रहने के बाद 12 बजे संतोष शर्मा द्वारा राशन बांटना प्रारंभ किये। सबसे पहले इसने बैडारी गांव के अन्त्योदय कार्ड पर राशन बांटना शुरू किया इसमें बैडारी के चार लोगों को 30 किलो गेहूं बांटा लेकिन इनके कार्डों पर राशन नवम्बर–दिसबर माह में 30 किलो गेहूं, 3 कि. ग्राम. चावल एवं 3 लीटर मिट्टी के तेल के हिसाब से सूचानायें दर्ज कीं जिसमें यह संचालक एक माह का अन्त्योदय राशन बाजार में ऊंचे दामों पर बेच सके और हजारों, लाखों का मुनाफा कमा सके लेकि संचालक की इस मंशा का अंजाम कुछ और ही होना था बैडारी के तीन कार्ड धारियों पर गलत सूचनायें दर्ज की चौथा कार्डधारी थोड़ा पढ़ा–लिखा था उसने संचालक की मंश को पकड़ लिया तब उसने वहां उपस्थित सभी लोगों को संचालक का यह कारनामा बताया कि कन्ट्रोल वाल नवम्बर माह का तो राशन दे रहा है लेकिन दिसम्बर का भी राशन कार्डों पर चढ़ रहा है। तब सभी एक होकर राशन दुकान संचालक पर हावी हो गये और मारा–मारी की स्थिति पैदा हो गई। तब संचालक ने इस स्थिति से बचने के लिये इन बैडारी के चार कार्ड धारियों को जिनके कार्डों पर 30 किलो गेहूं दिया था। लेकिन 60 किलो राशन चढ़ाया था। उन्हें 2–2 माह का राशन दे दिया ताकि वहां हो रहा हंगामा कुछ शांत हो जाये लेकिन इन चार कार्डधारियों को दो माह का राशन देने के बाद भी वहां चालू हो गया हंगामा शांत नहीं हुआ। वहां उपस्थित सभी ग्रामों के सहरिया अन्त्योदय कार्ड धारी 2 माह के राशन की बात करने लगे। करते भी क्यों नहीं वह भी 2 माह के लम्बे इंतजार के बाद 60 किलो ग्राम राशन लेने की तैयारी से दुकान पर पहुंचे थे। तनाव इतना बढ़ चुका था कि किसी भी वक्त मारा–मारी की स्थिति पैदा हो सकती थी। हालांकि दुकान संचालक ने पहले भी कई बार ऐसे स्थिति का सामना कर चुका थ। उसकी रणनीति यह थी कि वह ऐसे माहौल में बेइमानी करता पकड़ा जाता। तब वह दुकान पर ताला लगाकर भाग जाता था। आज भी वह भागने वाला था कि वहां सी.आई.डी. संस्था द्वारा निकाली जा रही लोग चेतना बैडारी यात्रा जीप राई राशन की दुकान पर जा पहुंची। संस्था की लोग चेतना यात्रा राई होते हुये बूढ़ीराई सहरिया आदिवासी संस्थ कार्यकर्ताओं एवं संस्था के लक्षित परिवार ही थे तो वहां कार्यकर्ताओं ने ग्रामवासियों से बात कर पूरी स्थिति की जानकारी लेने की कोशिश की तब पता चला कि राशन दुकान संचालक हजारों लाखों के फायदें के लिये इन हितग्राहियों का 1 माह राशन सीधा–सीधा अपने पेट में डालना चाहता था। संस्था कार्यकर्ताओं ने राशन दुकान संचालक का स्टॉक राजिस्टर देखना चाहा तो पहले उसने अपना स्टाक रजिस्टर दिखाने से मना कर दिया। लेकिन जन समूह के भारी दबाव के बाद उसने हमें अपना स्टाक रजिस्टर दिखाया तब रजिस्टर में काफी अनियमितताएं देखने को मिली साथ में हमने वह कार्ड भी जांच की जिस पर

उसने गलत जानकारियां दर्ज की। इन सारी स्थिति को जब समुदाय के सामने रखा तब दुकान संचालक एसं समुदाय तनातनी की स्थिति को और भी हवा मिली। आदिवासी चिल्ला–चिल्लाकर कह रहे थे कि हमारे घर में एक दिन तक का खाना नहीं हमारे बच्चे भूखों मरने की स्थिति में हैं, इनमें 5–6 किलोमीटर दूर से आई महिला, पुरूष और बच्चे राशन न मिलने की स्थिति बहुत ही करूणामय स्वरों से अपनी–अपनी वेदना सुना रहे थे। तभी संस्था कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि इस राशन के कुशासन से प्राशशन को अवगत कराया जाये। तब कुछ संस्था कार्यकर्ताओं को राशन दुकान पर छोड़ा ताकि वह राशन संचालक को भागने न दें एवं जन समुदाय को भी रोका जाये। तब लोक चेतना यात्रा की जीप कोलारस अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय की ओर रखना हुई। कोलारस तहसील मुख्यालय पर एस.डी.एम. पिछले 5 दिनों से छुट्टी पर जा चुके थे। तहसीलदार एवं सी.ई.ओ. आज शनिवार होने के कारण शीघ्र ही कार्यालय छोड़कर जा चुके थे। लेकिन तहसील के नायब तहसीलदार पुरूषोंत्ततर गुर्जर अपने कार्यालय में उपस्थित थे। तब संस्था के कार्यकर्ता गुर्जर साहब से जाकर मिले तथा पी.डी.एस. राई की सारी घपले बाजी गुर्जर साहब को बताया तब गुर्जर साहब ने बताया कि यह स्थिति पूरे कोलारस ब्लॉक सेल्समैनों की है। वह 1 माह का राशन देते हैं एवं 2 माह का राशन कार्ड पर चढ़ाते हैं। जिससे तेल एवं चावल तो बिल्कुल देते ही नहीं है। यह व्यवस्था जब सुधर सकती है जब सैल्स मैन स्थानीय होंगे। बाहर के सैल्समैनों पर जनता का दबाव बहुत ही कम होता है और कहा कि अकेला अधिकारी इस मुख्यालय में ही इस कारण मैं तो आपके साथ नहीं चल सकता लेकिन आर.आई. ''राजस्व निरीक्षक'' संतोष कुमार सोनी एवं पटवारी हरिवल्लभ श्रीवास्तव को हमारे साथ पूरे मामले की जांच के लिए राई भेजा।

राई पी.डी.एस. पर पहुंचने से पहले हमने राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी को राई पी.डी.एस. की सारी कहानी सुना दी। जैसे ही हम पी.डी.एस. राई पर पहुंचे वहां जमा सहरिय आदिवासियों का जन सैलाब हमारा ही इंतजार कर रहा था। जितनी देर से यह जब सैलाब अपने आक्रोश को दाबे हुये थें। लेकिन जेसे ही राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के साथ संस्था कार्यकर्ता पहुंचे तो इनका सब्र का बांध टूट गया। सब इकट्ठे होकर दुकान के साथ–साथ संस्था की जीप से भी घेर लिया और चारों तरफ से अलग–अलग आवाजें आने लगी सब लोगों ने मिलकर नारे लगाने प्रारंभ कर दिये कि हमें यह कन्ट्रोल वाला नहीं चाहिये नहीं चाहिये इसे हटाओ। फिर घटना पर राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी ने दुकान में जाकर राशन स्टॉक रजिस्टर एवं दुकान का राशन चैक किया। तब स्टॉक रजिस्टर में काफी गड़बड़ियां पाई गई जैसे –

- अलग–अलग माह में आवंटित राशन का सही वितरण इसमें नहीं दर्शाया गाय।
- 24 नवम्बर को आवंटित राशन को दिसम्बर माह में वितरित किया गया।

इन सब अनियमितताओं के बीच वहां उपस्थि सभी आदिवासयिों ने इसी बीच अपने–अपने कथन मामले की जांच करने आये राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी के समक्ष कुछ प्रकार पेश किये –

dey vkfnoklh ¼cMkjh½ & जो कंट्रोल वाले ने मेरे राशन कार्ड पर तेल एवं चावल चढ़ाया। जबकि मैंने तो 6 महीने से तेल, चावल की श्कल तक नहीं देखी।

ekxhyky vkfnoklh ¼c<hckb½ & हम सब इस कन्ट्रोल वाले से 2 साल से परेशान हैं। 2 महीने में 1 बार पिसी देता है जबकि 2 महीने की पींस चढ़ाता है।

rkjkpn ¼cMkjh½ & हमें राशन कार्ड पर तो जे, तेल नहीं देता है, जबकि दादा भाठयों एवं पंडितों को बिना राशन कार्ड के ड्रम के ड्रम भरवा देता है।

yk[ku ¼cMkjh½ & इस कंट्रोल वाले ने हमें चौथे एवं छठे माह तक का राशन नहीं दिया और हमें 2 महीने`मं 1 बार राशन देता है तेल, चावल कभी देता ही नहीं है।

udV vkfnoklh ¼ ljtkij½ & इस कंट्रोल वाले से हम बहुत ही ज्यादा परेशान है। ̇अगर इसे नहीं हटाया गया तो हम किसी दिन इसकी बहुत पिटाई लगायेंगे।`

इन सब बातों को सुनकर एवं पूरा रिकार्ड देखकर मामले की जांच करने पहुंचे राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी ने सारे ाशन दुकान के प्रपत्र जप्त कर राशन दुकान को सील कर दिया दुकान सील करने के बाद मिट्टी के ड्रम को भी सील कर दिया। इस ग्रामीणों का जोश और उफान पर आ गया। इन्होंने नारे लगाने चालू रखे हैं। यह कंट्रोल वाला हनीं चाहिये नहीं चाहिय। तब पंचनामा बनाकर राजस्व निरीक्षक, पटवारी संस्था कार्यकर्ताओं के साथ कोलारस तहसील मुख्यालय पर साथ में राशन दुकान संचालक को भी पकड़कर नायब तहसीलदार पुरूषोंत्तर गुर्जर के समक्ष समस्त प्रपत्रों के साथ पेश किया। गुर्जर साहब ने जब पूरे मामले की जानकारी पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से ली तब गुर्जर साहब ने कहा– ' सबसे पहले तुम्हे आदिवासियों का ख्याल रखना चाहिये, पहले तुम्हे उनका ध्यान रखना चाहिये जिनके घर में 1 किलो तक पिसी एवं एक दिया तेल तक नहीं है। लेकिन तुम पहले पंडित एवं ठाकुरों को खुश करने में लगे रहते हो। तुम जैसे लोगों ने ही इनकी आदतें बिगाड़ दी है। ' गुर्जर साहब ने लम्बी चौड़ी सैल्समैन को फटकार लगाई लेकिन हम जिस उद्देश्य को लेकर हमने यह मुद्दा उठाया था उसकी पूर्ति होती हमको नहीं दिख रही थी क्योंकि तमाम फटकार के बाद गुर्जर साहब ने उसे निम्न आश्वासन देकर दोड़ दिया।

- राशन की दुकान पर ऊपर दुकान का पूरा नाम एवं सम्पूर्ण ब्यौरा अब लिखा होना चाहिये।
- दुकान से लाभानिवत पंचायतों, ग्रामों की सूची लगी होनी चाहिये।

- अलग–अलग पंचायतों के राशन बंटने के अलग–अलग दिन वारों को अलग–अलग अंकित किया जाना चाहिये।
- स्टॉक सूची बाहर लिखी होना चाहिये।
- शेष राशन बांटने के पहले एवं बाद में दुकान के बाहर स्टाक को सार्वजनिक करने के लिये बाहर सूची लगाई जानी चाहिये।
- दो–तीन से ज्यादा राशन कार्ड इकट्ठे नहीं किये जायेंगे।
- कार्डों पर गलत सूचनायें दर्ज नहीं की जायेगी।
- माह के शुरूआत में ही तुम सोसाइटी से स्टाक ले जाओगे एवं शुरूआत में ही वितरित करोगे।

नायब साहब ने आदेशों के बाद ही राशन संचालक से कहा कि अगर तुमने अब इन निर्देशों का पालन नहीं यिका तो तुम्हारे खिलाफ सीधी कानूनी कार्यवाही की जायेगी। और हथकड़ी डाली जायेगी। संस्था कार्यकर्ताओं ने नायब साहब के इन सब निर्देशों को मौखिक रूप से एक शपथ पत्र में उतार लिया जिस पर राशन दुकान संचालक संतोष शर्मा के हसताक्षर लिये गये। ताकि जब संतोष शर्मा इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कि जा सके।

इस समस्त राशन के कुशासन में संस्था के कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के सहयोग से पहले भी इस संचालक के खिलाफ कार्यवाही की थी। लेकिन उसकी प्रशासनिक पकड़ होने के कारण इसके खिलाफ कोई शख्त कार्यवाही नहीं हो पायी थी। साथ ही आज भी ग्रामीणों की मांग के अनुसार यह संचालक को दुकान से हटाया नहीं गया।

ftyk& lhgksj

lhgksj& ,d ifjp;

सीहोर मालवा क्षेत्र का कृषि प्रधान जिला है जो 7 नगरीय निकायों, 494 पंचायतों एवं 1107 ग्रामों के विस्तार के साथ 6578 वर्ग किलोमीटर मे फैला हुआ है। जिले की कुछ जनसंख्या 10,78,769 है जिसमें 8ए84ए345 ग्रामीण एवं 194424 नगरीय जनसंख्या है। जिलले में अनाज उत्पादन दर 262450 हजार मीट्रिक टन, तिलहन उत्पादन दर 218650 हजार मैट्रिक टन एवं खाद्यान्न उत्पादन दर 366430 हजार मैट्रिक टन है।

lkoZtfud forj.k iz.kkyh

सीहोर जिले के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रशासन एवं सहकारी संस्थाओं के माध्यम से नगरीय क्षेत्र में 31 व ग्रामीण क्षेत्र में 222 शासकीय उचित मूल्य की दुकान है। इन उचित मूल्य की दुकानों से एपीएल के 1,75,216, बीपीएल के 78,672 एवं अन्त्योदय योजना के 9285 तथा अन्नपूर्णा योजना के 3,224 राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण किया जा रहा है।

Ø-	mfpr eY; dh nqdku ls feyus okyk lkeku	eY; ¼izfr fdyks½
1	शक्कर	13.50 रू.
2	गेहूं (बीपीएल कार्ड धारक)	5.00 रू.
3	चावल (बीपीएल कार्ड धारक)	6.20 रू.
4	गेहूं (अन्त्योदय कार्ड धारक)	2.00 रू.
5	चावल (अन्त्योदय कार्ड धारक)	3.00 रू.
6	कैरोसीन	8.79 रू. से 9.05 रू. प्रति लीटर

uxjh; {ks= esa lkoZtfud forj.k iz.kkyh ij v/;;u

समर्थन के द्वारा सूचना के अधिकार कानून के प्रति लोगों में जागरूकता लाने एवं व्यवस्था में सुधार एवं पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से रणनीति बनाकर कार्य कर रही है। संस्था द्वारा सूचना के अधिकार कानून के प्रयोग एवं व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए नगरीय क्षेत्र की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को रणनीतिक तौर पर चुना जिसके लिए जिले की नगर पालिका के 33 वार्डों में से 13 वार्डों के राशन कार्ड धारकों के साथ सर्वे कर यह जानने का प्रयास किया गया कि अलग–अलग श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को राशन लेने में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कार्ड धारकों को राशन मिलता है या नहीं राशन किस प्रकार मिलता है एवं उनकी गुणवत्ता कैसी होती है ? सर्वे के माध्यम से संस्था के द्वारा कुछ 260 कार्ड धारकों से जानकारी ली गई। कुल कार्ड धारकों में से 112 राशन कार्ड धारक सामान्य (ए.पी.एल.) 98 राशनकार्ड धारक (बी.पी.एल.) व 50 राशन कार्ड धारक अन्त्योदय योजना (अति गरीब) के थे।

सर्वे के आधार पर सामान्य राशन कार्ड धारकों (ए.पी.एल.) का कहना है कि हम लोग तो अब राशन लेने ही नहीं जाते हैं क्योंकि एक तो राशन की दुकान समय पर नहीं खुलती और यदि खुल भी जाती है तो लाइन लगानी पड़ती है। दूसरा राशन की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। इसके साथ हमें कैरोसीन नहीं देते हैं और कहते हैं कि आपके पास तो गैस है। इसलिए हमारा राशन कार्ड तो हमारा पहचान पत्र बन गया है।

xjhch js[kk ¼chih,y½

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले राशन कार्ड धारक कहते हैं कि उचित मूल्य की दुकान समय से ुलती ही नहीं है। महीने में सिर्फ दो या तीन बार खुलती है और जब हम राशन लेने जाते हैं तो कहते हैं कि वह तो खत्म हो गया, अगली बार ले लेना। जब राशन मिलता भी है तो पूरा नहीं मिलता है और इनके द्वारा कहा जाता है किइस बार कम आया है। वार्ड 9 के मुशराम कहते है। कि मेरे घर में 11 सदस्य हैं जिसके आधार पर मेरा राशन कार्ड 9 यूनिट का है लेकिन उचित मूल्य की दुकान से कभी समय पर राशन नहीं मिलता है और अगर मिलता भी है तो पूरा नहीं मिलता है। जब हम लोग दुकान पर सामाने लेने जाते हैं तो बोलता है कि चप्पल बाहर उतारकर आओ और लाईन लगाओं एवं गन्दे शब्दों का भी प्रयोग करता है। 6 तारीख के पहले एवं 24 तारीख के बाद राशन नहीं देता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए बैठा रहूंगा। नन्दलाल का कहना है कि उचित मूल्य के दुकानदारों की नियत ही अच्छी नहीं है। जैसे ही राशन आता है सोसायटी के लोग अपने लोगों को मिट्टी का तेल एवं राशन उठवा देते हैं और जब हम लोग राशन लेने जाते हैं तो कहा जाता है कि राशन खत्म हो गया है। नन्दलाल कहते हैं कि दो–तीन वार्डों की एक ही कन्ट्रोल की दुकान होती है। जिससे एक तो लोगों को कन्ट्रल की दुकान दूर पड़ती है और ज्यादातर वार्ड होने से भीड़ भी बहुत लगती है।

अति गरीब राशन कार्ड धारकों का कहना है कि जितनी राशन की जरूरत हमारे परिवार को है उतना राशन हमें दुकान से नहीं मिलता और अगर मिलता भी है तो कम मिलता है। गंगाराम धोबी कहते हैं कि कन्ट्रोल की दुकान नियमित नहीं खुलती है। जिससे हम लोगों को बहुत परेशानी होती हैं जब पैसा नहीं रहता है तब दुकान खुलती है। इसीलिए कई बार पैसा नहीं हो पाने की वजह से राशन नहीं ले पाते हैं। शांति बाई कहती हैं कि मेरे घर में तीन सदस्य हैं जिसके लिए हमें राशन एवं तेललेना पड़ता है। राशन मिलता तो है लेकिन नियमित नहीं मिलता है और मिट्टी का तेल तो आते ही गायब हो जाता है। दुकानदार ट्रेक्टर एवं इंजन वालों को ब्लैक बेच देते हैं और जब हम लेने जाते हैं तो बोला जाता है कि खत्म हो गया।

jk'kudkM /kkjdk dk l>ko

सभी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों का कहना है कि –

- नियमित दुकान खुलने की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पैसा होने पर राशन लिया जा सके।
- प्रत्येक वार्ड में उचित मूल्य की दुकान होनी चाहिए।
- राशन कार्ड के यूनिट के हिसाब से राशन वितरण होना चाहिए।
- शिकायत करने पर कार्यवाही होनी चाहिए।
- कैरोसीन के तेल की उपलब्धता बढ़नी चाहिए।
- राशन कार्डों की निगरानी होनी चाहिए, कई राशन कार्ड फर्जी बने हुए हैं।
- दुकानदार एजेण्टों को नम्रता से बोलना चाहिए।
- राशन की रेट सूचना बोर्ड पर लिखना चाहिए।

lLFkk dh vkx dh j.kuhfr

समर्थन सूचना के अधिकार पर कार्य करने की शुरूआत कर रही है। जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सर्वे से प्राप्त जानकारी ने संस्था को भावी रणनीति बनाने मे रास्ता दिखाया है। संस्था ने इस सर्वे के बाद माना कि जब नगरीय क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों की वितरण व्यवस्था इस तरह की हो तो ग्रामीण क्षेत्र के उचित मूल्यों की वितरण व्यवस्था कैसी होगी, जहां 5–6 गांवों पर एक उचित मूल्य की दुकान होती है। संस्था ने इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में भी राशन कार्ड धारकों के साथ सर्वे करने का निर्णय लिया है। साथ ही नगरीय क्षेत्र में इस पूरी व्यवस्था के प्रति आम जनता में जागरूकता लाने के लिए वार्ड स्तरों पर बैठकें, नुक्कडऋ नाटक, दीवार लेखन व वार्ड स्तर पर दबाव समूह बनाने की रणनीति बनाई है। साथ में जिला प्रशासन के साथ उचित मूल्य की दुकानों पर वितरण में हो रही अनियमितता और ब्लैक मे बेचे जा रहे राशन के सम्बन्ध में संवाद करेगी और उन पर व्यवस्था में सुधार लाने के लिए दबाव बनाऐंगे। इसके साथ ही सूचना के अधिकार के उपोग और उसकी ताकत के बारे में जानकारी देंगे।

& leFku] lhgkj

ftyk & e.Myk

1- pUnxkao d: ykxk dk ykuk iM+rk g! nj tkdj jk'ku

मण्डला जिले के चन्दगांव के लोगों को राशन लेने के लिए लगभग 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। रास्ते में दो नदी भी पड़ती है जिसमें बरसात के मौसम में पानी भरा होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना है जिस पर हमें सिर्फ 15 किलो चावल मिलता है जबकि सरकारी आदेश के अनुसार हमें प्रति कार्ड पर 35 किलो चावल मिलना चाहिए। हमें सिर्फ 5 किलो गेहूं दिया जाता है। मिट्‌टी का तेल समय पर नहीं मिलता तथा राशन कार्ड के अनुसार भी नहीं मिलता। इसी प्रकार छिन्दपुरी, खम्हारटोला, भलापुरी, खम्हरिया और आना टोला आदि गांवों में भी राशन की दुकान न होने के कारण ग्रामवासियों को बहुत दूर जाकर राशन लाना पड़ता है जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

—0—

2- ckfj'k e: rhu unh ikj djd: tkuk iM+rk g! jk'ku yu:

बरसात के चार महीने ग्राम कन्हारी कला, झुलूप, उमरिया, सरेहला, और चौकी टोला के लोगों को 10 किमी दूेर घूमकर राशन की दुकान से सस्ता राशन लेने जाना पड़ता है, जब अत्यधिक बारिश होती है तो गांव के लोग राशन लेना नहीं जाते क्योंकि रास्ते में इन्हें तीन नदियों को पार करना पड़ता है। बारिश के मौसम में इन नदियों मे बाढ़ की स्थिति बन जाती है।

इन गांवों में कुंवरलाल यादव, जयसिंह, जमुनाबाई, श्री प्रसाद, फूल सिंह, भूजल बैगा, फूगनू बैगा बताते है। कि हमें सबसे ज्यादा राशन की जरूरत बरसात में होती है। रास्ते की कठिनाई के कारण हम सोसायटी से सस्ता राशन नहीं ले पाते। मण्डला जिले के बिछिया ब्लाक ठोडा सोसायटी के अन्तर्गत 10 ग्राम आते हैं। यह सोसायटी आदिम जाति सहकारी समिति अजनिया से संचालित है। ठोडा सोसायटी की राशन की दुकान में 10 ग्राम आने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। समय पर सस्ता राशन नहीं मिलता कोटा जल्दी खत्म हो जाता है जिससे कई बार बिना राशन के खाली हाथ लौटना पड़ता है। गांव के लोगों को कहना है कि ग्राम कन्हारीकला, झुलुप, उमरिया, सुरेहला और चौकी टोला के लिए सस्ता राशन की दुकान ग्राम कन्हारी कला में खुलना चाहिए। इन ग्रामों का सरपंच सरस्वती बाई सहित पंचों ने मिलकर लगभग तीन वर्षों से उच्चाधिकारियों को सस्ता राशन दुकान कन्हारीकला में खोलने की मांग कर रहे हैं परन्तु अभी तक किसी तरह की सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम कन्हारी कला में 80 प्रतिशत आदिवासी परिवार निवास करते हैं। लोगों का कहना है कि यदि ग्राम कन्हारी में राशन की दुकान खुल जायेगी तो हमें नदी पार करके राशन लेने नहीं जाना पड़ेगा जिससे पूरे वर्ष भर इन गांव के लोगों को आसानी से राशन मिल जायेगा।

—0—

3- lLr: jk'ku d: fy, jkr dk :duk iM+rk g! fxV'Vh Vksyk e:

> **यदि सस्ता राशन सोसाइटी से लेना होता है तो घने जंगलों से होकर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और सोसायटी शाम के 4–5 बजे खुलती है। ऐसे में हमें जाकर गिट्‌टीटोला में रात को रूकना पड़ता है और दूसरे दिन राशन लेकर घर वापस आ पाते हैं। इन्हीं परेशानियों के कारण हम लोग सस्ता राशन नहीं ले पाते हैं।**
>
> – गुबरी ग्रामवासी

जिला मण्डला विकासखण्ड बिछिया के ग्राम गिट्‌टी टोला में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति की सस्ता राशन की दुकान है जिसका संचालन ग्राम बिछिया से होता है। इस राशन की दुकान में खम्हेपुर, डीलवारा, उर्दली और गुबारी चार गांव आते हैं। यह दुकान सप्ताह में केवल एक बार ही खुलती है।

गुबारी ग्राम के गेंदालाल, पंचम और प्रेमलाल आदि ग्रामवासी बताते हैं कि हमें यदि सस्ता राशन सोसाइटी से लेना होता है तो घने जंगलों से होकर 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और सोसायटी शाम के 4–5 बजे खुलती है। ऐसे में हमें जाकर गिट्‌टीटोला में रात को रूकना पड़ता है और दूसरे दिन राशन लेकर घर वापस आ पाते हैं। इन्हीं परेशानियों के कारण गुबरी गांव के कई लोग सस्ता राशन नहीं ले पाते हैं।

गुबरी गांव के गई लोगों के पास अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड है जिसे 33 किलो अनाज दिया जाता है परन्तु लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र के लोग खाने में चावल का उपयोग अधिक करते हैं। जबकि अन्त्योदय कार्ड पर गेहूं अधिक मात्रा में दिया जाता है। लोगों का कहना है कि गिट्‌टीटोला में सोसायटी सप्ताह में एक दिन खुलती है और दिन भी तय नहीं है इसलिए हमें सोसायटी खुलने का दिन भी मालुम नहीं होता है जिसके कारण भी समय पर राशन नहीं मिलता है।

& uj:'k fo'okl